खण्ड-128, अंक-2
मंगलवार, 1 पौष, शक संवत् 1875
(22 दिसम्बर, 1953 ई0)

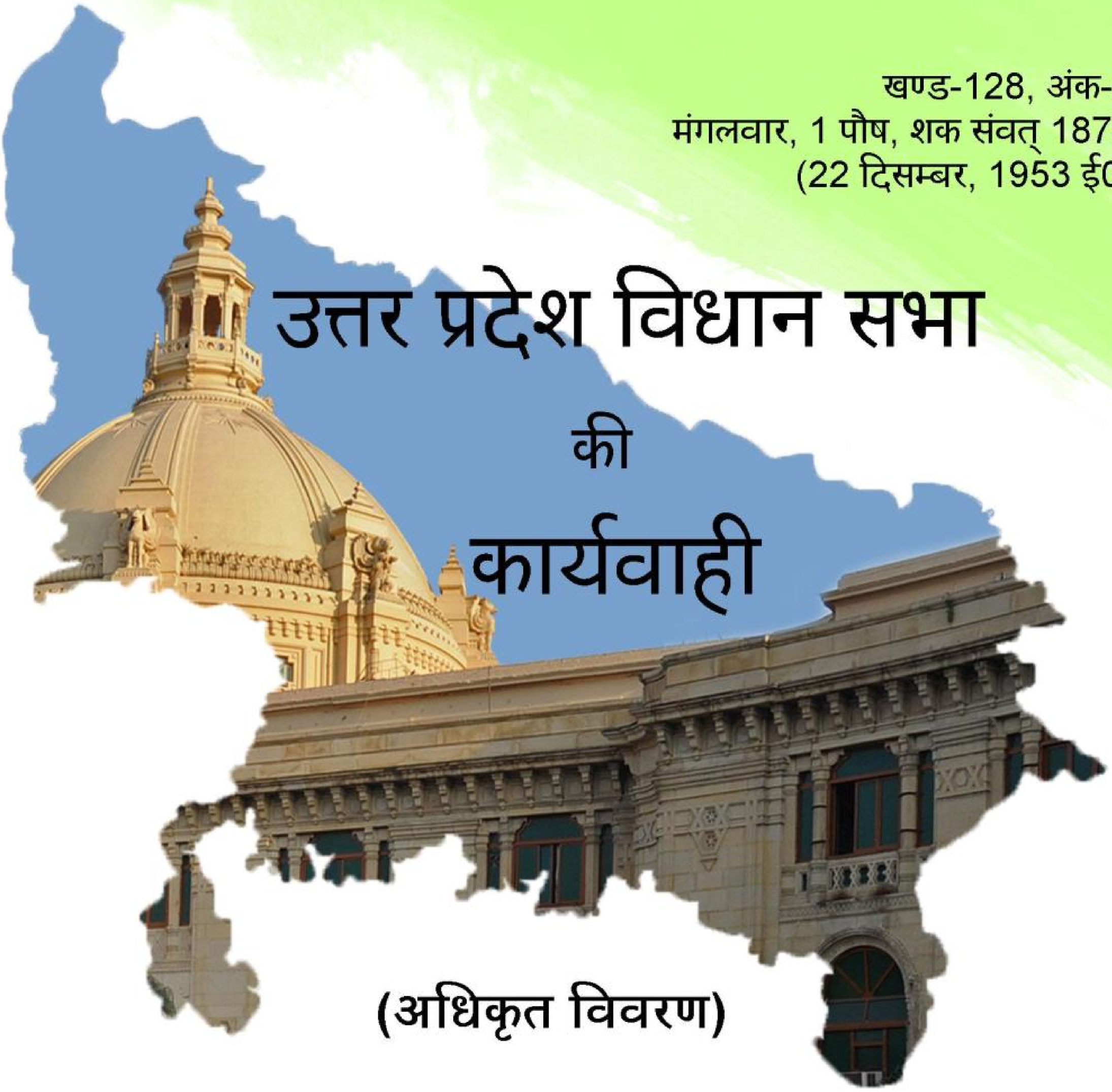

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 128 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २२ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्द वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र भान् शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री

बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
राम सहाय, श्री
रामजी दास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी,शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़्ज़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीता राम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

(१५ दिसम्बर, १९५३ के स्थगित तारांकित प्रश्न)

* * * * *

अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर बिजली का खर्चा

*११—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर कितनी पावर प्रति वर्ष व्यय होती है और सन् १९५१-५२ ई० से कितनी अधिक पावर और बढ़ाई गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—अलीगढ़ जिले में उद्योग तथा कृषि पर बिजली का खर्चा हर साल का मुख्तलिफ है। सन् १९५२-५३ में उद्योग पर ५३०४६४६ यूनिट और कृषि पर ६२८९९५ यूनिट बिजली खर्च हुई। सन् १९५१-५२ से इस जिले में लगभग १५६ किलोवाट बिजली और बढ़ाई गई।

*१२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुटीर उद्योग और कृषियों के लिये जनसाधारण को विद्युत शक्ति मिलना कब से देना आरम्भ हो सकेगा?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जन साधारण के लिये पथरी और हरदुआगंज स्कीमों के पूरा हो जाने पर सन् १९५४ के खत्म होने तक बिजली देने की आशा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री यह बतावेंगे कि अलीगढ़ कुटीर उद्योगों का कार्य सिर्फ बिजली काफी न मिलने की वजह से रुका पड़ा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—हाँ, यह जवाब में कहा जा चुका है कि बिजली वहाँ काफी नहीं है और अब जल्द हो जाने वाली है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या यह सच है कि अलीगढ के पावर हाउस में बिजली काफी है और एक्स्ट्रा बची रहती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बात गलत है।

राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—अलीगढ़ पावर हाउस में २ स्टैंडबाई प्लाट्स में से १ क्यों नहीं चलाया जा रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था जो अब आया है और जनवरी फरवरी तक वह लग जायगा। तब वह बिजली दे सकेगा। इसलिये वहाँ पर स्टैंडबाई पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

* * *

सचिवालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनवाने की योजना

*१५—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार सेक्रेटेरियट के सब कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाने के लिये विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सचिवालय के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनवाने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना के बनने पर क्वार्टर बनवाये जायेंगे।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्वार्टर बनवाने वाली योजना की अवधि क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अभी बनने शुरू नहीं हुये हैं। एक स्कीम है जिसके मंजूर होने पर शुरू होंगे। २५० क्वार्टर गालिबन २ साल में जाकर बनेंगे।

श्री राम सुभग वर्मा—इस योजना में कितना रुपया व्यय किये जाने की संभावना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समय यह तो मुझे याद नहीं है लेकिन तजवीज यह है कि २५० क्वार्टर बनवाये जावें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर्स मिले हुये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हाल में तो कोई बने नहीं हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह स्कीम कब से विचाराधीन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह स्कीम अभी विचाराधीन तो थोड़े दिनों से है लेकिन यह खयाल सन् १९४६ ई० से पैदा हुआ था और इसके लिये लखनऊ में साइट तलाश करके कि किस जगह यह बनाये जायं, विचार हुआ था। मुख्तलिफ जगह तलाश की गई, किसी में सेक्रेटेरियट को ऐतराज हुआ और किसी में म्युनिसिपैलिटी को ऐतराज हुआ। इसलिये कोई साइट तय नहीं हो पाई।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि साइट तय हो चुकी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त तो महानगर स्कीम में साइट तय है।

* * *

शुगर मिलों से बिजली लेकर सिंचाई की योजना

*२०—श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या विद्युत मन्त्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिला के शुगर मिल मालिकों से बिजली लेकर ट्यूववैल (Tube well) चलाने के संबंध में जो वार्ता चल रही थी उसमें कहाँ तक सफलता मिली ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—देवरिया शुगर मिल मालिकों ने अभी तक बिजली विभाग द्वारा अप्रैल में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। चूंकि एक सरकारी पावर हाउस ट्यूब वेलों को बिजली देने की गरज से देवरिया में बनाया जा रहा है। इसलिये इस मामले में और ज्यादा कार्यवाही करने का ख्याल छोड़ दिया गया है।

*२१—श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या विद्युत् मंत्री कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे गोरखपुर जिले की चीनी मिलों से बिजली लेकर वहाँ की सिंचाई की समस्या हल हो जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मिलों की बिजली खरीदने के मसले पर गौर करने क बाद सरकार ने इस तजवीज को आर्थिक विचार से लाभदायक ख्याल नहीं किया है।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो बिजली का पावर हाउस बन रहा है वह कहाँ बन रहा है और कब से शुरू हो रहा है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जवाब में बतलाया गया है कि देवरिया में बन रहा है, १९५५-५६ तक बनेगा।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरदार-नगर मिल सस्ती दर पर सिंचाई के लिये बिजली देने के लिये तैयार है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नाम तो इस वक्त मुझे ठीक तरह से याद नहीं है लेकिन उस तरफ की एक मिल ने लिखा था और उनसे जो बातचीत की गई ट्यूववेल्स के लिये बिजली देने के लिये, तो उन्होंने ५/६ आने के हिसाब से बताया था, इसलिये इंकार कर दिया गया, क्योंकि हम तो एक आने के हिसाब से देते हैं। इसलिये एक आने या डेढ़ आने से ज्यादा देना बेकार है।

* * *

कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के कार्यारम्भ में विलम्ब

*२६—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के ठेके को दिये तीन साल हो गये हैं परन्तु अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, काम तो बहुत दिनों से शुरू हो गया था और १६ फरवरी, १९५३ से बिजली भी दी जा रही है।

*२७—श्री रामहेत सिंह—यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामहेत सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय कोसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को ठेका दिया गया था उस समय कुछ छाता तहसील एरिया को लिया गया था लेकिन उसमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं इस बात को पहली दफा सुन रहा हूं माननीय सदस्य से, इसलिये अगर वह मुझे ठीक तरह से बतलायेंगे तो मैं इसके मुताल्लिक मालूमात कर लूंगा।

* * *

प्रतापगढ़ में बिजलीघर

*२८---श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिलाधीश प्रतापगढ़ ने डेढ़ वर्ष पहले प्रतापगढ़ के मुख्य मंत्री द्वारा बिजली घर की नींव डलवाई थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हाँ, अक्टूबर सन् १९५१ में जब मुख्य मंत्री प्रतापगढ़ में वाटरवर्क्स की नींव डालने गये थे, उस समय बिजलीघर की भी नींव डाली गयी थी, क्योंकि प्रतापगढ़ के श्री रामपाल सिंह शहर में बिजली लगाना चाहते थे। परन्तु देहान्त हो जाने से वह बिजली का लाइसेंस न ले सके।

*२९---श्री राम नरेश शुक्ल (अनुपस्थित)---यदि हाँ, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह बिजलीघर बन कर तैयार हो गया या नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह प्रश्न नहीं उठता।

* * *

लखनऊ में ए० सी० तथा डी० सी० बिजली का वितरण

*४१---श्री पुलिन विहारी बनर्जी (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत लखनऊ में बिजली की नियंत्रित सप्लाई की व्यवस्था की गई और उस समय ए० सी० और डी० सी० मेंस पर दोनों प्रकार की बजली का खर्च क्या था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---पिछली लड़ाई के जमाने में बाहर से मशीन वगैरह मंगाने की दिक्कत की वजह से और साथ ही साथ बिजली के लड़ाई के जरूरी कामों में इस्तेमाल की गरज से लखनऊ और दूसरे शहरों में अप्रैल सन् १९४२ से बिजली की सप्लाई पर कंट्रोल लगाया गया। उस समय लखनऊ में बिजली का खर्च ए० सी० (A. C.) मेंस पर ११२०१७ यूनिट और डी० सी० (D. C.) मेंस पर १००८१५४ यूनिट था।

*४२---श्री पुलिन विहारी बनर्जी (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि किस तारीख से नियंत्रण में ढील दी गई और ढील देने की तिथि को ए० सी० और डी० सी० मेंस पर दोनों प्रकार की बिजली का खर्च क्या था और वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---१५ अक्तूबर सन् १९५२ से सिवाय दो सब-स्टेशनों के पूरे शहर से कंट्रोल हटा लिया गया था। उस समय ए० सी० (A. C.) बिजली का खर्च ९१४७०० यूनिट और डी० सी० (D. C.) बिजली का १७७५५९५ यूनिट था और मौजूदा खर्च यह है---

ए० सी० (A. C.) १५,०१,०८४ यूनिट।
डी० सी० (D. C.) १९,८९,८०९ यूनिट।

*४३—श्री पुलिन विहारी बनर्जी (अनुपस्थित)—ऐबैट रोड और विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित बिजली के सब स्टेशनों पर ए० सी० और डी० सी० दोनों प्रकार की बिजली के खर्च की स्थिति क्या है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—इन सब स्टेशनों पर बिजली का खर्च अलग से नहीं दिया जा सकता । चूंकि सप्लाई कम्पनी के सब-स्टेशनों पर किलोवाट आवर(Kilowatt Hour) मीटर नहीं लगे हुये हैं ।

* * *

(२२ दिसम्बर, १९५३ के प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में कुओं व रजबहों से सिंचाई

*१—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में तीन-चौथाई से अधिक सिंचाई कुओं से की जाती है ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राम मूर्ति)—लोअर डिवीजन पूर्वी जमुना नहर में पक्के कुओं से की गयी सिंचाई सिंचन विभाग द्वारा दर्ज नहीं की जाती है । कुछ खेत नहर से पानी लेने के अतिरिक्त कुओं में से भी पानी नहर वरहा द्वारा लेते हैं । इस पर वसूलयाबी सिंचाई के दर पर की जाती है । लोअर डिवीजन पूर्वी जमुना नहर के ३ लाख एकड़ वार्षिक नहरी सींच में ऐसे खेत अनुमानतः लगभग ५ प्रतिशत हैं ।

*२—श्री श्रीचन्द—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी जमुना नहर के लोअर डिवीजन में कुल सिंचाई योग्य कितने कुयें हैं ?

श्री राम मूर्ति—लोअर डिवीजन के अन्तर्गत पूर्वी जमुना नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में निजी कुओं की संख्या तथा उन से अनुमानित सिंचाई क्षेत्र के आंकड़े निम्नलिखित हैं —

जिला	कुओं की संख्या	अनुमानित क्षेत्र (एकड़ों में)
१—मुजफ्फरनगर	७,५००	४२,०००
२—मेरठ	८,०००	४८,०००
३—दिल्ली	१००	१,०००
योग ..	१५,६००	९१,०००

*३—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डिवीजन में नहरी कमान्ड में कितना क्षेत्रफल है और १३६० फसली में तीनों फसलों में कितने कितने क्षेत्रफल की सिंचाई रजवहों से हुई ?

श्री राम मूर्ति—लोअर डिवीजन जमुना नहर के अधिकृत क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि ३,३५,२२१ एकड़ है । १३६० फसली में तीनों फसलों में सींच के आंकड़े निम्नलिखित हैं —

	एकड़
खरीफ	१,४३,११३
रबी	१,८३,५७६
फसल जायद	७८,१५४

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई किसान मेंड़ अलग करके कुएं से सींचता है, तो क्या उस पर भी महसूल आबपाशी लग जाता है ?

श्री राम मूर्ति—अगर वे नहर के बरहे के जरिये से पानी लेते हैं, तो उन पर महसूल लग जाता है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नहर के पानी के अभाव में अगर कोई किसान अपने खेतों को कुएं से सींचता है, तो उस पर भी क्या पूरा महसूल आबपाशी लगाया जाता है ?

श्री राम मूर्ति—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात होगी कि नहर के पानी के अभाव में अगर लोग कुएं से सिंचाई कर लें, लेकिन अगर वह पानी नहर के बरहे से जाता है, तो विभाग के कर्मचारियों को यह मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि पानी नहर से लिया गया है, या कुए से। इसलिए मजबूर होकर सिंचाई कर लगाना पड़ता है।

श्री रामहेत सिंह—क्या जिन दिनों कुलाबे में पानी बन्द रहता है, उन दिनों में भी कोई किसान अगर कुएं से सिंचाई करता है, तो क्या उसके बारे में पता लगाने में पतरौल को कठिनाई होती है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अगर स्वयं नियम देख लें, तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महसूल आबपाशी लगाने के नियम उत्तर प्रदेश में एक से हैं या अलग-अलग हैं ?

श्री राम मूर्ति—यह इसके ऊपर मुनहसिर है कि कहां पर रेग्युलर वाटर सप्लाई है और कहां पर नहीं, लेकिन जो सिस्टम है, वह एक सा है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो ९१ हजार एकड़ कुएं से सिंचाई बतायी गयी है, वह नहर से ३ लाख एकड़ होने वाली सिंचाई में शामिल है ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं, मैंने यह पहले ही बताया है कि कुएं से सिंचाई अलग होती है और नहर से अलग होती है। नहर की सिंचाई में वह शामिल नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नहर के पानी से किसान सिंचाई नहीं करते, और नहर के पानी के लिए पैसा लग जाता है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि उस पर लगान न लगाया जाय ?

श्री राम मूर्ति—मैंने अध्यक्ष महोदय, अर्ज किया कि कर्मचारियों के लिए यह मुश्किल हो जाता है। वह पता नहीं लगा पाते कि पानी कुएं का आ गया है या नहर का। ऐसी मालूमात की दिक्कत होने की वजह से यह तय करना कि किस जगह पानी कुएं का और किस जगह नहर का पानी इस्तेमाल हुआ है। अगर किसान पानी कुएं से लेते हैं, तो कुएं के बराबर बरहा डाल दें, तो कुएं के पानी के ऊपर कोई महसूल नहीं लगेगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कुएं और नहरों के पानी के झगड़े के प्रार्थनापत्र किसानों के २, २ वर्ष से अभी तक लटके हुए हैं और सरकार उन पर कोई निर्णय नहीं कर सकी है ?

श्री राम मूर्ति—इस तरह से जनरल तो कोई बात नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी विशेष दरख्वास्त के बारे में जिक्र करें, तो उसे देख लिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब कुएं के पानी से सिंचाई करने पर भी किसानों पर नहर का टैक्स लगा दिया जाता है तो सरकार उसके लिए कोई उपाय निकालेगी कि ऐसा न हो ?

श्री राम मूर्ति—इसका तो बहुत आसान हल किसानों के पास है। वे अपने कुएं के बराबर बरहा बना लें और उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जायगा।

*४—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला नैनीताल में पदमपुरी–शरना–ओखलकांडा सड़क का निर्माण

*५—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि ओखलकांडा, जिला नैनीताल में गोविन्द वल्लभ पन्त हायर सेकेण्डरी स्कूल खुल जाने के कारण पदमपुरी-शरना-च्यूरीगाढ़-सुरंग-ओखलकांडा पैदल सड़क का महत्त्व बहुत बढ़ गया है ? अगर हां, तो क्या पी० डब्ल्यू० डी० विभाग उपर्युक्त सड़क की क्षत-विक्षत स्थिति को देखते हुए उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की कृपा करेगा ?

निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारी लाल)—इस सड़क के निर्माण के प्रश्न पर सड़क निर्माण योजना के द्वितीय चरण में विचार किया जायगा।

जिला नैनीताल में गरजिया–भूजान सड़क का रख-रखाव

*६—श्री नारायणदत्त तिवारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गरजिया-खौला-बेतालघाट-भुंजाण सड़क के रख-रखाव तथा गरजिया पर बरसाती पुल के निर्माण में वार्षिक कितना व्यय होता है ?

श्री गिरधारी लाल—गरजिया से कुमरिया तक की सड़क सरकार के अधीन है और इसके रख-रखाव पर सरकार करीब ५,५०० रुपया प्रति वर्ष व्यय करती है। शेष भाग कुमरिया से भुंजाण तक जिला बोर्ड नैनीताल के अधीन है जिसके निमित्त वह ४,३६८ रु० प्रति वर्ष व्यय करता है।

गरजिया पर बरसाती पुल के निर्माण में सरकार का २,००० रुपया प्रति वर्ष लगता है, किन्तु पिछले दो वर्षों से इस पुल का निर्माण जंगल विभाग के ठेकेदार, जिनका इस इलाके में काम चालू है, करा लेते हैं और जनता इसी पुल का उपयोग करती है।

धरमधर से थल (अल्मोड़ा) तक की सड़क का निर्माण

*७—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को विदित है कि जिला अल्मोड़ा में धरमधर से थल तक अकाली सड़क बनायी जा रही थी, जिसमें काम करने वाले मजदूरों को अभी तक पूरी मजदूरी नहीं वितरित हुई, जब कि काम किये हुए तीन महीने व्यतीत हो चुके हैं ?

निर्माण उप-मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—पूरी मजदूरी वितरित हो चुकी है।

*८—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि धरमधर से थल (अल्मोड़ा) तक की सड़क अधूरी ही बनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

*९—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का कब तक पूर्णतया निर्माण करने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सड़क अकाल पीड़ित क्षेत्र के निवासियों का कष्ट दूर करने के लिए बनायी जा रही थी । स्थिति में सुधार होने के कारण अब निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है । फ़िलहाल इस समय इस सड़क पर और कुछ निर्माण कार्य करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट—क्या सरकार को विदित है कि १० मील लम्बी सड़क बन चुकी है और अब सिर्फ दो मील बनना बाकी है और एक पुल का काम बाकी रह गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कुछ सड़क अवश्य बन चुकी है, लेकिन पूरी इत्तिला नहीं है । शायद मेम्बर साहब की इत्तिला सही हो ।

श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—वहां मजदूरी किस दर से वितरित की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रेट तो वही फ़िक्स होता है जो अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में होता है, लेकिन उसकी कोई डेफ़िनिट इत्तिला नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या अब उस सड़क को जिस पर दो तीन हजार रुपया खर्च होना बाकी है, सरकार बनवा देने का कोई उपाय करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितनी जरूरत है । यह तो माननीय सदस्य का विचार है कि दो तीन हजार रुपया लगेगा । अगर बाद में देखा जायगा और पैसा बजट में होगा, तो इसका विचार किया जायगा ।

नार्दर्न रेलवेज द्वारा में लखनऊ हेडक्वार्टर्स बनाने के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*१०—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या यह बात सही है कि रेलवे रिग्रूपिंग के होने के बाद Northern Railways ने उत्तर प्रदेश सरकार से कोई पत्र-व्यवहार अपना हेडक्वार्टर्स लखनऊ में बनाने के बारे में किया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

*११—श्री भगवान सहाय—यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवान सहाय—क्या केन्द्रीय सरकार से इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है कि लखनऊ में रेलवे का हेडक्वार्टर बनाया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है ।

हमीरपुर मुन्सिफ़ी में कार्य की कमी

*१२—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि जिला हमीरपुर की मुन्सिफ़ी में लगभग ६ महीने से कोई मुन्सिफ़ नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां । हमीरपुर की मुन्सिफ़ी में २७ अप्रैल, १९५३ से मुन्सिफ़ नहीं है, क्योंकि वहां की कचहरी में काम कम हो गया है ।

*१३—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुन्सिफ के न होने पर मुकदमों के फैसलों का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री सैयद अली जहीर—बांदा जिले के मुन्सिफ को हमीरपुर का एडीशनल मुन्सिफ बना दिया गया है, और वह महीने में कुछ दिन हमीरपुर जाकर वहां के मुकदमों का फैसला करते हैं ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय न्याय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख से यह व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था के बाद कितने मुकदमे किन किन तारीखों को फैसले हुए हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—तारीख की बाबत तो मैंने बतला दिया कि २७ अप्रैल, सन् १९५३ ई० से वहां पर मुन्सिफ नहीं है । कितने मुकदमे हुए यह तो मैं इस वक्त नहीं बतला सकता ।

श्री जोरावर वर्मा—जिस तारीख से यह व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था के बाद कितने मुकदमे किन किन तारीखों को फैसले किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तारीख तो मैं नहीं बतला सकता मगर मेरा खयाल है कि जब से मुन्सिफी वहां पर खत्म की गयी, तब से बांदा से हमीरपुर मुन्सिफ के जाने का इन्तजाम हुआ होगा ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि यह व्यवस्था किये जाने पर मुन्सिफ साहब अभी तक कभी हमीरपुर तशरीफ नहीं ले गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मेरे इल्म में नहीं है । अगर यह वाकया है, तो आप लिख कर दें, मैं दरियाफ्त करूंगा ।

कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

*१४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वह ऐसे उद्योगी व्यक्तियों तथा संस्थाओं को बिक्री कर से मुक्त करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने यह आम फैसला करना जरूरी नहीं समझा है कि सभी घरेलू धन्धों (कुटीर उद्योगों,) को बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाय । जो तरीका काम में लाया जाता है, वह यह है कि हर एक चीज के बारे में छानबीन की जाती है और यह फैसला किया जाता है कि इसे टैक्स से मुक्त किया जाय या नहीं ।

*१५—श्री नंदकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेशीय शासन को कुटीर-उद्योग धन्धों पर लगे बिक्री कर से कितनी आय वार्षिक होती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—घरेलू धन्धों की ऐसी चीजों पर लगाये जाने वाले बिक्री कर से जो आमदनी होती है, उसके अलग अलग आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

*१६—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ ताला उद्योग से गत वर्ष कितना बिक्री कर वसूल हुआ और यह कर पिछले तीन साल से कितना घटा या बढ़ा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अलीगढ़ ताला उद्योग से पिछले वर्ष (१९५२–५३) में बिक्री कर के रूप में १९,१९८ रु० मिला। १९४९–५०, १९५०–५१ और १९५१–५२ के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं—

	रु०
१९४९–५०	१,७३,४९९
१९५०–५१	४३,९०७
१९५१–५२	२२,०६४

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९–५० में जो आंकड़े दिखाये गये हैं कि १,७३,४९९ रुपया वह सन् १९५१–५२ में २२,०६४ रुपया क्यों रह गया। इसके घटने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसके घटने का कारण था कि हमारे संविधान में जो धारा ३८६ है, जिसका ताल्लुक बाहर की स्टेट के रहने वालों से लेन देन करना है, इसी वजह से यह कमी थी।

श्री नंदकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स के बढ़ने से जो कारीगर बेकार होते जा रहे हैं, उस की वजह से वहां बेकारी बहुत बढ़ गयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो जनरल सवाल है, अगर कोई ऐसे केसेज हैं और उनके मुताल्लिक मेम्बर साहबान मुझे बतलायेंगे तो मैं उन पर गौर करूंगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मन्त्री जी यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि ताला उद्योग के बहुत से कार्यकर्त्ता बेकार होते चले जा रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उन का एक वफ्द है, जिस ने मेरे पास खत भेजा है, मैं ने उन को बुला रखा है और जब वह आवेंगे, तो मैं उनकी सुनूंगा।

श्री राम प्रसाद देशमुख—क्या मन्त्री जी को मालूम है कि अलीगढ़ ताला एसोसियेशन की ओर से कोई रिप्रेजेन्टेशन आया है और उस पर क्या विचार हो रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उनका जो रिप्रेजेण्टेशन आया था उसी के नतीजे पर उन का वफ्द मुझ से मिलने वाला है, मैं ने उन को तारीख दी है वह आवेंगे तो उन से बातचीत होगी।

शीशगढ़–रुद्रपुर सड़क को पक्की बनवाने का विचार

*१७—श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि बरेली से शीशगढ़ होकर रुद्रपुर जाने वाली सड़क सिर्फ शीशगढ़ तक पुख्ता है और बाकी कच्ची है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको रुद्रपुर तक पुख्ता कराने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क का केवल शीशगढ़ से बिलासपुर तक लगभग १० मील लम्बा भाग कच्चा है। इस कच्चे भाग को पक्का करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१८—श्री कल्याण राय—क्या सरकार को मालूम है कि रामपुर जिले की जनता इस सड़क को पुख्ता कराने के लिए १/३ खर्चा (श्रमरूप) देने को तयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार बाकी २/३ हिस्सा खर्च करके इस सड़क को पुख्ता करायेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रथम भाग—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

द्वितीय भाग—जी नहीं।

श्री रामचरन लाल गंगवार (जिला बरेली)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कच्चा टुकड़ा बरेली रामपुर से कितनी दूर है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह फासला तो नहीं बता सकता, लेकिन शीशगढ़ और रुद्रपुर के बीच में दस मील का फासला बताया जाता है ।

श्री राम चरन लाल गंगवार—क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस हल्के से बरेली-रामपुर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस की कोई सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री राम चरन लाल गंगवार—जिस समय मंत्री जी रामपुर गये थे तो क्या श्री कल्याणराय ने जनता की कठिनाई का जिक्र करते हुये इस सड़क को पुख्ता बनवाने के लिए कहा था ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

श्री रामचरन लाल गंगवार—उसके लिये मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिरधारी लाल—मैंने उनसे कहा था विचार किया जायगा, अब उसका जवाब आ गया है ।

जिला अल्मोड़ा में पिठौरागढ़–कण्डाली छीना सड़क का निर्माण

*१९—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में पिठौरागढ़ से कन्डालीछीना तक सरकार मोटर सड़क बना रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां । अकाल-पीड़ित क्षेत्रों के कष्ट निवारणार्थ योजना में इस सड़क का निर्माण स्वीकृत किया गया था ।

*२०—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या सरकार बतलायेगी कि उक्त सड़क में कितनी धनराशि व्यय होगी और कितने साल में यह सड़क पूर्णतया बन सकेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क के निर्माण में लगभग १० लाख रुपया व्यय होगा । इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने साल में यह सड़क पूर्णतया बन सकेगी, क्योंकि यह धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि पिछले साल बजट में ३ लाख रुपये इस सड़क के लिये मंजूर हुये थे और वह लैप्स हो गये और इस साल केवल एक ही लाख रुपया फिर मंजूर हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो इत्तला जो आप दे रहे हैं इसके बारे में अभी बतलाया जा चुका है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—तो क्या सरकार बतलायेगी कि वह रकम लैप्स कैसे हुई और बाद को फिर कम रक़म बजट में क्यों मंजूर हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—काम नहीं हुआ, उस पर काम करने की सुविधा नहीं हुई होगी, इसलिये लैप्स हुआ और अब कम काम, होने की आशा थी, इसलिये इतना ही रख दिया गया ।

*२१–२२—श्री रामनरेश शुक्ल—[२३ दिसम्बर, १९५३ के लिये प्रश्न संख्या ४०—४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

लकड़मन्डी–बस्ती सड़क का तारकोल से निर्माण

*२३—श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो सड़क बस्ती से लकड़मन्डी जाती है उस पर सन् १९५२ ई० में कितने मील तारकोल की सड़क बनी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—केवल दो मील तारकोल किये गये ।

*२४—श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि उक्त सड़क की दशा फिर बिगड़ गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, सड़क की दशा पहले की अपेक्षा सुधर गई है। मील ९०–९३ नवनिर्माण योग्य थे जिनमें से २ मील निर्माण किये जा चुके हैं। बाक़ी २ मीलों के नवनिर्माण का भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री शिवनारायण—बस्ती से लकड़मंडी तक सड़क कितनी लम्बी है ? क्या बाकी पूरी सड़क को तारकोल कराया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सड़क की लम्बाई तो इस वक्त लिखी नहीं है लेकिन इस सड़क पर तारकोल करना शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा मिलता जायगा, इस पर तारकोल करते जायगे ।

श्री शिवनारायण—मैंने सरकार से यह पूछा कि क्या पूरी सड़क तारकोल करायी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितनी ज्यादा से ज्यादा सड़कें तारकोल की बन सकें उतनी बनायी जायं, यह पालिसी गवर्नमेंट की है लेकिन यह पैसा मिलने के ऊपर है। बजट में जितना पैसा होगा, वैसी व्यवस्था की जायगी।

*२५—श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सड़क पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१९५२ ई० में इस सड़क के रख-रखाव पर ९०,००० रुपया और उपर्युक्त २ मीलों को तारकोल करने पर ६७,००० रुपया व्यय हुआ।

श्री शिवनारायण—जितनी सड़क निर्माण के अधीन है क्या वह मार्च सन् १९५४ तक तैयार हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो काम हो रहा है, जितना हो सकता है किया जायगा। आशा तो की जाती है कि तैयार हो जायगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—चूंकि यह सड़क बस्ती से अयोध्या को जाती है इस दृष्टि से क्या इसको तारकोल कराने में सरकार इसको प्राथमिकता देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—चूंकि उसमें काम शुरू किया गया है इसके माने हैं कि उसको प्राथमिकता दी गई है, शुक्ल जी देखेंगे कि जो इसका महत्व है उस महत्व को ध्यान में रखते हुये काम शुरू कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में तीन वर्ष से पड़े हुए मुकदमे

*२६—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में कितने मुक़दमें ऐसे हैं जो तीन वर्ष से पेशी में पड़े हुए हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—केवल ९ साल की अपीलें।

*२७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमों के फैसले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—शान्ति व अनुशासन कायम रखने के कार्यों तथा चुनाव, बाढ़, सूखा व जमींदारी विनाश व और जरूरी कामों में व्यस्त रहने की वजह से जिला मैजिस्ट्रेट इन अपीलों का फैसला नहीं दे पाये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह सवाल सरकार के पास ६–८–५३ को भेजा गया था, उस वक्त जिलाधीश की अदालत में कितनी अपीलें थीं ?

श्री सैयद अली जहीर—इस सवाल का जवाब तो अगस्त में आया था और गालिबन अगस्त की इस तारीख को इतने मुकदमें उनके यहां थे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ९ साल की अपीलें जो अभी तक बाक़ी हैं वह किस महीने में दाखिल हुईं ?

श्री सैयद अली जहीर—महीना, मैं इस वक्त नहीं बतला सकता।

न्याय और प्रशासन विभागों को अलग करने की योजना

*२८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि न्याय और प्रशासन विभाग अलग अलग करने की योजना सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—न्याय और प्रशासन के पृथक्करण की योजना पहले ही राज्य के १८ जिलों में लागू की गयी है। इस योजना को शेष जिलों में जारी रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

चुनाव चिन्ह देने के लिये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार

*२९—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के किन किन राजनीतिक दलों को प्रादेशिक आधार पर मान्यता प्रदान की है ?

श्री सैयद अली जहीर—राज्य सरकार को किसी भी राजनीतिक दल को प्रादेशिक आधार पर मान्यता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सेंट्रल एलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एक फैसला किया था कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और जनसंघ के अतिरिक्त जिन संस्थाओं को उसने अखिल भारतीय आधार पर चुनाव चिन्ह देने के लिये मान्यता प्रदान की है उन्हें प्रान्तीय सरकार और उसके चुनाव अफसर से लिखा पढ़ी करनी होगी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, एक दफा शुरू में उन्होंने सूबे के चुनाव अफसरों को यह अधिकार दिया था लेकिन उसके बाद जब चुनाव हो गया तो उन्होंने यह अधिकार वापस ले लिया और अब यह अधिकार उन्हीं के पास है।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पिछले लोकल बोर्ड्स के चुनाव में इस राज्य की किसी संस्था ने चुनाव चिन्ह के लिये प्रान्तीय सरकार के पास प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—म्युनिसिपल एलेक्शन का सवाल न तो इस वक्त दरपेश है और न उसका जवाब मेरे पास मौजूद है।

अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टरों की छटनी

*३०—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय आबकारी विभाग में ३० नये आबकारी इन्स्पेक्टरों के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव के कारण अस्थायी आबकारी इन्स्पेक्टरों की छटनी की जा रही है? यदि हाँ, तो उस छटनी का आधार और ऐसे लोगों की संख्या क्या है?

श्री सैयद अली जहीर—हां, अस्थायी आबकारी इंस्पेक्टरों की छटनी का आधार उनका कार्य और ईमानदारी है। अभी तक केवल तीन ऐसे इन्स्पेक्टरों की छटनी की गई है।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन तीन इन्स्पेक्टरों की छटनी के अलावा और लोगों को छांटने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री सैयद अली जहीर—जहाँ तक मैं समझता हूं इस वक्त तो वे तीस इन्स्पेक्टर जो पब्लिक सर्विस कमीशन से मंजूर हो कर आये थे उनको इस वक्त जगह मिल गयी है और सरेदस्त किसी और इन्स्पेक्टर को अलहदा करने का प्रश्न नहीं है।

कस्बा छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद में जी० टी० रोड के मील नं० ६९८ की मरम्मत

*३१—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—क्या यह सत्य है कि G.T. रोड़ का Bye pass कस्बा छिबरामऊ (जिला फर्रुखाबाद) के बाहर से बन जाने के कारण सड़क का मील नं० ६९८ छिबरामऊ टाउन एरिया की देखरेख में दे दिया गया है? यदि हाँ, तो कब और क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, १६ अप्रैल, १९५२ ई० से। सरकार के नियम के अनुसार Bye Pass के दोनों सिरों के बीच की सड़क, जो आबादी में से जाती है, वहां की स्थानीय संस्था को ही देखना भालना चाहिये।

*३२—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस मील की दशा अत्यन्त खराब है और टाउन एरिया कमेटी छिबरामऊ इसकी मरम्मत कराने में असमर्थता प्रकट कर चुकी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, टाउन एरिया कमेटी ने अपनी असमर्थता प्रकट की है।

*३३—श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार इस मील की मरम्मत करवाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों की मरम्मत स्थानीय संस्था को ही करना चाहिये।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार को यह मालूम है कि टुकड़ा क़रीब डेढ मील का है और इसके बनाने में लगभग २० हजार रुपया खर्च होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो मुझे पता नहीं है कि यह डेढ़ मील का है या कितना खर्च होगा, जितना बड़ा टाउन है, मैं समझता हूं उतना ही खर्च होगा, टाउन के इधर-उधर से बाई-पास निकाला गया है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या यह सत्य है कि जिस समय यह टुकड़ा टाउन एरिया को दिया गया, गाड़ियों के चलाने के काबिल नहीं था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार टाउन एरिया को अनुदान दे कर इस टुकड़े को बनवाने के लिये विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह जो लोकल बाडीज़ का खर्चा होता है वह इकट्ठा जाता है। लोकल सेल्फ-डिपार्टमेन्ट से इसकी बाबत कहा जाय तो वह देंगे।

नानपारा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध शिकायत

*३४--श्री राजाराम शर्मा (ज़िला बस्ती)--क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास नानपारा ज़िला बहराइच के नानपारा एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध वहां की जनता की शिकायती दरख्वास्तें आई हैं ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

*३५--श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस कम्पनी ने १६ जुलाई, सन् १९५३ से बिजली देना एक दम बन्द कर दिया है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

*३६--श्री राजाराम शर्मा--क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--कम्पनी के खिलाफ़ मुक़दमा चल रहा है।

श्री राजाराम शर्मा--मुक़दमा कब से चल रहा है ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--जहाँ तक मुझे याद है ढाई तीन महीने से मुकदमा चल रहा है।

माला, जिला पीलीभीत के निकट रिजर्वायर बनाने की योजना

*३७--श्री धर्मदत्त वैद्य (ज़िला बरेली)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ग्राम माला, जिला पीलीभीत के निकट वर्षा ऋतु के पानी को एकत्रित करने के लिये कोई सागर (रिजर्वायर) बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम मूर्ति--जिला पीलीभीत में सुरई व माला में रिजर्वायर बनने थे पर इसके लिये बहुमूल्य साल का जंगल काटना पड़ता। इसलिये अब मुख्य सारदा नहर के बायें किनारे पर चूका रिजर्वायर बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

*३८--श्री धर्मदत्त वैद्य--यदि हां, तो इसमें कितने रुपये व्यय होने की संभावना है और उससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

श्री राम मूर्ति--चूका रिजर्वायर के पहले स्टेज पर २७३.२८ लाख रुपया व्यय होगा। इसमें मुख्य नहर तथा उसकी शाखाओं के पुनर्निर्माण और जौनपुर ब्रान्च पर ३०० मील लम्बी नहर बनाने का व्यय भी सम्मिलित है। इसके द्वारा १,९०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

*३९—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस योजना में क्या वहां के निकटवर्ती फार्म करने वाले या छोटे छोटे किसानों की जमीन भी सरकार लेगी ?

श्री राम मूर्ति—इस योजना में १६,००० एकड़ भूमि जलमग्न होगी जिसमें में से १,२०० एकड़ भूमि पर खेती होती है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सुरई और माला में रिजर्वायर की स्कीम बनाने में सरकार को कितना रुपया व्यय करना पड़ा ?

श्री राम मूर्ति—स्कीम बनाने में तो कुछ व्यय करना नहीं पड़ा। जो रिजर्वेयर बनेगा उसमें ३ करोड़, ७३ लाख रुपया व्यय करने होंगे।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि १,२०० एकड़ भूमि जो कृषकों से इस कार्य के लिये ली जायगी वह किस प्रकार ली जायगी ?

श्री अध्यक्ष—आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कीजिये "किस प्रकार ली जायगी" से आपका क्या मतलब है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जिस जमीन पर खेती होती है और जोकि रिजर्वायर बनाने के लिये ली जा रही है, उस जमीन के बदले में उन्हें दूसरी जमीन दी जायगी या मुआविजा दिया जायगा ?

श्री राम मूर्ति—मुआविजा तो दिया ही जायगा और अगर जमीन पास पड़ोस में हो तो सरकार को उसको भी देने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—उस १,२०० एकड़ भूमि में कितने किसान भूमिहीन हो जायंगे ?

श्री राम मूर्ति—कोई लगभग १२ या १५ आदमी हैं।

शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में लाइट तथा पावर कनेक्शन के लिए प्रार्थनापत्र

*४०—श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी में लाइट कनेक्शन तथा पावर कनेक्शन प्राप्त करने के लिये अनेकों व्यक्तियों की दरख्वास्तें कई सालों से विचाराधीन हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समय कोई भी दरख्वास्त विचाराधीन नहीं हैं लेकिन पुरानी दरख्वास्तों पर विचार करने के बाद रोशनी के कुछ नये कनेक्शन पेश्तर दिये जा चुके हैं।

*४१—श्री महाराज सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन व्यक्तियों को शिकोहाबाद तथा सिरसागंज में पावर कनेक्शन केवल रात ही में प्रयोग में लाने के लिये दिये गये हैं उनकी संख्या क्या है और वह लोग कितनी मुद्दत से इस पावर कनेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—जिन लोगों को सिर्फ रात में इस्तेमाल करने के लिये पावर कनेक्शन दिये गये हैं उनकी संख्या और मुद्दत इस प्रकार हैं —

शिकोहाबाद में ४—	एक १९४४ से,
	दो १९४८ से, और
	एक १९४९ से।
सिरसागंज में ५—	तीन १९४४ से,
	एक १९४६ से, और
	एक १९४८ से।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जो टेम्पोरेरी कनेक्शंस थे उन्हें सरकार परमानेन्ट करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—टेम्पोरेरी कनेक्शन जो थे वह परमानेन्ट किये जा चुके हैं ।

श्री महाराज सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी दरख्वास्तें आईं और उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शंस दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल अगर सिर्फ शिकोहाबाद के लिये है तब तो इसका जवाब नहीं है और अगर जनरल है तो २५ हजार अप्लीकेशन्स आईं । उनमें से शायद ढाई या तीन हजार आदमियों को कनेक्शंस दिये गये ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार उन गांवों की संख्या बताने की कृपा करेगी जहां इस समय रोशनी के लिये बिजली देने का विचार किया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मतलब सवाल का यह मालूम होता है कि डोमेस्टिक कनेक्शंस (यानी पंखे और रोशनी के लिए) कितने दिये गये । उनकी ठीक तादाद तो मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

श्री महाराज सिंह—मैंने माननीय मंत्री जी से यह सवाल किया था कि शिकोहाबाद में कितनी दरख्वास्तें आई थीं और उनमें से कितने व्यक्तियों को कनेक्शंस दिये गये लेकिन माननीय मंत्री जी ने सारे उत्तर प्रदेश की संख्या बतलायी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—शिकोहाबाद की संख्या इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

मऊ, जिला आजमगढ़ के पावर हाउस का निर्माण

*४२—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मऊ, जिला आजमगढ़ के पावर हाउस के निर्माण की प्रगति अब तक क्या हुयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मऊ में १०,००० K.W. स्टीम पावर हाउस बनाने के लिये जमीन ले ली गयी है । मशीन (Plant) खरीदने के लिये आर्डर दे दिया गया है । प्रोटास इंजिनियरिंग कं० (Protos Engineering Co.) इस पावर हाउस का (lay out) तैयार कर रही है और इस के तैयार होने पर पावर हाउस बनने का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा । इस पावर हाउस के अलावा एक अस्थायी (temporary) पावर हाउस के लिए एक इमारत तैयार हो गयी है । जिसमें १५० K. W. के चार डिजिल जेनरेटिंग सेट (Diesel Generating Sets) लगाने का काम चालू है । एक और पावर हाउस की इमारत बनने का काम काफी हो चुका है, जिसमें १,६०० K. W. (Steam Generating Set) स्टीम जनरेटिंग सेट लगाया जायगा ।

*४३—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि यह पावर हाउस कब तक पूर्ण हो सकेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१०,००० K. W. वाले स्टीम पावर हाउस के पूरा होने की आशा १९५६ तक की जाती है । डिजिल पावर हाउस और १६०० K. W. स्टीम पावर हाउस के पूरे होने की आशा मार्च, १९४८ तक की जाती है ।

*४४—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि मऊ पावर हाउस पर कुल कितना व्यय होने वाला है और कितना अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस काम का कुल तखमीना १२८.३१ लाख रुपये का है जिसमें से अक्तूबर १९५३ तक ९,०३,१३९ रुपये का खर्चा हो चुका है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या वित मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रोटेस इंजीनियरिंग कम्पनी कहां की है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जहां तक मेरा ख्याल है इंगलिस्तान की है और यहां उसके एजेंट हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५० और १६ सौ के जो जेनरेटिंग सेट स्टीम के लगे हैं इनसे ट्यूबवेलों को कब शक्ति मिलेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जो यह नये सेट लगे हैं इनसे तो अब बिजली मिलना शुरू हो जायगी। जनवरी के महीने में उसकी ओपनिंग सेरिमनी हो रही है और ट्यूबवेल्स को तो इस वक्त भी बिजली दी जा रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या यह सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, सन् १९५३ तक जितना रुपया खर्च हुआ है वह किस मद में खर्च हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेम्बर साहब मेरे पास तशरीफ लायेंगे तो मैं बतला दूंगा।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या यह सही है कि जब तक इस योजना के मातहत नया प्लांट लगे, उसके पहले सरकार ने नागपुर से एक नया प्लान्ट यहां लगाने के लिए खरीदा है, अगर हां, तो कितने रुपये का ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—रुपये तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन खरीदा है न सिर्फ यहां लगाने के लिये बल्कि और जगह भी लगाने के लिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ शहर में विद्युत शक्ति के बटवारे की क्या व्यवस्था है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे ख्याल में तो यह सवाल उठता ही नहीं है। आजमगढ़ का पावर हाउस बिलकुल जुदा है। आगे इसके मुताल्लिक सवाल है और उसका जवाब भी दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—तो फिर ठीक है, बाद में वह आ जायगा।

बदायूं जिले में 'नयी दुनियां' समाचार-पत्र का प्रवेश

*४५—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि जिला मैजिस्ट्रेट, बदायूं ने दैनिक 'नयी दुनियां' दिल्ली का प्रवेश जिले में दो महीने के लिये किसी समाचार के प्रकाशित होने के कारण बन्द कर दिया है ?

श्री राम मूर्ति—जिलाधीश बदायूं ने ६ जुलाई, १९५३ को एक आदेश के द्वारा बदायूं जिले में 'नयी दुनियां' दैनिक समाचार-पत्र का प्रवेश २ महीने तक बन्द कर दिया था। वह आदेश दो महीने के बाद समाप्त हो गया।

*४६—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि जिला मैजिस्ट्रेट ने सम्पादक 'नयी दुनियां' से उस समाचार के भेजने वाले व्यक्ति का नाम पूछा था ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं।

*४७—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, लखनऊ की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल जिला मैजिस्ट्रेट की इस आज्ञा के विरुद्ध मुख्य मंत्री से मिला था ?

श्री राम मूर्ति—मुख्य मंत्री जी को इसका स्मरण नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि 'नयी दुनियां' ने पुलिस की धांधली के सम्बन्ध में स्पष्ट समाचार छापे थे, इसीलिए यह रोक लगायी गयी ?

श्री राम मूर्ति—जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो वह कौन सा समाचार है जिसके सम्बन्ध में यह रोक लगायी गयी।

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—उन्होंने जो समाचार छापे थे और लेख छापे थे उसमें साम्प्रदायिक भावना को बहुत उत्तेजित किया था। उसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है, माननीय सदस्य चाहें तो आ करके देख सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यदि मैं माननीय मंत्री जी को जिलाधीश बदायूं और 'नयीदुनिया' के सम्पादक के नाम समाचार भेजने वाले का नाम बचाते हुए, पत्र दिखलाऊं तो उसके सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कार्यवाही करना कोई जुर्म की बात तो है नहीं लेकिन सरकार की यह नीति नहीं है कि कोई सोर्स आफ इंफार्मेशन किसी से पूछा जाय।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को यह मालूम है कि 'नयी दुनियां' अखबार सामान्यतः साम्प्रदायिकता बढ़ाने वाला है और देश की नीति के विरुद्ध लिखता रहता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह सही है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, लेबर यूनियन की तरह से ही यूनियन बनी हुयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गवर्नमेंट का, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री केशव गुप्त—सरकार इस अखबार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है जिससे वह इस प्रकार के लेख न लिखे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बदायूं जिले में तो उसका आना बन्द ही कर दिया है और अगर आपत्तिजनक लेख लिखे जाते हैं तो जो कानूनी कार्यवाही होती है, वह की जाती है।

जिला देवरिया में सलेमपुर-तुर्तीपार सड़क पर महुआबारी के पास पुल की आवश्यकता

*४८—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सलेमपुर तुर्तीपार रोड (देवरिया) के बीच में महुआबारी के पास जो पुल बना हुआ है उसे कंकड़ डाल कर बंद किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सड़क पर महुआबारी के पास कोई पक्का पुल नहीं है। परन्तु सड़क का तल ऊंचा होने के कारण खेतों के पानी की निकासी के लिए सड़क के इस स्थान पर एक पाइप डाल दिया गया था जो कलवर्ट का काम दे रहा था। अब महुवा-बारी से तुर्तीपार तक एक नाली बना दी गयी है और पानी इस नाली से निकलता है। नाली बन जाने के बाद पाइप बन्द कर दिया गया।

*४९—श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि इस पुल के बन्द करने से किसानों के कितने ही खेत पानी में डूब गये हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—भाग १—किसानों के खेत पाइप बन्द करने से नहीं परन्तु वर्षा अधिक होने से बीच बीच में कुछ दिनों के लिए डूब गये थे और जैसे-जैसे पानी निकल गया खेत पानी से खाली हो गये।

भाग २—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस सड़क पर नये एस्टिमेट में पक्का पुल बनाने की कोई आयोजना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसमें पहले पक्का पुल बनाने की आयोजना थी लेकिन गांव वालों में झगड़ा हो गया। एक गांव वाले चाहते हैं कि बन जाय और दूसरे गांव वाले चाहते हैं कि न बने। इससे मारपीट और अशांति की नौबत आ गई। इसलिये अब इस पुल के बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है और न वहां कोई जरूरत ही है।

आजमगढ़ के पावर हाउस की हालत

*५०—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ शहर के पावर हाउस की हालत इस समय बहुत खराब हो रही है जिसके कारण रात तथा दिन में घंटों लोगों को बिजली नहीं मिलती है? यदि हां, तो क्यों और कब से?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। इस समय आजमगढ़ पावर हाउस की हालत खराब नहीं है और यह ग़लत है कि दिन में लोगों को घंटों बिजली नहीं मिलती।

श्री बद्री नारायण मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उत्तर उनको किस तारीख को प्राप्त हुआ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—किस रोज गवर्नमेंट के यहां इस सवाल का जवाब आया था वह तारीख तो मुझे याद नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि आजमगढ़ के अस्पताल में बिजली की कमी की वजह से पंखे नहीं चल पाते हैं और रोगियों को परेशान होना पड़ता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पिछले दिनों बारिश बहुत हुई उन दिनों वह खराब हो गया था लेकिन अब ठीक हो गया है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—आजमगढ़ के पावर हाउस के कर्मचारियों में आपस में बड़ा विरोध रहता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हालत खराब होने का जहां तक ताल्लुक है उसके मुताल्लिक तो मुझे मालूम है कि किस-किस वक्त में किस-किस वजह से हालत खराब हुयी, लेकिन यह बात मुझे नहीं मालूम कि वहां हालत खराब होने की यह भी एक वजह है।

*५१-५२—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[१८ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट—प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो जाने के कारण प्रश्न ५१—८३ सदन में नहीं लिये गये।

फतेहपुर के अन्दर जी० टी० रोड को कोलतार से बनाने का विचार

*५३—श्री अनन्त स्वरूप सिंह (जिला फ़तेहपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका विचार जिला फतेहपुर की सीमा के अन्दर के (G. T. Road) के हिस्से को कोलतार की सड़क बनाने का है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, फ़तेहपुर जिले की सीमा के अन्दर जी० टी० सड़क के मील संख्या ५४३ से ५६६ तक को कोलतार करना स्वीकृत हो चुका है।

*५४—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—अगर हां, तो यह काम कब तक शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—यह काम शुरू हो चुका है ।

शरणार्थी एक्साइज इन्स्पेक्टरों की छटनी

*५५—श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या मादक कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन एक्साइज इन्स्पेक्टरों की छटनी की जा रही है उनमें कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो शरणार्थी होने के कारण एक्साइज इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर—शरणार्थी होने के कारण नियुक्त किये गये अस्थायी एक्साइज इन्स्पेक्टरों में से केवल एक इन्स्पेक्टर की छटनी की गयी है।

*५६-५८—श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—[५ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

खलीलाबाद के दक्षिण क्षेत्र के द्वाबा में पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माणकार्य

*५९—श्री राम सुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में तहसील खलीलाबाद के दक्षिणी क्षेत्र के द्वाबा में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य हो रहा है ?

श्री गिरधारी लाल—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई निर्माण कार्य इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है किन्तु इस योजना के पूर्व ही प्रथम चरण में निम्नलिखित सड़कों की पूर्ति कर दी गयी थी—

विश्वनाथ घनघटा—५ मील ओ० डी० आर० घनघटा सिरसी—६ मील वी० आर० । अब यह सड़क जिला बोर्ड को दे दी गयी है।

*६०—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस निर्माण-कार्य में मुखलिसपुर के पुल को जो कुआनो नदी पर है बनवाने की योजना सम्मलित है ?

श्री गिरधारी लाल—मुखलिसपुर का पुल जिस सड़क पर पड़ता है वह सड़क जिला बोर्ड के अधीन है। अतः इस पुल के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रामपुर के वर्तमान आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

*६१—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर के वर्तमान आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कब हुई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—रामपुर जिले के निम्नलिखित आनरेरी मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति उनके नाम के सम्मुख लिखित दिनांक को हुई थी :

१—श्री ए० ए० क़िदवई	आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट	१०-२-५१
२—श्री लक्ष्मी नारायण ३—श्री बक़ायुल हक़ ४—हिदायत अली खां ५—श्री अहमद रज़ा खां ६—श्री बी० एल० गुप्ता	आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट	१०-२-५१
७—श्री विश्नु कुमार जिंदल	आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेट	२१-५-५३

*६२—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या यह सही है कि इन आनरेरी मैजिस्ट्रेटों में से कुछ हिन्दी न जानने के कारण मुक़दमों के फैसले अभी तक उर्दू में लिखते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—आनरेरी बेंच मैजिस्ट्रेटों को हिन्दी का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण तथा अधिक कार्य के कारण उर्दू में काम करना पड़ता है।

*६३—श्री राम चरन लाल गंगवार—[७ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बरेली जिले में नलकूपों की संख्या

*६४—श्री रामचरन लाल गंगवार—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले में कितने Tube wells बनवाये गये हैं ? उनमें कितने चालू हालत में हैं और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बरेली जिले में ६४ राजकीय नलकूप बनवाये गये हैं यह सब नलकूप इस समय चालू हालत में हैं। इनसे १३६० फसली वर्ष में कुल १८,३२७ एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है।

*६५—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—[१५ जनवरी, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]।

आजमगढ़ में नलकूपों के नल टूटने के कारण

*६६—श्री श्रीनाथ राम (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कहां-कहां के नलकूपों के नल बोरिंग के समय टूट गये हैं और टूटने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में जिन स्थानों पर नलकूपों के नल हाथ से बोरिंग के बाद, निकालते समय टूटे हैं उनका ब्यौरा निम्नलिखित है—

नाम संख्या	नाम ग्राम	तहसील
२९	शाहगढ़	मोहम्मदा बाद गोहना
५	देवपार	घोसी
५१	खुंखंदवा	घोसी

टूटने का कारण केवल नीचे की जमीन की असाधारण व्यवस्था है।

*६७—श्री श्रीनाथ राम—टूटे हुये नलों को निकालने में कितना धन व्यय हुआ है और जो निकाले जाने वाले हैं उन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—टूटे हुये नलों को निकालने पर, अभी तक कुछ व्यय नहीं हुआ है और न अधिक व्यय होने की कोई सम्भावना ही है।

*६८—श्री श्रीनाथ राम—क्या इन नलों को निकालने के लिये अलग से विशेषज्ञ बुलाने पड़े हैं ? यदि हां, तो कहां से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। विभागीय इंजीनियर इस कार्य को सरलता पूर्वक करने की क्षमता रखते हैं। बाहर से विशेषज्ञ बुलाने की आवश्यकता नहीं है।

गाजीपुर के सिउरी अमहट व अमदा असकरन मौजों में राज सहायता से निर्मित कुएं

*६९—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के सर्किल पंचायत करीमउद्दीनपुर में सिउरी अमहट व अमदा-असकरन मौजों में सन् १९५०-५१ में कितने कुएं सरकारी सहायता से बनवाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५०-५१ वर्ष में ग्राम सिउरी अमहट में तीन और ग्राम अमदा असकरन में दो पक्के कुएं राज सहायता द्वारा बनवाये गये थे।

*७०—श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मौजों में कितने प्रार्थी किसानों को कुएं बनवाने के लिये सहायता मिल गयी है और कितनों को मिलनी बाक़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित सब कुओं पर राजसहायता दी जा चुकी है।

कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन की सम्पत्ति के मूल्य-निर्धारण का आधार

*७१—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन १९४७ में अपने अधिकार में ली हुई सम्पत्ति के मूल्य-निर्धारण का आधार क्या माना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कानपुर बिजली सप्लाई प्रशासन ने अपने अधिकार में जो सम्पत्ति ली थी उसका मूल्य इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा ५ (ब) के आधार पर नियत हुआ था।

*७२—श्री देवकी नन्दन विभव—१९५०-५१ में स्थिर यन्त्र और मशीन का मूल्य १,२२,४४,५०० रु० कूता गया है उसमें कारपोरेशन से स्थानान्तरित हुई मशीनों का मूल्य क्या है और कारपोरेशन का मूल्य क्या था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१,२२,४४,५०० रु० की सारी रक़म उन यन्त्रों व मशीनों की क़ीमत है, जो कानपुर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन से ली गई थी। कारपोरेशन की सारी सम्पत्ति, जो सरकार ने ली थी उसका मूल्य २८५ लाख रुपया था।

नैनीताल जिले में बकरिया डिग्गी से आबादी तक पानी की पक्की नाली लाने के लिए प्रार्थना-पत्र

*७३—श्री खुशी राम (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल के धुना पाइली ग्राम की सिंचाई के लिये पानी की पक्की नाली बकरिया डिग्गी से आबादी तक लाने के लिये सन् ४७-४८ से कई बार ग्रामवासियों ने सरकार के पास प्रार्थना-पत्र भेजे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१५ दिसम्बर, १९४९ तक नहर विभाग का कोई डिवीजन पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था। ग्रामवासियों का प्रथम प्रार्थना-पत्र एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर कुमायूं सर्वे डिवीजन, नैनीताल ने २४, जुलाई १९५२ को प्राप्त किया। इस गूल के लिये पानी भुवाली गधेरे से लिया जा सकता है। इस विभाग को बकरिया डिग्गी के विषय में कोई ज्ञान नहीं है।

*७४—श्री खुशी राम—क्या यह सही है कि सन् ५१-५२ में उक्त पक्की नाली बनाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा नाप जोख (सर्वे) हुई थी? यदि हां, तो अब क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। पाड़ली योजना की नाप जोख (survey) की जा चुकी है और आवश्यक तखमीना भी बन चुका है। पहाड़ में नहरों के निर्माण का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है, किन्तु इस वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के चालू करने में अर्थ सम्बन्धी कठिनाई है।

विभिन्न विभागों में फिजूल खर्च रोकने के लिए आदेश

*७५—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने विभिन्न विभागों को फजूल खर्च रोकने के लिये कोई आदेश दिये हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां। कार्यकुशलता को कम किये बगैर सरकारी खर्च में जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा कमी करने के लिये कड़े आदेश किये गये हैं।

*७६-७७—श्री रामनरेश शुक्ल—[५ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर में नलकूप बनवाने की योजना

*७८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दोआबा हीन्डन व जमुना तथा हीन्डन नदी के बायें किनारे के क्षेत्र (जिला बुलन्दशहर) में ट्यूबवेल बनवाने की योजना पर वह विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है।

बुलन्दशहर में सिंचाई के लिये भूमि का सर्वे

*७९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार ने बुलन्दशहर जिले की ऐसी भूमि का जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है सर्वे कराया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हां, इस क्षेत्र का सर्वे किया जा चुका है।

*८०—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—[५ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

तहसीलों के खजान्चियों (तहवीलदारों) की नियुक्ति, बरखास्तगी तथा वेतन आदि

*८१ श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसीलों में जो खजान्ची (तहवीलदार) काम करते हैं वह क्या सरकारी कर्मचारी हैं? यदि नहीं, तो उनकी नियुक्ति व बरखास्तगी आदि तथा वेतन कौन नियत करता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं हैं बल्कि सरकारी खजांचियों के निजी कर्मचारी हैं। तहवीलदारों का वेतन सरकार शासकीय आज्ञा द्वारा नियत करती है पर उनकी नियुक्ति और बरखास्तगी का अधिकार सरकारी खजान्चियों को होता है जिनके कि वे कर्मचारी हैं, पर शर्त यह है कि खजाने या मातहत खजाने में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के पहले जिलाधीश की मंजूरी लेना जरूरी है। सरकारी खजांचियों के लिये यह भी लाजिमी है कि जिलाधीश के आदेश पर वे अपने किसी भी कर्मचारी को नौकरी से हटा दें।

*८२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खजांचियों (तहवीलदारों) की नौकरी किन नियमों पर आधारित है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहवीलदार सरकारी नौकर नहीं हैं, इसलिये उनकी नौकरी के नियमों का कोई सवाल नहीं उठता।

*८३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त खजांचियों का उत्तर प्रदेशीय तहवीलदार यूनियन की ओर से सरकार की सेवा में क्या मांगें पेश की गई थीं तथा ८ नवम्बर, ५२ को उनके शिष्ट मंडल ने वित्त मंत्री से जो भेंट की थी उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तहवीलदारों की यूनियन ने समय-समय पर बहुत सी मांगें पेश की हैं, जिनमें मुख्य ये हैं—

(१) सरकारी खजांचियों की नियुक्ति के तरीक़े को खत्म कर देना और तहवीलदार, स्टेम्प वेंडर और मनी-टेस्टर को सरकारी नौकर घोषित करना।
(२) तहवीलदारों को ७५–५–१२० रुपया प्रति मास की दर से वेतन देना।
(३) डाक्टरी सार्टिफिकेट पर पूरे वेतन पर छुट्टी देना।
(४) नौकरी से हटाने या बरखास्त करने की आज्ञा के विरुद्ध अपील का अधिकार।
(५) काम के घंटे मुक़र्रर करना।
(६) केन्द्रीय सरकार की दर से महंगाई भत्ता देना।
(७) साधारण कर्मचारियों की तरह पेंशन का फायदा।
(८) नान-बैंकिंग खजानों के बैंकिंग खजानों में बदले जाने पर जिन तहवीलदारों की नौकरी समाप्त हो जाय उनको नौकरी देना।

तहवीलदारों के शिष्ट मंडल ने ८ नवम्बर, सन् १९५२ ई० को वित्त मंत्री से मिलने पर इनमें से कुछ मांगों को दोहराया। उन मांगों पर विचार किया गया, जिन्हें मौजूदा तरीके में आमूल परिवर्तन किये बिना मंजूर किया जा सकता था और उनके सम्बन्ध में आवश्यक सरकारी आज्ञा जारी की जा चुकी है। मिसाल के तौर पर इम्पीरियल बैंक की नई शाखायें खुल जाने पर कुछ तहवीलदार बेकार हो गये थे। उनके बारे में इम्पीरियल बैंक से लिखा-पढ़ी की गयी और छटनी में आये हुये उन तहवीलदारों को बैंक नौकरी में रखने के लिये राजी हो गया, जिनके पास आवश्यक योग्यता थी। इस आशय की भी आज्ञा जारी हो चुकी है कि किसी सरकारी खजान्ची को तहवीलदार की छुट्टी वेतन उसी सूरत में मिलेगा जब कि किसी तहवीलदार को सचमुच पूरे वेतन पर छुट्टी दी गई हो। सरकारी खजांचियों को इस बात की भी चेतावनी दे दी गई है कि यदि तहवीलदारों आदि के साथ उनकी धांधली का कोई मामला सरकार के सामने आया तो वह सरकार की नाराजगी का बायस होगा। बाक़ी मांगों में से कुछ पर अभी विचार किया जा रहा है और कुछ इसलिये नामंजूर कर दी गई हैं कि उन्हें माना नहीं जा सकता था, (जैसे कि ऊपर की मांग नं० २।)

अतारांकित प्रश्न

कुटीर उद्योगों के लिए बिजली की दर कम करने पर विचार

१—श्री देवकी नन्दन विभव—क्या सरकार कुटीर उद्योगों के लिये बिजली की दर कम करने पर विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

अमेठी तहसील, जिला सुल्तानपुर में नहर की योजना

२— श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमेठी तहसील (जिला सुल्तानपुर) में कब तक नहर के चालू हो जाने का सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुल्तानपुर जिले में जौनपुर ब्रांच की जो बड़ी शाखा बनाई जा रही है, उसका कुछ भाग अमेठी तहसील में हो कर जाती है। इस भाग की खुदाई हो चुकी है और पुल आदि बनने का कार्य शुरू होने वाला है। इस नहर के चालू होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे क्योंकि इसमें पानी उस समय आ सकेगा जब ऊपर की नहरें चौड़ी हो जायेंगी।

३—श्री रणञ्जय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमेठी तहसील में नहर की योजना के अनुसार अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा कुल कितने व्यय का अनुमान है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नहर योजना के सम्बन्ध में २०,००० रुपया खुदवाई पर और २०,००० रुपया ईंटे फुकवाने पर, अर्थात् कुल ४०,००० रुपया अब तक व्यय किया जा चुका है।

इस तहसील में जौनपुर ब्रांच की बड़ी शाखा के अतिरिक्त चिलबिला डिस्ट्रीब्यूटरी के ६ मील भी बनेंगे। अनुमान है कि इस कुल काम पर १,५०,००० रुपया व्यय होगा।

४—श्री रणञ्जय सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अमेठी तहसील में नहर योजना के कारण किसानों के कितने एकड़ खेत लिये गये तथा उन्हें कितना प्रतिकर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नहर योजना को नियत समय में समाप्त करने के हेतु लगभग ६० एकड़ भूमि प्राप्त हो गई है। भूमि अधिकृत करने की कार्यवाही के कागजात इस समय सम्बन्धित जिलाधीश के पास हैं। अभी कोई प्रतिकर नहीं दिया गया है। चीफ इंजीनियर को आदेश दिया गया है कि शीघ्र प्रतिकर देने की कार्रवाई का प्रयत्न करें।

५—श्री रणञ्जय सिंह—क्या यह सत्य है कि अमेठी तहसील में नहर की योजना सम्प्रति स्थगित कर देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक के लिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नहर की योजना सम्प्रति स्थगित करने का कोई विचार नहीं है।

तहसील अमेठी में नलकूप की योजना

६—श्री रणञ्जय सिंह—क्या अमेठी तहसील में नल कूप की भी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अमेठी तहसील में नलकूप की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फ़तेहपुर में बिजली उत्पादन के लिये योजना

७—श्री अनंतस्वरूप सिंह—क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर सिटी में बिजली उत्पादन के लिए सरकार कोई योजना तैयार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार इस पर विचार कर रही है कि फतेहपुर को बिजली कैसे दी जाय।

शाहदरा-सहारनपुर सड़क को बागपत से शाहदरा तक पक्की करने की आवश्यकता

८—श्री रघुवीर सिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहदरा-सहारनपुर सड़क को बागपत से शाहदरा तक पक्की बनवाने का सरकार का विचार है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं।

९—श्री उमाशंकर— दिसम्बर, १९५३ ई को प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

रामपुर में नलकूपों की गूलों की लम्बाई

१०—श्री कृष्ण शरण आर्य—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर जिले की तहसील शाहाबाद तथा मिलक के क्षेत्रों में स्थित किन-किन सरकारी ट्यूब वेलों की गूलें कितनी-कितनी लम्बाई में पक्की बनी हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रामपुर जिले की मिलक तहसील में कोई सरकारी नलकूप नहीं हैं। इस जिले की शाहाबाद तहसील में २५ सरकारी नलकूप हैं जिनमें से १८ नलकूपों पर गूलें १/४ मील से १ मील की लम्बाई तक पक्की बनी हुई हैं।

* उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सामने में यू० पी० सिविल लाज (रिफार्म्स ऐन्ड अमेंडमेंट्स) बिल पेश कर रहा हूं। इसके साथ मेरी तजवीज यह है कि यह बिल एक सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय, लेकिन विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया है कि वह इस पर गौर करेंगे। चुनांचे यह मामला उस दिन आगे नहीं बढ़ सका। आज मैं फिर यह तजवीज करता हूं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाय। सन् १९५० में सरकार ने एक कमेटी जिसके सदर जस्टिस वांचू थे बनायी थी। उस कमेटी ने काफी लोगों के बयान ले कर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल सरकार को दी, जो मेम्बरान को आज के कब्ल मिल चुकी होगी। और उन्हें इत्तिला होगी कि इसमें क्या लिखा है। यह पहला कदम सरकार ने इस लिए उठाया है कि हम अपने कुछ दीवानी के कानूनों में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, जैसे Indian Evidence Act, Transfer of Property Act, Provincial Small Cause Courts Act and the Code of Civil Procedure, etc.

गालिबन बिल के उसूलों से किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। वांचू रिपोर्ट की दूसरी सिफारिशों पर गौर हो रहा है। इस वक्त तो यह मसला है कि यह मौजूदा बिल सेलेक्ट कमेटी को दे दिया जाय, जिनके नाम मैं यह तजवीज करता हूं—

(१) श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी
(२) श्री अब्दुल मुईज खां

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री सैयद अली जहीर]

(३) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
(४) श्री अजीज इमाम
(५) श्री बाबूराम गुप्त
(६) श्री त्रिलोकी नाथ कौल
(७) श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
(८) श्री भूपाल सिंह खाती
(९) श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट
(१०) श्री केदारनाथ
(११) श्री कल्याण राय
(१२) कुंवर बलबीर सिंह
(१३) श्री धर्मसिंह
(१४) श्री वीरेन्द्रपति यादव
(१५) श्री शिवराज सिंह
(१६) श्री नारायण दत्त तिवारी
(१७) श्री मदनमोहन उपाध्याय
(१८) श्री मलखान सिंह
(१९) श्री उम्मेद सिंह
(२०) श्री जोरावर वर्मा

मैं विधान सभा से इस्तदुआ करूंगा कि मेरी इस तजवीज को मान लें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—यह वाकया है कि सरकार का इरादा कुछ अंश तक निर्दोष है और इस बिल की मंशा से किसी का विरोध नहीं हो सकता। लेकिन हमें आशा थी कि इस मौके पर न्याय मन्त्री की ओर से एक व्यापक संशोधन के रूप में बड़ा विधेयक उपस्थित होगा यह हमारी तरफ से अध्यक्ष महोदय मांग होती रही है। अगर्चे हमारे देश में सन् १९४६ ई० से यानी ७-८ साल से कांग्रेस सरकार है, लेकिन जनता की मांग, पार्लियामेंट के मेम्बरों की मांग, विधान सभा के सदस्यों की मांगों के अलावा भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन्डियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत आंशिक संशोधन हुए हैं। माननीय न्याय मन्त्री जी ने अभी आनरेबिल जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उसका जिक्र किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के पास लगभग दो साल से है और मुझे ताज्जुब हुआ कि दो साल की मेहनत के बाद भी न्याय मन्त्री जी ने एक साधारण सा विधेयक उपस्थित किया और नाम-मात्र के लिए सिविल लाज में सुधार किये गये हैं। इस विधेयक द्वारा आठ कानूनों में सुधार करने की व्यवस्था की गयी है, जैसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, इन्डियन एविडेंस ऐक्ट, प्राविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस् ऐक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यू० पी० ऐग्रीकल्चर कोड, यू० पी० ऐग्रीकल्चर रिलीफ ऐक्ट, इत्यादि। इस तरह से ८ कानून हैं, और संशोधन भी ८ हैं।

सरकार ने इसलिए कि जनमत जबरदस्त है और विरोधी दल भी दो साल से मांग करता रहा है कि इन लाज में व्यापक सुधार होने चाहिए। इसलिए इस जबरदस्त मांग के लिए एक बहाने की शक्ल में यह विधेयक आया है ताकि जनता भी कहे कि सरकार सुधार करती चली जा रही है और किसी को आपत्ति न हो सके।

अध्यक्ष महोदय, जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उसके टर्म्स आफ रिफ़ेंस को मैं संक्षिप्त रूप में यहां पर रखना चाहता हूं। उसके टर्म्स आफ रिफ़ेंस इस प्रकार हैं कि —

(1) to enquire into the system of administration of Justice in this State with particular reference to—

(*a*) the causes accounting for delay in the disposal of cases and other proceedings ;

(*b*) the rules of procedure and other factors which encourage unnecessary litigation and involve the parties in heavy expense ; and

(2) To report—

(*a*) What reforms are desirable in the present system of administration of Justice as will ensure to the people of the State Justice expeditiously, at less expense and without unnecessary litigation ;

(*b*) what changes are required in—

(i) the law of procedure, civil and criminal ; and in other laws, and

(ii) in the rights of appeal, etc.,

so as to simplify the processes of law and bring justice within the reach of the common man ;

(*c*) whether the system of trial with the aid of jury or assessors should be further extended, limited or eliminated and, if so, in what class or classes of cases;

(*d*) what steps are necessary to minimise the evil of perjury in law courts ; and;

(*e*)) what should be the general set-up, powers and jurisdiction of the courts, original and appellate, for attainment of the object referred to in clause (*a*) aforesaid.

अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान दिया है कि कितने व्यापक सुधारों के बारे में टर्म्स आफ रिफ़ेंस थे और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उक्त कमेटी ने कितनी संख्या में सुधार प्रस्तावित किये थे, वह न्याय मन्त्री जी को मालूम होगा। जूडीशियल रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट भी दो साल से हमारे सामने है, और सरकार की आसानी के लिए उसमें समरी भी दे दी गयी है ताकि हमारे न्याय मन्त्री जी को कोई दिक्कत भी न हो। इसमें अध्यक्ष महोदय, रिफ़ेंस बाई चेंजेज इन लाज करके कितने सुधार किये जा सकते हैं, यह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जनरल रिफार्म्स की संख्या ८ है।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जनरल रिफार्म्स की संख्या ८ है, सिविल की ३६, और रेवेन्यू की ३० है। विदाउट रिफरेंस चेंजेज की संख्या इस प्रकार बतायी गयी है—जनरल १६, सिविल ४, क्रिमिनल ७। जनरल वर्किंग के बारे में जो सुधार बताये गये हैं वे इस प्रकार हैं—सिविल ९, जनरल ९ तथा क्रिमिनल ३।

वांचू कमेटी ने इतने जबरदस्त सुधार रिकमेन्ड किये हैं लेकिन माननीय मन्त्री ने केवल दो विधेयक इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किये हैं—क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दो धारायें बदली जा रही हैं, तथा सिविल में केवल ८ धाराओं में ८ संशोधन उपस्थित किये गये हैं।

इन सब के अतिरिक्त एक और व्यापक प्रश्न था, जिसकी ओर भी सरकार का पूरा ध्यान नहीं गया है। विरोधी दल और सरकारी दल की तरफ से तथा जनता की तरफ से इस

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

बात की बहुत मांग थी, कि जुडिशियरी को ऐडमिनिस्ट्रेशन से अलहदा किया जाय, लेकिन अभी तक केवल १० जिलों में ही नाममात्र को सेपरेशन किया गया है, तथा उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के अधीन रखा गया है। वांचू कमेटी ने भी जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें भी इस बारे में जबरदस्त मांग की गयी है लेकिन इतने दिनों के बीत जाने पर भी केवल १० जिलों में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अलहदा किये गये हैं और उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन रखा गया है। वांचू कमेटी ने कहा है कि उनको हाई कोर्ट के अधीन रखा जाना चाहिए ताकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन पर बेजा असर न डाल सकें। इस सम्बन्ध में विरोधी दल और जनता को शांत करने के लिए दिखावे के तौर पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रख दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनके कामों में इन्टरफियरेंस करते हैं, ऐसी कितने ही जुडिशियल आफिसरों की शिकायत है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही उनकी तरक्की आदि के बारे में रिपोर्ट देते हैं और जैसी उनकी रिपोर्ट होती है, वैसी ही कार्यवाही की जाती है। एक बात और है, वह यह है कि जहां तहसीलदारों को ५०० रुपया तनख्वाह २५ रु० माहवार तरक्की दी जाती है, और उनकी तरक्की हजारों रुपये तक जाकर वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक हो सकता है। वहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को केवल ३०० रुपया से ५०० रुपया तक दिया जाता है। उससे आगे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमान् जी, जो विधेयक इस समय विचाराधीन है, वह सिविल के बारे में है, इसलिए उसके सिलसिले में क्रिमिनल लाज और रेवेन्यू लाज का हवाला देना असंगत मालूम देता है।

श्री अध्यक्ष---आप अपने को विधेयक तक ही सीमित रखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---श्रीमान् जी, यह मैंने इसलिए कहा कि वांचू कमेटी का हवाला उद्देश्य और कारणों में भी दिया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है---

> "सन् १९५० में राज्य सरकार ने इलाहबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिए और विशेषतः मुकदमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यय के विषय में जांच करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए सुझाव देने के निमित्त एक समिति नियुक्त की थी।"

और माननीय न्याय मन्त्री ने समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही संशोधन रखे हैं। इसलिए उसके बारे में मैंने पासिंग रिफरेंस दे दिया था।

श्री अध्यक्ष---आप पासिंग रिफरेंस दे सकते हैं लेकिन उसकी डिटेल में नहीं जा सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, वांचू कमेटी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उनकी तफसील में न जाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ नमूने में आपके सामने रखना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं---

"1. More cases may be tried as Small Cause Court cases.

2. The period of limitation for suits under summary procedure may be increased.

Process may by issued simultaneously by registered post."

ये तीन मामूली सुधार हैं जो मैंने आपके सामने रखे।

"Presumption of section 90 should also apply to certified copies of documents which are 30 years old.

Registered documents or their certified copies produced from proper custody may be accepted by the Courts."

इस समय ये सुधार उपस्थित किये गये हैं। क्रिमिनल के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड खुद आने वाला है। तो जेनरल में ऐसे सुधार हैं जिनको कानूनी रूप में देने की जरूरत नहीं है। मैं दो तीन सुझाव आपके सामने रखता हूं।

"Refund voucher should be delivered within four days.
Senior lawyers should appear with comp tent juniors.
Emergent matters relating to companies and other Civil matters should also be heard during Civil Court vacations."

तो ये साधारण सुधार तो कानून में बिना परिवर्तन हुए हो सकते थे। यदि ऐसा नहीं होता, तो ऐसी सूरत में इस विधेयक का स्वागत करना काफी तो है ही। लेकिन सरकार ने देर से ही सही, "देर आयद दुरुस्त आयद" जनमत का थोड़ा सा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और उसने थोड़े से सुधार किये। लेकिन मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए यह बतलाना चाहता हूं कि यह जनमत की और हमारी भी जबरदस्त मांग है।

श्री अध्यक्ष—आप इस प्रस्ताव के अपोजीशन में बोल रहे हैं, या कोई संशोधन आप पेश कर रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—शुरू में ही मैंने कह दिया था कि सरकार की तरफ से जो सुधार उपस्थित किये गये हैं, मैं इस अवसर को लेते हुए इसकी इनएफिशियेंसी के बारे में कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आखिर आप क्या कह रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सरकार ने जो सुधार पेश किया है, वह नाकाफी है, उसी पर मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो क्या आप इसका सरकुलेशन चाहते हैं या कोई अन्य बात चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं सरकार के समर्थन में ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो समर्थन के लिए इतना डिटेल में जाने की विशेष आवश्यकता नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर माननीय न्याय मन्त्री से इशारा मात्र किया है कि जनमत की ओर से विरोधी दल की जबरदस्त मांग है कि सिविल ला के सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिया जावे और एक व्यापक विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित किया जावे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सम्मानित सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है, इसके विरोध में म खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इसके उद्देश्य और कारण पर यदि दृष्टिपात किया जाय, तो इस विधेयक के द्वारा उस मंशा और उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, जिसक लिए कि यह विधेयक इस सदन के सामन लाया

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

गया है। श्रीमन्, माननीय जस्टिस वांचू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी थी। उसका मंशा यह था, और इस कर्तव्य के लिए वह नियुक्त की गयी थी कि मुकदमेबाजी में जो फिजूलखर्ची है, वह कम की जाय। जस्टिस में जो डिले होता है, वह दूर किया जाय और जिस कदर हो सके फिजूल मुकदमेबाजी को रोका जाय। श्रीमन्, इस विधेयक को देखते हुए इसके ऊपर जितने भी संशोधन लाये गये हैं, वे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक भी नहीं दिखलायी देते हैं।

अब मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान एविडेंस ऐक्ट की दफा ९० का तरफ दिलाता हूं। जो डाकुमेंट्स २० साल पुराने हैं, उनको साबित करने के लिए इस बात की जरूरत नहीं थी कि उसके लिए किसी दीवानी अदालत में कोई साक्षी बुलाया जावे, या एक्जीक्यूटर बुलाया जावे या किसी तरह की शहादत हो। लेकिन इस विधेयक में ३०साल से कम करके २०साल किया गया है। श्रीमन्, स्वयं माननीय न्याय मन्त्री जी को भी इसका अनुभव होगा और वे भविष्य में भी देखेंगे कि इस तरह के संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं थी। ड्यूली रजिस्टर्ड डाकुमेंट्स जो हैं उनको प्रमाणित करने के लिए किसी भी दीवानी अदालत में जाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन श्रीमन्, इसका परिणाम यह होगा कि बहुत से ऐसे डाकूमेंट्स जो रजिस्टर्ड कराये जाते हैं, गवाह जिस तरह से उन पर होते हैं उनकी वजह से बहुत से दस्तावेज जैनुइन नहीं होते हैं। अब उनको जैनुइन मान लिया जायगा महज इस वजह से कि उनके गवाह नहीं आ सकेंगे। अब श्रीमन्, किन सरकमस्टांसेज में वह डाकूमेंट्स किये गये थे इसका कोई सबूत नहीं होगा। इससे बहुत सी गड़बड़ियां उत्पन्न हो जायंगी और माननीय मंत्री एक तरह से लोगों को बेईमानी कराने पर उतारू करने के लिये आमादा हैं।

इसी तरह से एक संशोधन इंडियन एवीडेंस ऐक्ट में है। ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में अमेंडमेंट किया जा रहा है। इस संशोधन से कोई लाभ नहीं निकलने वाला है। अब १५ दिन की नोटिस की मियाद को बढ़ाकर ३० दिन की नोटिस का किया जा रहा है। इससे न कोर्ट्स के काम में कमी होती है और न फिजूलखर्ची में कमी होती है और न जस्टिस की डिले में कमी होती है। महज नोटिस देने वालों के लिए एक थोड़ा सा प्रतिबन्ध होता है और नोटिस देने के लिये एक सहूलियत जो यह बरती गयी है कि उस नोटिस की मियाद किरायेदारी की आखिरी तारीख की नहीं रहेगी इससे इस विधेयक के उद्देश्य में कोई सरोकार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस पर प्रकाश डालें। ट्रांसफर आफ इंडियन प्रापर्टी ऐक्ट की धारा १०६ में परिवर्तन करने से जस्टिस के जल्दी मिलने या कम खर्च में मिलने में कौन सा लाभकारी, कल्याणकारी और श्रेयस्कर कदम उन्होंने उठाया है ?

प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट्स ऐक्ट के शिड्यूल २ में भी संशोधन किया जा रहा है। जहां तक किसी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात है उसमें मुझे हर्ष है और मैं मंत्री महोदय को बधाई भी दे सकता हूं परन्तु इससे भी विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होता। मैंने यह माना कि अधिकार क्षेत्र बढ़ने से और अदालतों का काम हलका होता है लेकिन स्माल काजेज कोर्ट्स का जहां तक सम्बन्ध है उनके पास भी काम किसी माने में कम नहीं है। बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट, १८८७ में जो संशोधन किया जा रहा है उससे भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। अब तक ५ हजार से ऊपर हाईकोर्ट के अधिकार-क्षेत्र में था और १० हजार तक उसको मुकदमा देखने की इजाजत दी जा रही है। बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट की दफा २० में यह प्राविजन है कि कोई भी आर्डर जो है वह अपीलेबिल है।...

श्री अध्यक्ष—आप मुख्तसिर में कहिये। आपका जो उद्देश्य कहने का है वह तो यही है कि इस बिल में जितने अधिनियम में परिवर्तन या संशोधन किये जा रहे हैं उनसे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। मैंने इसीलिये बीच में आपको नहीं टोका कि अगर

आप उदाहरण नहीं देंगे तब तक समझ में आपकी बात नहीं आयेगी लेकिन आप सब संशोधनों की बात शुरू कर देंगे तब तो वह क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन हो जायगा और उसकी मैं इजाजत इस वक्त नहीं दूंगा ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में कह रहा हूं और उदाहरण देकर बतला रहा हूं, उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, यह बात आप क्लाज लेकर बतला रहे हैं। एक एक क्लाज को लेकर आप यह बतला रहे हैं कि क्लाज में जो सुधार किया गया है उससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—यह जो विधेयक पेश किया गया है इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किये जा रहे हैं। उसके विरोध में मुझे यह कहना है कि जहां तक मुकदमेबाजी का ताल्लुक है शुरुआत में यह हुआ करता है कि अगर किसी पार्टी ने शुरुआत में यह उजर नहीं लिया कि यह डिफेन्स का क्लेम है और प्रिविलेज है तो श्रीमन्, तब तक यह प्ली नहीं हो सकती है कि अदालत के हाथ बांधे जायं। माननीय मंत्री जी स्पेशल क्लाजेज पास कर रहे हैं। अगर किसी पार्टी की हुकूमत है और दूसरी पार्टी या फरीक इस बात पर आपत्ति करता है कि यह उसका प्रिविलेज है और उस वक्त वह इस बात की प्ली नहीं लेता है तो अदालत के लिये यह मौका है कि मुकदमे की पैरवी हो। किसी के पास धन की कमी है जिसकी वजह से वह अदालत में न्याय नहीं पाता है तो डिफेन्स का यह प्रिविलेज है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार सिविल प्रोसीजर कोड में है और वह जरूरी मालूम होता है।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में संशोधन हो रहा है वह तो मुझे कबूल है और उस पर मुझे विशेष आपत्ति नहीं है। इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट में हम यह करने जा रहे हैं कि डिगरीदार अपनी डिगरी को जिन्दा रखने के लिये और अपनी मियाद बढ़ाने के लिये केस दायर करता है और इसमें वह मियाद बढ़ाई गयी है। उसका ३ साल से ६ साल कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप ६ साल के बजाय उसका १२ साल कर दें तो यह उचित होगा, क्योंकि उसमें भी आपको आपत्ति नहीं होगी

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह डिटेल की बात है सेलेक्ट कमेटी में भी कही जा सकती है।

श्री केशव गुप्त—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय न्याय मंत्री ने प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में विधान सभा के सामने रखा है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह बात मानी हुई है और स्वयंसिद्ध है कि हमारे यहां जो मौजूदा न्याय की प्रणाली है वह हमारे देश और प्रदेश की परम्परा और वर्तमान परिस्थिति के बिलकुल विपरीत है। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि जिन लोगों को इन कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने का मौका मिला या जिनको अदालत में मुकदमा ले जाने का मौका मिला वह जानते हैं कि आज न्याय दिया नहीं जाता है बल्कि आज न्याय बेचा जाता है। जितना पैसा जिसके पास होता है उतना न्याय उसको मिलता है। जिसके पास पैसा कम है उसको न्याय नहीं मिलता है। इंग्लैंड के अन्दर भी न्याय दिया जाता है लेकिन वहां पर पैसा नहीं लिया जाता है। हमारे यहां पर गरीब लोगों को न्याय मिलने की सुविधा नहीं है। इस सिविल ला के अन्दर आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ऐसा न्याय बनाने की आवश्यकता है जिससे सरल और सीधा न्याय हम दे सकें और पैसे से हम न्याय न दें।

[श्री केशव गुप्त]

इसीलिये वान्चू कमेटी रिपोर्ट में राइटिंग आन प्रिंसिपल ला के अन्दर इस ओर इशारा भी किया गया है, लेकिन यह मानी हुयी बात है कि इन सिविल लाज को जिनको हम तरमीम कर रहे हैं उनका सम्बन्ध सारे देश से है और उनकी आवश्यकता भी है। उनका यह कहना भी ठीक है कि यदि हम उन में आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो वह तो हमारे देश की संसद को करना होगा ताकि वह सारे देश और प्रदेशों में एकसा लागू हो सके। लेकिन अपने प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए जितना हम कर सकते हैं और हमारी जितनी न्याय की सीमा है उसको सामने रखते हुये हम भी एक हदतक जा सकते हैं। इस तरफ वांचू कमेटी की रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है। परन्तु हमें इस बात का दुख है कि संशोधन का दायरा बहुत ही सीमित रखा गया है और जिन सीमित संशोधनों की ओर इशारा किया गया है वे बहुत ही आवश्यक हैं और उनकी ओर जल्द ही क़दम उठाना चाहिये था। उस रिपोर्ट को सामने आये हुये भी आज २ साल हो गये लेकिन दो साल के बाद भी जो बिल आता है तो उसमें भी केवल ४—५ संशोधन ही सामने रखे गये हैं और ५०—६० सिविल लाज के संशोधन छोड़ दिये जाते हैं जो बहुत आवश्यक थे। मौजूदा संशोधनों में समय कम लगे इसके लिये बहुत कम तरकीब की गयी है। अगर प्रोसीजर में कुछ तब्दीली कर दी जाती तो देर जरूर आगे कम लगने की सम्भावना हो सकती थी। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोसेस सर्वर के जरिये से तामील में बहुत देर लगती है। उसके बजाय अगर रजिस्ट्री डाक से करने की तजवीज होती तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अब देश के कोने-कोने में डाकखाने मौजूद हैं। ऐसा संशोधन भी बहुत जल्द हो सकता था। इसी तरह से गारजियन्स के एप्वाइन्टमेन्ट के बारे में भी बड़ी आसानी से तरमीम की जा सकती थी, इसी तरह से प्राविंशियल स्माल काजेज कोर्ट की सीमा को भी ५०० रुपये तक आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा जिन चीजों से आज दिक्कत होती हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन इस समय हो सकता था जिससे सूबे में जरा खलबली मच सकती थी।

जो संशोधन किये जा रहे हैं उनका तो मैं स्वागत करता हूं, परन्तु मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट में जो १५ दिन के बजाय ३० दिन की अवधि रखी गयी है और आप ने एक्सपायरी आफ डेट की बात अब नहीं रखी है। जिसकी वजह से दोबारा-तिबारा मुकदमें लाना पड़ते थे लेकिन आप ने जो सहूलियत लैन्डलार्ड को दी है उसी तरह से लेसी को भी आप को मौका देना चाहिये और जिस तरह से वह खत्म कर सकता है उसी तरह से उसको भी किसी भी तिथि को ३० दिन का नोटिस देकर टेनेन्सी खत्म करने का मौक़ा मिलना चाहिये। आप की तरमीम से तो केवल लैन्डलार्ड को ही सुविधा मिलती है, लेकिन किरायेदार की दिक्कतें वैसी ही बनी रहेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति में इस बात के ऊपर ध्यान रखा जाय और जो चीजें वांचू कमेटी की रिपोर्ट में हैं उनका विस्तार भी प्रवर समिति में बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की रूलिंग भी हो चुकी है कि धाराओं के आगे भी उसके रूप को आप ले जा सकते हैं। इसलिये प्रवर समिति में जितने और संशोधन इसमें हो सकते हैं वह और किये जायं और वांचू कमेटी की रिपोर्ट के काफी सुझाव इसमें लाये जा सकते हैं ताकि वांचू कमेटी की रिपोर्ट का सफल इस्तेमाल हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी की ओर से जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के सम्बन्ध में आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अब तक विरोध केवल इस बात का किया गया है कि इसका प्रसार बहुत कम है और जो सिफारिशें वांचू कमेटी रिपोर्ट में हैं वे इसमें नहीं हैं। लेकिन यह जरा सोचने की बात है कि जहां तक सिविल लाज का ताल्लुक है तो जुरिस्प्रूडेंस इस बात

को बताती है कि सिविल ला चूंकि कन्वेंशन पर निर्धारित हुआ करता है और ये कन्वेंशन जो होते हैं वह बाप दादों के जमाने से चले आते हैं। इसलिये हर गवर्नमेंट का यह फ़र्ज है कि जहां तक सिविल लाज में परिवर्तन का ताल्लुक है वह परिवर्तन कम से कम किए जाय जहां तक क्रिमिनल लाज के परिवर्तन का प्रश्न है उससे तो इतनी ज्यादा हानि नहीं होती लेकिन सिविल लाज को चेंज करने में हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिये यह पुराने जमाने से चले आते हैं और इनका बड़ा भारी असर हम सब पर पड़ता है। इसलिये इनमें कम से कम चेंज होने चाहिये। मेरा ख्याल यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो थोड़े से इनमें चेंजेज किये हैं वह इस ख्याल के मातहत किये हैं कि देखें इसका असर पब्लिक पर क्या पड़ता है। अगर यह असर अच्छा पड़ेगा और अगर ये सफल हो जायंगे तो मेरा ख्याल यह है कि यह हमारा पहला इंस्टालमेंट होगा। इसके बाद दूसरे इंस्टालमेंट आयेंगे और जितनी रिकमेंडेशन वांचू रिपोर्ट में दी गयी हैं उन सबको मान लिया जायगा। अपने इस आइडिया के मातहत जहां तक मेरा ख्याल है मंत्री जी ने इस सिविल लाज में संशोधन किया है। एक बड़ी गलतफहमी हो गई, ला के बारे में हमारे माननीय सदस्य को कि जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट यह ला बदल रही है कि एविडेंस ऐक्ट में जो डाकुमेंट्स होंगे उनकी सर्टीफाइड कापीज ही पर्याप्त हो जायंगी एक जज के लिये इस बात को तय करने के लिये कि वह लेख्य कहां तक सही है। यहां जो शब्द है, वह है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन और पर्याप्त में बड़ा अन्तर है। पर्याप्त मान लिया जायगा उनका यह कहना गलत है। प्रिजम्पशन के माने यह हैं कि बगैर किसी विरोध के वह document उस वक्त तस्लीम कर लिया जायगा जब तक कि वह दूसरी पार्टी की ओर से झूठा निर्णीत न हो जाय। फर्ज कर लीजिये कि पार्टी ने कोई गलत डाकुमेंट्स दे दिये तो दूसरी पार्टी उस प्रिजम्पशन को तोड़ सकती है। दूसरी पार्टी और साक्षियों को बुला सकती है और बुला करके उस प्रिजम्पशन को रद्द कर सकती है और बेइमानी का भंडाफोड़ कर सकती है। चूंकि उन्होंने पर्याप्त का शब्द इस्तेमाल किया, इसलिये वह यह दलील दे गये। लकिन वह दलील गलत है।

अब सिर्फ दो एक बातें सिविल लाज को चेंज करने के संबंध में बांचू कमेटी के सामने थीं। एक तो यह थी कि यह भ्रष्टाचार कैसे दूर हो और दूसरी यह थी कि जिले कैसे दूर हो। हमें यह दखना चाहिये कि इन उद्देश्यों से जो इस ला में संशोधन किया गया है वह कहां तक पर्याप्त हैं। यह सही है कि यह उतनी हद तक नहीं जाता जितनी कि वांचू कमेटी रिपोर्ट ले जाना चाहती है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ दूर तक तो आता ही है।

जहां तक कि करप्शन का ताल्लुक है उसमें मैं कहूंगा कि अगर इसमें प्रसार बढ़ सके तो जिस वक्त कि यह प्रवर समिति के सामने जाय उस वक्त इसके स्कोप को बढ़ाया जाय और माननीय मंत्री जी को दो बातों का इसके लिये ख्याल रखना चाहिये। जहां तक करप्शन का सवाल है, जुडिशल आफिसर्स के अप्वाइन्टमेंट्स जो होते हैं, उनमें जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिये। इनके अप्वाइन्टमेंट्स के बारे में बांचू कमेटी में भी काफी रिकमेंडेशन है, उनको भी सोचना चाहिये और अपने जो ओरिजनल विचार हों इसके संबंध में उनको भी सोचना चाहिये। इनके अप्वाइंट्मेंट्स में जो मुंसिफ वगैरह आ जाते हैं इनके बारे में विचार करना चाहिये। दूसरे यह कि करप्शन को दूर करने के लिये यह जो वांचू कमेटी रिपोर्ट है कि सेपरेशन आफ पावर हो, जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिये। इस पर भी विचार करना कि कहां तक हम इसको ले जा सकते हैं। इस बिल के अन्दर यह नहीं है लेकिन यह चीज जरूरी है कि सेपरेशन आफ पावर हो। इसे सोचना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि क्या यह ठीक होगा कि हम जुडिशिल मैजिस्ट्रेट की जगह क्रिमिनल मुंसिफ रख दें। जहां तक इस ला का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि इसमें तो जरूरत नहीं है क्योंकि सिविल ला में तो जज पहले से अलग हैं। क्रिमिनल ला में इसकी जरूरत पड़ेगी।

जहां तक डिले का ताल्लुक है इसमें एक चीज जरूर सोच लेनी है वह यह है कि प्रोसेस के संबंध में हमें जरूर कुछ न कुछ करना है। सर्विस में जो डिले हो जाती है उसको

[श्री नौरंग लाल]

जरूर चेक करना है। उसकी वजह यह है कि सिविल ला पर इससे असर नहीं पड़ेगा। प्रोसेस जो होता है यह सब्सटैंशियल ला से अलग है, इसमें तब्दीली आसानी से कर सकते हैं। तो जिस वक्त यह प्रवर समिति के सामने पेश हो उस वक्त यह सोच लेना चाहिये कि प्रोसेस में जहांतक हो सके तबदीली की जाय। सेक्शन ३ से ५ तक प्रोसेस के बारे में इसमें है और यह कि वकील मौजूद हो, मुवक्किल के होने की जरूरत नहीं है, तो यह चीज भी आसानी से ली जा सकती है। यह कोई ला में रिवाल्युशनरी चेंज नहीं है। इससे प्रोसेस में थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हो जायगा। तो जिस वक्त यह प्रवर समिति के सामने जाय, इन चीजों पर विचार कर लिया जाय।

इस तरह से, चूंकि यह एक माडेस्ट ला है, पहला इंस्टालमेंट है, जल्दी में लाया गया है, एक काम्प्रिहेंसिव ला जैसा कि हमारे विरोधी दल के भाई चाहते हैं, एक सम्पूर्ण ला जिसमें वांचू कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस आ जायं और मान ली जायं और करप्शन दूर हो जाय, उसे लाने में तो अभी देर लगेगी। क्योंकि जो लाज कि सालों से बने हैं, जिन पर रूलिंग हो चुकी है, पब्लिक जिनकी काफी आदी हो गयी है उनको एक दम चेंज करके गवर्नमेंट भी सुख से नहीं रह सकती है। लाज के चेंज के लिये एक साल, दो साल की मुद्दत कोई चीज नहीं होती है। उसमें १०–५ साल लग सकते हैं। इसलिये इस देरी से बेचैन नहीं हो जाना चाहिये। इसलिये जहां तक काम्प्रिहेंसिव चेंज का ताल्लुक है उसमें समय लगेगा, लेकिन यह छोटा सा इंस्टालमेंट है उसको मैं खुशआमदीद कहता हूं, इसका शुभागमन करता हूं। अगर लागू होने के बाद इसको कामयाब समझा गया तो हम आगे चल कर अधिक परिवर्तन भी करेंगे। इतना कहने के पश्चात् जो कि प्रस्ताव आया है उसका मैं हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं और अपने विरोधी नेताओं से और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सबर से बैठें जल्दी न करें। एक दो साल के अन्दर सारे ला में परिवर्तन हो जायगा जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि जो बातें यहां कही गयी हैं उनको दोहराना ठीक नहीं समझता हूं और जो अमेंडिंग बिल सदन के सामने रखा गया है उसका स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

लेकिन स्वागत करते हुये श्रीमान, सरकार से इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं कि वांचू कमेटी की रिपोर्ट में जितने और भी आइटम्स थे जिन पर वह रिफार्म्स चाहते थे उनपर अगर एक काम्प्रिहेंसिव बिल बहुत जल्दी आ जायगा तो जो वांचू कमेटी बैठी थी उसका फायदा हमारी प्रान्त की जनता को भी मिल जायगा। हमारे माननीय नौरंग लाल जी का तो कहना है कि वह कानून जो पुराने वक्तों से चले आ रहे हैं और लोगों को आदत पड़ी हुई है और गांव के जो बैरिस्टर्स होते हैं उनकी समझ में वे वकीलों से ज्यादा कानून जानते हैं और उनकी ही सलाह का फायदा माननीय नौरंगलाल जी उठाना चाहते हैं, इसलिये वह चाहते हैं कि यह पुराने कानून चलते रहें और उनमें तब्दीली न हो। उनका मंशा है। यह जो उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने रखा है वह बहुत अच्छा है लेकिन जितना वह कहते हैं वह करते नहीं हैं, इसी का अफसोस है। इसमें लिखा है —" In 1950 the State Government appointed a committee under the chairman-ship of Mr. Justice K. N. Wanchoo of the Allahabad High Court to enquire into the system of administration of justice in this state with particular reference to the causes accounting for delay in the disposal of cases, multiplicity of proceedings, and heavy expenses and to suggest measures to curtail unnecessary litigation and to secure speedy justice at less expense..."

[सन् १९५० में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के० एन० वांचू की अध्यक्षता में न्याय प्रशासन की प्रणाली की जांच करने के लिये और विशेषतः मुकदमों के निस्तारण में देरी, कार्यवाहियों की बहुलता और अधिक व्यय के विषय में जांच करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करने और अल्प अवधि में ही शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिये सुझाव देने के निमित्त एक समिति नियुक्त की थी।]

अध्यक्ष महोदय, इन में से कोई भी चीज नहीं हुई है। खर्चे की भी कमी नहीं होती है। आज कल की अदालतों में गरीब आदमी जो जा ही नहीं सकता है। आजकल जस्टिस बहुत कास्टली हो गई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जितने भी इसमें चेंजेज हो सकती हैं या जितने अडीशन्स हो सकते हैं वह सब किये जायं। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि जस्टिस वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट उनके सामने आई है उसमें जहां जहां भी उन्होंने सिविल लाज और क्रिमिनल लाज में संशोधन सजेस्ट किये हैं वह सब हाउस के सामने लाये जायं।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं उनके संबंध में मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि सरकार उन सब बातों को, जिनकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, यथासंभव करना चाहती है। वान्चू कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके तीन हिस्से हैं। एक हिस्सा वह है जिसके बारे में एक्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शन देने थे। उसके बारे में कोई कायदा या कानून बनाने की जरूरत नहीं थी बल्कि सिर्फ हिदायतें भेजनी थीं अदालतों को। वह सब भेज दी गई हैं। जहांतक एक्जीक्यूटिव का ताल्लुक है, जो चीजें ऐसी थीं जिन के बारे में हाईकोर्ट को रूल्स तैयार करने थे। उसके लिये हाईकोर्ट को लिखा गया। हाईकोर्ट ने कुछ कर दिये हैं और मुझे आशा है कि और भी कर देंगे। अब सिर्फ जिनमें कानून बदलना था, जिनमें तरमीम करनी थी, उनके बारे में जो दीवानी के मामलात थे, उनके लिये यह बिल पेश है। जो फौजदारी या क्रिमिनल से ताल्लुक रखते हैं उनके लिये बिल दूसरा बन रहा है और वह भी शीघ्र सदन के सामने आजायगा। तो जितनी भी बातें इस समय थीं उनको यथासंभव हम जल्दी करना चाहते हैं। गवर्नमेंट आफ इंडिया भी इस पर विचार रही है। लेकिन चूंकि इसमें देरी न हो इसीलिये हमने इसे यहां आना जरूरी समझा। इसलिये मैं समझता हूं कि हमारे और श्री मदनमोहन उपाध्याय जी के बीच में इस बात को पूरा करने में कोई अन्तर नहीं है। मैं आशा करता हूं कि दूसरा बिल जब हो जायगा वह भी सब को मंजूर होगा। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, कोई मतभेद इसके बारे में मालूम नहीं होता है, कम से कम सिद्धांत क संबंध में। अब अगर इसको तफसील में कोई तरमीम करनी होगी तो वह सेलेक्ट कमेटी में हो जायगी। इसलिये मेरा सदन से यह निवेदन है कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के तकरीर करने के बाद कोई ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वान्चू कमेटी की रिपोर्ट में जो आखिर में रिकमेंडेशन्स दी हुई हैं, उनकी तरफ मैं तवज्जह दिलाऊंगा। जैसा अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया, उसके कई हिस्से हैं और उन मुख्तलिफ क़िस्म के हिस्सों के ऊपर मुख्तलिफ क़िस्म की कार्यवाहियां करनी हैं। यह जो मौजूदा बिल है यह महज एक जुज है। इसके मानी यह नहीं हैं कि उनकी और जो बहुत सी रिकमेंडशन्स हैं उन पर अमलदरामद नहीं किया जायगा या यह कि आइन्दा उनके ऊपर बिना किसी बिल के लाये अमलदरामद नहीं होगा। वह सब कार्यवाहियां जारी हैं। बाज़ी रेकमैंडेशन्स ऐसी हैं जिनमें जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की वजह से बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। सूरते हाल में अब उस सूरत से पेश करने की शायद जरूरत न हो। और अगर होगी भी तो कोई दूसरा कानून उसके मुताल्लिक़ बाद में आयेगा मसलन एग्रीक्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट। जहां तक फौजदारी के मामलात का ताल्लुक़ है उनपर हम भी ग़ौर कर रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट आफ इंडिया भी ग़ौर कर रही है। हम यह नहीं चाहते

[श्री सैयद अली ज़हीर]

कि कोई ऐसी बात हो जिसमें हमारा और उनका इख़्तिलाफ़ हो जाय इसी लिये इस में देर हो रही है, उन तजावीज़ को इस हाउस में पेश करने में। इस तरह से जो दीवानी के कानूनों में तब्दीली करने की ज़रूरत थी वह हमने मौजूदा बिल की शक्ल में हाउस के सामने पेश किया है।

मैं एक छोटी सी बात याद दिलाऊंगा। वांचू कमेटी की रिपोर्ट में यह था कि जूरी सिस्टम एबालिश कर दिया जाय। चूंकि इस सिलसिले में किसी कानून के तरमीम करने की ज़रूरत नहीं थी, महज़ एक नोटिफिकेशन की ज़रूरत थी, वह हमने कर दिया। इसी तरह से बहुत सी ऐसी बातें आप को इस रिपोर्ट में मिलेंगी कि जिनके लिये किसी कानून की ज़रूरत नहीं थी बल्कि सिर्फ अहकामात जारी करने की ज़रूरत थी और वह हमने कर दिया है। जो बातें बाक़ी हैं उनके मुताल्लिक़ हम गौर कर रहे हैं और मुनासिब कार्यवाहियां की जा रही हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में आप जानते हैं कि बहुत सा प्रोसीजर शेड्यूल २ में जो रूल्स दिये हुये हैं उनके मातहत होता है और उन रूल्स को तब्दील करने का अख़्तियार गवर्नमेंट और हाईकोर्ट को है। जो कुछ तरमीमात उनके मुताल्लिक़ करने की ज़रूरत है, वह सब की जा रही हैं। मैं यह अर्ज़ करूंगा कि यह ख़याल करना कि जो बातें रिपोर्ट में लिखी गयी हैं उनकी तरफ से हम गाफिल हैं या बिला वजह देर कर रहे हैं, यह सही नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि मौजूदा बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और इसके ऊपर गौर किया जाय। बक़िया जो और बातें होती रहेंगी, उनके मुताल्लिक़ जो कुछ इत्तिलाआत मांगी जायंगी, वह आपको दी जायंगी कि उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जिसके निम्न सदस्य हों—

१—श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी
२—श्री अब्दुल मुईज़ ख़ां
३—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
४—श्री अज़ीज़ इमाम
५—श्री बाबूराम गुप्त
६—श्री त्रिलोकी नाथ कौल
७—श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा
८—श्री भूपाल सिंह खाती
९—श्री लक्ष्मणदत्त भट्ट
१०—श्री केदारनाथ
११—श्री कल्याणराय
१२—कुंवर बलवीर सिंह
१३—श्री धर्म सिंह
१४—श्री वीरेन्द्रपति यादव
१५—श्री शिवराज सिंह
१६—श्री नारायणदत्त तिवारी
१७—श्री मदनमोहन उपाध्याय
१८—श्री मलखान सिंह
१९—श्री उम्मद सिंह
२०—श्री ज़ोरावर वर्मा

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—इस प्रवर समिति का अध्यक्ष मैं श्री न्याय मंत्री जी को मनोनीत करता हूं।

*रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, रामपुर की रियासत में गवर्नमेंट का इरादा था कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को एक विज्ञप्ति के द्वारा नाफ़िज कर दें। लेकिन वहां रियासत की तरफ से कई सौ गांवों में मुस्ताजिरी इजरा या ठेकेदारी का एक तरीका था कि जिसमें कई कई साल के लिये लोगों को पट्टे पर या ठेके पर जमीन रियासत की तरफ से दी गयी थी। तो जब तक उस पट्टेदारी या ठेकेदारी को न खत्म कर लिया जाय तब तक जैसा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट है उसको उस स्टेट में लागू करना कानूनन मुमकिन नहीं था। इस लिये वहां लैंड लार्ड और टेनेंट सिस्टम को खत्म करने से पहले यह जरूरी है कि एक छोटा सा अधिनियम बनाया जाय और पट्टेदारों के जो राइट्स या इंट्रेस्ट्स हैं वे ले लिये जायं और उनको कुछ थोड़ा बहुत मुआवजा, जो कानूनन निकलता हो, वह दे दिया जाय। सन् १९३७ में रामपुर में एक कानून क़ब्जा आराजी बना। उसके पहले से इलाक़ा क़दीम और इलाक़ा जदीद दो हिस्सों में सारी रियासत बटी हुई है तो इलाका क़दीम में रियासत मुस्ताजरियों को ठेका दे दिया करते थे। पहले ठेके मुख्तलिफ क़िस्म के थे। साल ब साल चलते थे लेकिन सन् १९२९ में स्टेट की तरफ से सहसाला स्कीम निकाली गई अर्थात् तीस साला ठेका देने की स्कीम निकाली गई। क्योंकि ३३, ३४ गाँव गैर आबाद हो चुके थे इसलिये रामपुर की गवर्नमेंट यह चाहती थी कि ये गाँव आबाद हो जायं। ३३ गाँव को ठेके दिये गये और शर्त यह थी कि ५ साल के अन्दर जो ठेकेदार निस्फ आराजी को रिक्लेम कर लेगा तो उस ठेकेदार को उस आराजी में जमींदार के हकूक़ दे दिये जायंगे। इस शर्त को १९ गाँवों के ठेकेदारों ने पूरा किया और वह ठेकेदार वहाँ के जमींदार हो गये। १४ गाँव उस शर्त को पूरा नहीं कर सके। १९३३ के बाद इजरायदारी का सिस्टम बन्द कर दिया गया और ४ साल तक बन्द रहा और फिर ३३ में रामपुर आराजी ऐक्ट बना और उसमें चैप्टर ३३ के मुताबिक फिर ठेकेदारी कायम की गई और एक दस साला स्कीम निकाली गई। दस साला स्कीम का यह मतलब था कि दस साल का ठेका लोगों को दिया जाता था और टर्म खत्म होने पर ५ साल के लिये टर्म फिर रिन्यु हो जाता था। ठेकेदार सारी शर्तें पूरी कर लेता था। एक नोटिफिकेशन २८ मई, १९३८ को निकाला गया था और उसी के मुताबिक यह ठेका दिया गया।

एक स्कीम बीस साला निकाली गयी थी। उसके मुताल्लिक़ १२ मार्च, १९४९ को नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसमें इब्तदाई मियाद दस साला रक्खी गई लेकिन कुछ शर्तों को पूरा कर लेने पर दस साल के रिन्युअल का अधिकार मिल गया था। इस तरह से तीन स्कीम्स थीं। सह साला, दस साला और तीस साला। इन तीनों स्कीमों के अन्दर २९० गाँव ठेकेदारी में हैं। इसके अलावा दो गाँव और हैं जो गोशालाओं को दिये हुये हैं। ये स्पेशल टर्म्स में आते हैं और बाक़ी इन तीनों स्कीम के अन्दर आते हैं। इन सब बातों को जो मैंने अर्ज किया उनका निचोड़ यह है कि बन्दोबस्त सह साला जो है उसमें १४ गाँव हैं। इनकी साल भर की जमा ६,४७५ रु० है। ३९ गाँव २० साला स्कीम्स में हैं और उनका जमा २०,०१५ रु० है और १ गाँव स्पेशल २० साला लीज पर है उसकी जमा ६५० रु० है। दस साला स्कीम के अन्दर ६६ गाँव हैं और उनकी जमा १,९८,३५७ रु० है और १७० गाँव ऐसे हैं जिनकी लीज साल ब साल खत्म होती है। उनकी जमा ३,९२,०४७ रु० है। इस तरह से कुल जमा ६,१७,५४४ रु० है। जिस तरह से जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में मध्यवर्तियों की सारी आय को निकाला गया फिर जितना खर्चा उनका होता है वह सब मिनहा किया गया और जो बाक़ी बचा उस पर आय निकालते हुए ८ से लेकर २८ गुना तक मुआविजा दिया गया है। मोटे तौर पर वही स्कीम इस विधेयक में रक्खी गई है लेकिन इसमें एक सूरत यह भी है कि ५

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरण सिंह]

गुने से ज्यादा जितने उनके नेट एसेट्स हैं और जो पक्की आय सालाना निकलती है और जितने साल के लिए उसका ठेका अभी बाक़ी है उस सबका हिसाब लगा कर उतने गुना मुआविजा उनको दिया जा सकता है। मान लीजिये कि किसी ठेकेदार की अभी ३ साल की मुद्दत बाक़ी है तो उसके नैट असैट्स का तीन गुना मुआवजा उसे दिया जायगा। लेकिन ओवर राइडिंग कंडीशन यह है कि किसी को भी ५ गुने से ज्यादा नहीं दिया जायगा। यह मोटी सी स्कीम इस विधेयक की है। यह बहुत छोटा सा विधेयक है और जमींदारी विनाश से पहले ऐसा क़ानून जरूरी है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सदन के विचार के लिए पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे जल्दी स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, को सदन प्रवर समिति को विचारार्थ भेजने का निश्चय करता है। मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी का भाषण बड़े ग़ौर से सुना। मैं यह पहले ही स्वीकार कर लेता हूं कि मेरी जानकारी रामपुर की खेतीबाड़ी के सम्बन्ध में कम है लेकिन मैं समझता हूं कि रामपुर अब हमारे प्रदेश का भाग है और वहाँ के किसानों की तक़लीफ भी उत्तर प्रदेश के और किसानों की तरह होगी। मैं इस तरह की भी जानकारी रखता हूं कि उत्तर प्रदेश के रामपुर के इर्द गिर्द के ज़िले, बरेली और मुरादाबाद, रामपुर से कुछ अधिक सुविधा प्राप्त किये हुये हैं। इस सदन में कई बार एसी चर्चा हुई और माननीय राजस्व मंत्री जी क मुंह से भी मुझे सुनने को मिला कि बरेली और मुरादाबाद के ज़िले क मुक़ाबल म रामपुर म ८ और १० गुने तक ज्यादा लगान और मालगुजारी है।

श्री चरणसिंह—मैंने ऐसी ग़लती कभी नहीं की।

श्री गेंदासिंह—इस समय तो मैं उन प्रोसीडिंग्स को पेश करने में लाचार हूं। उन्होंने ८ और १० गुना सदन में न स्वीकार किया हो, लेकिन काग़ज़ ऐसा बताते हैं कि बरेली और मुरादाबाद के काश्तकारों के मुकाबले ८ गुना और १० गुना लगान रामपुर के काश्तकारों से लिया जाता है। इसके लिये बार बार आग्रह भी किया गया कि वहाँ लगान कम होना चाहिये। मैं इस बात की अब भी उम्मीद करता हूं कि यह कमी सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद ठीक कर दी जाय। माननीय राजस्व मंत्री जी ने पट्टेदारी, ठेकेदारी और मुस्ताजिरी के कारण रामपुर में जमींदारी विनाश होने में देर की चर्चा की। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर यह बात थी तो रामपुर इसके लिये हक़दार था कि ऐसा विधेयक आ सकता था कि जो कुछ नुक़सान उसने इस विधेयक के न आन स उठाया वह नहीं उठाया जाना चाहिये था। बहरहाल, मैं उनको उलाहना न देकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कमी इस विधेयक में है उसे पूरा करने की कोशिश की जाय। मैं अभी तराई भावर के इलाक़े में गया था। वहां ३, ४ दिन रहने के बाद मेरी रामपुर के सम्बन्ध में जानकारी हुई। संयोग से तराई भावर और रामपुर की सरहद दोनों मिली हुई हैं। जब मैंने तराई भावर स्टेट फार्म की बड़ी चर्चा सुनी तो मैंने भी किसानों के हित को सोचकर यह सोचा कि उसे ज़रूर देखना चाहिये। चूंकि इस विधेयक से और तराई भावर स्टेट फार्म से कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये मैं सदन का अमूल्य समय इसकी चर्चा करने के लिए नहीं लेना चाहूंगा। माननीय राजस्व मंत्री जी, जो कि कृषि मंत्री भी हैं, उनकी जानकारी में इन बातों को मैं लाऊंगा ताकि सम्भव है कि उस तराई भावर स्टेट फार्म का कुछ सुधार हो जाय। इस तराई भावर स्टट फार्म के जो सदर हैं उनको देखने की मेरी इच्छा हुई तो उसके लिये मुझे रामपुर जाने की नौबत आयी और मैं रामपुर स्टेट में और कुछ २–४ साथियों के साथ उनको देखने के लिये गया लेकिन इससे अधिक जानकारी मुझे नहीं मिली। लेकिन यह बात देखने को मिली कि रामपुर जो पुरानी स्टेट थी अभी तक वहाँ पर इस कानून के लागू न होने की वजह से जैसा कि जमींदारी विनाश ऐक्ट में यह

गुंजायश है कि कोई भी ३० एकड़ से ज्यादा भूमि में खेती नहीं कर सकता है वहाँ पर इसके लिये बहुत छूट है और इससे रामपुर में इस ज़माने में भी जब कि खेती के लिये जमीन की बड़ी कमी पड़ रही है, बाहर के लोग वहाँ १००-४००-५०० एकड़ भूमि के काश्तकार बन रहे हैं और रामपुर के ग़रीब लोगों के खर्चे पर वहाँ फार्म्स बन रहे हैं।

रामपुर के गरीब किसान चाहते हैं कि उनको खेती करने के लिये भूमि प्राप्त हो लेकिन इसकी गुंजायश इस विधेयक में क़तई नहीं है। इसमें इस बात की तो गुंजायश है कि वहाँ के पट्टेदार जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वे ग़ैर दखीलकार माने जायंगे और उनसे वह जमीन निकल जायगी और भी बहुत सी बातों की गुंजायश है। जो पट्टे ऐसे वक्त में किये गये हैं जब कि जमींन की लूट थी उनको भी लीगेलाइज किया जा रहा है यानी उनको क़ानूनन करार दे कर मुआवज़ा देने की बात है, उनको ३० एकड़ तक ज़मींन देने की बात भी कही जा रही है.....

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाज़त से एक बात कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र को कुछ ग़लतफ़हमी है। अगर वह दूर हो जायगी तो जो वह लम्बी तक़रीर कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। यह जो विधेयक है यह तो जो ठेकेदार हैं उनके हक़ ख़त्म करने के लिये लाया जा रहा है और जो काश्तकार हैं उनके पास कितने बड़े खेत हैं इससे कोई वास्ता नहीं है जब वहाँ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होगा तो उसमें करें या न करें, यह बात दूसरी है। यह विधेयक तो जो कई गाँवों के ठेके हैं, वह जो काश्तकार आबाद कर सकते थे उनके लिये है और लैसी का इससे कोई वास्ता नहीं है।

श्री गेंदासिंह—बहुत अच्छा हुआ अगर पट्टेदारों के विषय में भी राजस्व मन्त्री ने कुछ कहा होता। पट्टेदारों के माने जहाँ तक मैं समझता हूं और यह विधेयक बतलाता है कि जिनके पास जमीन है और उसमें से यह कहना कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन ले ली जायगी, इसकी इस विधेयक में गुंजायश है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की धारा ४ की उपधारा (ख) की तरफ दिलाऊंगा, जहाँ पर इस बात का ज़िक्र है। खंड ४ के उपखंड (ख) के (१) में यह है—"किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।"

श्री चरणसिंह—धारा २ की उपधारा ६ में देखिये, लीज़ की डैफीनीशन क्या है।

श्री गेंदासिंह—जो सीधी बात है और जो सीधा अर्थ इसका निकलता है उसी को समझ कर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ३० एकड़ से अधिक इस बात की गुंजायश रखी गयी है कि अगर ३० एकड़ से अधिक जमीन होगी तो वह अधिक भूमि समझी जायगी और अधिक भूमि समझ कर उसको बेदखल किया जा सकता है।

पट्टेदारों के सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि जब यह चर्चा चल रही थी कि रामपुर रियासत भारत में मर्ज होने जा रही है, इस सदन में इसी तरह से पट्टों की बाबत कहा गया था। मिसाल के तौर पर मैं चर्चा कर दूं कि तराई भावर में एक बड़े हाकिम हैं.....

श्री अध्यक्ष—वह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री गेंदासिंह—ऐसे पट्टे ४००,५०० या १००० के क़रीब किये गये थे। और अब इसी प्रकार के पट्टों को कानूनी करार दिया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है तो माननीय राजस्व मंत्री मेरी ग़लतफहमी को दूर कर दें तो मेरी दिक्क़त आसान हो जायगी। माननीय राजस्व मंत्री मेरी इस ग़लतफहमी को दूर कर दें कि जब से यह चर्चा हुई है कि रामपुर रियासत भारत में मिलने जा रही है, उस समय से जो पट्टे हुये हैं उनके ग़ैर कानूनी करने की, नाजायज़ करार दिये जाने की गुंजाइश इस विधेयक में नहीं है।

[श्री गेंदा सिंह]

इस विधेयक के सिलसिले में मैं दो तीन बातों को खासतौर पर बतला देना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि आजकल जमीन की भूख है। कोई भी कानून जो बने उसमें यह गुंजायश होनी चाहिये कि जमीन जोतनेवाले को, जमीन के द्वारा अपने परिवार का गुजारा करने वाले को जमीन मिलने की गुंजाइश होनी चाहिये। दूसरी बात यह होनी चाहिये कि अगर वे लगान के बोझ से पीड़ित हैं, चाहे लड़ाई के जमाने में किसानों की हालत अच्छी हो गयी हो लेकिन आज अगर व उस लगान को देने में समर्थ नहीं हैं तो उनका लगान कम होना चाहिये। तीसरी बात यह है कि जो जमीन जोत रहा है, चाहे उसे पट्टेदार ने या ठेकेदार ने दी है, जोतने के बाद उसे वह अनाज पैदा करता है और अपने परिवार की गुजर करता है, तो वह उससे नहीं छीनी जानी चाहिये। जो कानून ऐसा नहीं बनेगा उस कानून का असर अच्छा नहीं पड़ेगा। जब मैंने इस कानून को पढ़ा तो मैंने इस बात की गुंजायश कहीं भी नहीं पायी।

श्री खयालीराम, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी तथा मुचलके पर रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष--मुझे श्री खयाली राम के संबंध में एक सूचना देनी है। उनके संबंध में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो इत्तिला दी है उसकी सूचना मैं इस सदन को देता हूं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुरादाबाद ने लिखा है--

"मुझे आपको यह सूचना देनी है कि इस जिले के थाना अमरोहा के ग्राम जलालपुर थाना के निवासी बाबूराम की हत्या का, भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत श्री खयाली राम शास्त्री सदस्य विधान सभा पर अभियोग है। इस संबंध में उनकी उपस्थिति न्यायालय में आवश्यक है, तदनुसार उनकी गिरफ्तारी के लिये वारण्ट जारी किया गया है।"

इसके बाद वे गिरफ्तार नहीं हो पाये, चूंकि वे लापता थे। फिर उसके बाद दूसरी सूचना यह है--

"आपके पत्र संख्या ४९०३/९०/५२ दिनांक १५ दिसम्बर, १९५३ के सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करना है कि १४-१२-५३ को विधान सभा के सदस्य श्री खयालीराम ने अपने आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ३,००० रुपये की दो जमानतें और इतनी ही रकम के लिए व्यक्तिगत मुचलका देने पर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।"

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी के कहने के अनुसार इस विधेयक को फिर गौर से पढ़ा और कुछ माननीय सदस्यों से बातें कीं जो रामपुर के जमीन के कानून के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वह शुबहा दूर नहीं हुआ जो कि मैं दूर कराना चाहता था। मैं यह कहता हूं कि यह बहुत ही महत्त्व की बात है कि रामपुर में पिछले जमाने में जिस वक्त यह राज्य मर्जर होने की चर्चा में था उस वक्त ऐसे लोगों के पास भी जमीनों के पट्टे दिये गये जिन को वाकई कोई जमीन की जरूरत नहीं थी। इस इलाके में, न सिर्फ रामपुर में बल्कि नैनीताल में जैसा कि अभी कल माननीय मंत्री जी ने नारायण दत्त जी तिवारी के एक प्रश्न के उत्तर में बताया एक तरह से हम उसको लूट कहें तो कोई अनुचित नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक बहुत लम्बी चौड़ी फेहरिस्त नैनीताल जिले के भूमि जोतने वालों की है जिसमें कि पांच पांच हजार, तीन तीन हजार,

दो दो हजार और एक एक हजार एकड़ की काश्त उनको कहें या फार्म वाले कहें वह बनते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार नैनीताल के तराई भावर के इलाके में इस तरह के लोग बनते चले जा रहे हैं खेती करने वाले इसी तरह से रामपुर जिले में भी बहुत बड़े बड़े लोग तीन तीन हजार, दो दो हजार और एक एक हजार एकड़ के फार्मर बनते चले जा रहे हैं। मैं बड़ी उम्मीद में था कि जो कोई भी कानून रामपुर के संबंध में आवेगा उसमें जरूर इस प्रकार से जो नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा किये हुये हैं या जो अनुचित ढंग पर जमीन के मालिक बनना चाहते हैं उनको मालिक बनने से रोका जायगा। इस कानून में उसकी कमी देखता हूं और इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कानून में इस प्रकार की कोई गुंजाइश कर दें कि जो इस तरह से जमीन हथियाये हुये हैं उनको उससे अलग किया जा सके।

दूसरी बात यह है कि लगान के सिलसिले में मैंने बहुत आग्रहपूर्वक यह बात कही थी कि रामपुर का लगान जो इस विधेयक में मानने के लिये रखा गया है उसमें कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है कि रामपुर का लगान जो निकट के जिलों से अधिक होगा उस लगान को कम करके लगान माना जायगा। इसलिये इस लगान के कम करने की गुंजाइश इस कानून में करना जरूरी हो जाता है कि उसमें पट्टेदार और ठेकेदार जो हैं उनके लिये मुआविजे का प्राविजन इस कानून में किया गया है कि उनको मुआविजा दिया जाय। इन लोगों के लिये जो रकम मुकर्रर की जायगी वह उनकी कच्ची निकासी और पक्की निकासी के आधार पर उनकी मुआविजे की रकम मुकर्रर की जायगी। यदि वह लगान जैसा कि मेरी जानकारी है बहुत ज्यादा है तो उसी लगान के आधार पर कच्ची निकासी और पक्की निकासी का अन्दाजा किया जायगा और पक्की निकासी के आधार पर उसका बोझा खेत जोतने वाले पर जाकर पड़ेगा। अगर उनको मुआविजा देना है मैं नहीं समझता कि उसका बोझ रामपुर के किसानों पर पड़े। मैं चाहता हूं कि यह बोझ उन रामपुर के किसानों पर न पड़े। जो ज्यादा लगान उन्होंने अब तक दिया अब आगे उसी आधार पर उनको और ज्यादा रकम न देनी पड़े इस तरह का कानून आप बनावें। अब उसी लगान के खिलाफ कच्ची और पक्की निकासी न जोड़ी जाय और उसी कच्ची और पक्की निकासी के आधार पर मुआविजा न दिया जाय।

तीसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं यह है कि जब देश के सामने बेरोजगारी का प्रश्न है और अभी दो दिन पहले जैसा कि मैंने अखबारों में देखा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि सबसे अधिक प्राथमिकता वह इस बात के लिये देंगे कि इस देश से किस तरह से अनइम्प्लायमेंट दूर किया जा सके। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो जरिया है वह जरिया भूमि है। यदि हम इस भूमि को उन लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको देने की बात नहीं मानते हैं और इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं और ऐसे कानून नहीं बनाते हैं जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जा सके तो मैं नहीं समझता कि कोई कानून बनाकर उससे हम अधिक लाभ उठा सकेंगे। तो फिर यदि हम भूमि संबंधी कानून बनाते हैं और उसमें हम इस बात की सुविधा नहीं देते हैं कि जो बहुत बड़ी भूमि के मालिक बनते जा रहे हैं उनके लिये कोई रोक हो और बेरोजगार लोगों को एक जरिया गुजारे का पैदा हो तो उससे क्या लाभ हो सकता है। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को जानकारी होगी कि आज रामपुर के अन्दर इन ३, ४ वर्ष के भीतर बड़े बड़े फार्मर कितने ही हो गये हैं और इस प्रकार के लोग हो गये हैं कि जिनकी शक्ति ज्यादा जमीन को जोतने की नहीं है। ऐसी हालत में भी उनका रहन सहन बहुत मजे के साथ चल सकता है यदि उनके पास वह जमीन न रहे। वहां पर कोई रिटायर्ड कप्तान है, कोई कमान्डर इन चीफ़ है, कोई सेक्रेटरी है और कोई चीफ सेक्रेटरी है। इस प्रकार के लोगों की जिन्दगी बहुत मजे के साथ चल सकती है क्योंकि वे लोग पेंशन पाते हैं। लेकिन उन लोगों को कोई पेंशन का भरोसा भी नहीं है और उनके लिये एक साधन और जरिया भी गुजारे का हो सकता है। पेंशन के जरिये को छोड़कर अगर वे कोई दूसरा जरिया जोतने का अपने लिये बनाना चाहते हैं तो यह चीज मुनासिब नहीं मालूम होती है और फिर वैसी हालत में अगर हम यह कहें कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिये कटिबद्ध नहीं है तो हमारे राजस्व मंत्री जी को नाराज न होना चाहिये।

श्री चरण सिंह—जीने का कोई तो सहारा हो।

श्री गेंदासिंह—जो रामपुर के लोग हैं उन्हीं के लिये तो हम भी जीने का सहारा ढूंढना चाहते हैं। जो उनके प्राविन्शियल लेबर ग्रुप में भरती होते हैं और वहां जाकर वह यातनायें भोगते हैं जिनका जिक्र करना प्रान्तीय सरकार की शान के खिलाफ है और वह बेचारे अगर वहां नहीं जाते हैं तो उनको खाने को नहीं मिलता और अगर वे दूसरी जगह कम मजदूरी पर काम करते हैं तो उनको वह खूराक भी नहीं मिलती जो जीवन के लिये शक्ति देने वाली है और जरूरी है, इसीलिये वह बाहर जाकर गुजर करते हैं। इसलिये अगर सरकार उनको सहायता देंगी और उन भूमिहीनों के लिये जमीन देंगी जो बेकार घूमते हैं तो इससे बेरोजगारी दूर हो सकती है और उस के साथ ही ला एन्ड आर्डर का जो सवाल है वह भी हल हो सकता है। अभी सवाल यह भी है कि तराई भावर में ला एन्ड आर्डर ठीक नहीं है और वहां की हालत कहा जाता है कि पूर्वी पंजाब के लोगों के आने से हालत ठीक नहीं है और वह लोग खानाबदोश हैं। मैं समझता हूं कि जो कोई भी खानाबदोश होता है उसकी कुछ न कुछ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं नहीं कहता कि बाहर से आने वाले लोग ही वहां की डकैतियों के कारण हैं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्रीमान् माफ करें अगर मैं यह कहूं कि मेरे लायक दोस्त आपकी उदारता का नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं और इर्रिलेवेण्ट जा रहे हैं। जमीन तकसीम करने से, बेरोजगारी से, तराई भावर के ला एन्ड आर्डर से इस बिल का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बिल पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं तो माननीय राजस्व मंत्री जैसे आदमी को किसानों के मामले में बहुत उदार समझता हूं लेकिन जब वे कहते हैं कि इन सब बातों का बिल से सम्बन्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि वे तमाम बातें इस बिल से पूरा सम्बन्ध रखती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि एक चतुर वक्ता किसी भी विषय को संगत बना सकता है लेकिन जिन बातों का सीधा सम्बन्ध हो उनका ही जिक्र करना ठीक होगा।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं चतुर वक्ता तो नहीं हूं और न मैं ऐसा दावा करता हूं। मैं तो अपनी सीधी सी बात कहना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री जी को आपत्ति है तो मैं अब अधिक समय नहीं लूंगा। मैं तो इस बिल में जो कमी है उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने ला एन्ड आर्डर की बात इस लिये कही कि भूखे आदमी के लिये मुसीबत हो जाती है कि वह सोचे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। मैं बेरोजगारी की बात कह रहा था, जिसका सम्बन्ध जमीन से है। अगर जमीन ऐसे लोगों के पास पहुंच जाती है जो बगैर जरूरत के बड़े बड़े इलाकों के मालिक हो जाते हैं तो वे बेरोजगारी के कारण हो जाते हैं और उस के फलस्वरूप ला एन्ड आर्डर का सवाल पैदा हो जाता है। इसलिये मेरे इतना कहने में मंत्री जी को आपत्ति न होनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि इन तीन चार बातों की अभी गुंजायश है, जिनका प्रबन्ध बिल में होना चाहिये था। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और इस मौके पर हम माननीय राजस्व मंत्री जी को प्रसन्न रखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य ही गड़बड़ में न पड़ जाय और उस हालत में हमारे बहुत दिक्कत में पड़ जाने की सम्भावना है इसलिये उनको प्रसन्न करने के लिये मैं अपनी बात जल्द खत्म कर दूंगा। मैं उन से कहूंगा कि वह इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मेहरबानी करें और वहां जा कर देखें कि यह बिल किसानों की कठिनाई को दूर करने में कहां कहां काम नहीं कर रहा है। या कुछ शब्दों में हेर फेर करने से या जो इस विधेयक की धारायें हैं उन धाराओं में हेर-फेर करने से अगर उन कठिनाइयों को दूर किया जा सके तो फिर दूर कर दिया जाय।

मैं यह भी उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि उन्होंने यह जरूर कहा कि जमींदारी विनाश अधिनियम जो है उसके लागू हो जाने के बाद ये कठिनाइयां दूर हो जायंगी। लेकिन म उनसे कहना चाहता हूं कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो है वह बड़ा भारी अधिनियम है, सारे प्रदेश के लिए अधिनियम है। उसमें कहीं इस बात की गुंजायश नहीं है कि जितने भी बड़े-बड़े फार्म हैं उन फार्मों को मंसूख कर दिया जाय। उनको मंसूख करने की कोई धारा उसमें नहीं है। जहां तक कि मेरी जानकारी है अगर ऐसी कोई धारा हो तो माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे और हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि ऐसी कोई धारा उसमें नहीं है। आज इस कानून के पास हो जाने के बाद में जानता हूं कि उनकी कठिनाई बढ़ेगी और जो लोग वहां जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं उनको एक मौका मिल जायगा कि वे उससे लाभ उठावें, मुआविजा हासिल करें या और कानूनी फायदा उठा करके उस पर कब्जा जमाये रहें। इस कानून के आने के बाद मैं समझता हूं कि जो कठिनाई वह आज बता रहे हैं वह कठिनाई हल नहीं होने वाली है। फिर दूसरी बात लगान की है। अगर इस विधेयक के जरिये लगान कम नहीं कर दिया गया तो सरकारी खजाने से अगर मुआविजा दिया गया तो वह ज्यादा देना पड़ेगा या किसानों से लेकर अगर देने का तय किया कि १० गुना या कोई गुना लेकर देंगे तो उससे उनके ऊपर बोझ पड़ेगा। इसलिए लगान का कम किया जाना बहुत आवश्यक है। अगर यह कम नहीं किया गया तो यह बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा या किसानों पर पड़ेगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर इस विधेयक में परिवर्तन कर देने की आवश्यकता है। हम यह दावा नहीं करते कि हम इस विधेयक की सारी चीजों को समझते हैं, अगर हमारी समझदारी में कमी हो तो वह हम वहां बैठकर आपस में समझ लेंगे। ऐसे कुछ तो माननीय राजस्व मंत्री का रोब हम पर गालिब हो जाता है और मैं यह समझने लगता हूं कि उनकी जानकारी मुझ से ज्यादा है और फिर वह कुछ इधर उधर से समझा देते हैं, बस सब खत्म हो जाता है। तो समझने बूझने के बाद कोई फर्क होगा, तो वह दूर हो जायगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी तथा उनके द्वारा सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस रामपुर पट्टेदारी और ठेकेदारी विनाश विधेयक को इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। ३० जून, सन् १९४९ को जब रामपुर की रियासत का अंतिम दिवस था और पहली जुलाई, १९४९ को जब रामपुर केन्द्रीय सरकार का एक अंग बना तो उसी समय वहां के लोग ४ लाख किसानों को इस बात की आशा बंधी थी कि प्रदेश के अन्य किसानों की भांति वे भी उसी प्रकार के सारे अधिकार अपने प्रयोग में ला सकेंगे जैसे कि प्रदेश के अन्य भागों में किसानों को प्राप्त थे। रियासती समय में रामपुर के किसानों को हर प्रकार से कुचला गया और वह न केवल लगान के मसले में बल्कि हर तरह की स्वतंत्रता उनकी पड़ोस के जिलों के किसानों से अधिक कुचली हुई थी और उस कुचली हुई अवस्था का एक विशेष कारण यह ठेकेदारी थी जो वहां पर कृषि के प्रबन्ध के संबंध में थी।

वहां पर सन् १९३७ से पहले एक कानून बनाया गया था और उसी कानून के अनुसार वहां जमीन का इन्तजाम हुआ करता था। उसके बाद सन् १९३७ में कानून कब्जये आराजी रियासत रामपुर बना और वह कुछ नहीं है अलावा इसके कि सन् १९२६ का जो आगरा टेनेंसी ऐक्ट है उसका शाब्दिक अनुवाद है। उसमें भी जो बाद को संशोधन किये यू० पी० की सरकार ने, वे वहां पर नहीं किये गये जैसे कि बाद में यहां पर जो स्टेच्यूटरी राइट्स जमीन के लिये काश्तकार को दिये गये, रामपुर में वे भी रियासत के अन्त तक नहीं दिये गये हैं। तो १९३९ का टेनेंसी ऐक्ट यू० पी० में बना वह वहां पर नहीं लागू हुआ और रामपुर में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। वहां का किसान सन् १९२६ का जो आगरा टेनेंसी ऐक्ट था उसी के अनुकूल बने हुये सन् १९३७ के कानून कब्जा आराजी के तहत अपनी भूमि की व्यवस्था से पीड़ित था और उसके अधिकार बहुत छिने हुये थे। मुस्ताजिर या ठेकेदार या पट्टेदार चाहे वह एक साल के हों, १० साल के हों या २० साल के हों उन्होंने वहां यह किया कि गांवों को बेआबाद कर दिया। उन्होंने वहां के किसानों को तंग किया, गांवों में आग लगवा दी, किसान गांव छोड़ कर भाग गये।

[श्री कृष्ण शरण आर्य]

उसके बाद वहां के नवाब साहब ने एक सुधार यह किया कि मुस्ताजिरी के गांव जो बहुत बेआबाद हो गये थे वे जब नीलाम हुआ करते थे तो नीलाम में, जो आमदनी हुआ करती थी बोलियों से, उस से कहीं ज्यादा हुआ करती थी और उस ठेके की रकम की कमी को पूरा करने के लिये ठेकेदार वहां लगान या भेंट या अनेक प्रकार से किसानों से वसूली किया करते थे। इसके बाद वहां के नवाब साहब ने एक ऐसा नियम बनाया कि जो वहां की निकासी हो, जो वहां की नेट इनकम हो जब बोली उसके करीब १५ फीसदी कम तक आ जाय तो उस बोली को खत्म कर दिया जाय और इस तरह से नीलाम हो जाया करे। सन् १९३८ में यह कानून लागू हुआ तो फिर ठेकेदारों और मुस्ताजिरों ने यह किया कि वहां के पटवारियों और अधिकारियों से मिल कर जो निकासी थी वह कम दर्ज करवाई और उनको पहले से और ज्यादा मुनाफा हासिल होने लगा। इससे कुछ लाभ किसानों को नहीं हुआ। अतः मुस्ताजरी सिस्टम के कारण किसानों को तकलीफ थी।

दूसरी लगान वाली बात जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कही, ठीक है। मैंने पहले भी अनेक अवसरों पर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाने की कोशिश की थी कि वहां लगान अड़ोस-पड़ोस के जिलों से अपेक्षाकृत ज्यादा है। मुझे विश्वास है कि माननीय राजस्व मंत्री जी, जब जमींदारी विनाश विधेयक वहां पर लागू होगा, तो उस समय इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखेंगे कि काश्तकार इस प्रकार की लगान इत्यादि की तकलीफों से छूट सकें। लेकिन इस समय तो लगान की ज्यादती का इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि इस विधेयक का संबंध तो सीधा साधा वहां की जो मुस्ताजरी, ठेकेदारी या पट्टेदारी थी उसके अधिकारों और सरकार के अधिकारों से है। तो यह विधेयक आज इस सदन में आने के बाद वहां के किसानों को यह अवश्य महसूस होगा कि वास्तव में रामपुर में भी जमींदारी उन्मूलन होगा और वहां के भी किसान अपने बराबर वाले किसानों की भांति ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त सरकार ने इस विधेयक के बनाने में जो ध्यान दिया है वह बहुत अच्छा है और बेरोजगारी के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। रामपुर शहर में वहां के लोगों की आजीविका के तीन साधन विशेष थे। एक वहां की सरकारी नौकरियां, दूसरा वहां का मुस्ताजरी ठेकेदारी सिस्टम और तीसरा व्यापार। उस मुस्ताजरी सिस्टम के अन्त होने पर यह स्वाभाविक है कि वह तीन सौ गांवों से संबंधित लोग जो अब तक गांव के ठेकेदार या मुस्ताजिर या पट्टेदार रहे हैं वह बेरोजगार हो जायेंगे। तो यह समस्या थी तो बहुत दिनों से और वह लोग खुद समझते थे कि पता नहीं जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार इन पट्टेदारों को मध्यवर्ती माने या न माने और इनको कोई कम्पेंसेशन दे या न दे, यह समस्या थी। हो सकता है कि हमारे उस तरफ के बैठने वाले लोग यह कहें कि उनको कोई कम्पेंसेशन नहीं देना चाहिये था क्योंकि वे तो केवल कमीशन एजेन्ट्स थे लेकिन सरकार के सामने तो हर एक बात विचारणीय होती है। जिन लोगों से वह ठेकेदारी के अधिकार ले रही है उनको आइन्दा के लिये भी तो कोई साधन किसी भी रूप में दे। सरकार ने यह कार्य बेरोजगारी के मसले को हल करने में मैं समझता हूं बड़ी उदारता से किया है कि उन्होंने उनके लिये मुआविजा (कम्पेन्सेशन) देने की बात निश्चित की है। सरकार की ओर से यह बड़ी उदारता की बात है। इसके अलावा जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने यह बात कही कि जब रियासत खत्म हो रही थी उस वक्त अन्धाधुन्ध तरीके से बड़ी बड़ी जमीनें लोगों को दी गईं जिस से कि आज बहुत बड़े बड़े फार्म्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। यह काश्तकारों के लिये बड़ी तकलीफ की बात है लेकिन उसका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि वह जो बड़ी बड़ी जमीनें वहां दी गई हैं उनमें बहुत सी तो ऐसी हैं जो कि खास इलाके की हैं और कुछ पट्टेदारों की भी हैं जिन्होंने कि पगड़ी लेकर के दे दी है। यह जरूर है कि पहले एसा समय था जबकि रामपुर की जमीनों को कोई पूछता नहीं था। ठेकेदार लोग लोगों से कहा करते थे कि भाई तुम लोग इस जमीन को जोतो लेकिन वह कहते थे कि भाई मैं तो नहीं जोतता, मैं तो बटाई पर ही जोतूंगा। जब से अन्न का अकाल पड़ा तब से रामपुर में भी

जमीन की मांग बढ़ी। जब से मांग बढ़ी उस वक्त से ठेकेदारों की ऐसी मिसालें जरूर हैं कि उन्होंने बहुत सी जमीनें अपने भाइयों को दे दीं, अपने सगे संबंधियों को दे दी या अपने दोस्तों को देदी। ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कुछ जमीन अपने नाबालिग बच्चों के नाम करा ली और कुछ जमीन अपनी स्त्री के नाम करा ली। उस समय के बाद जबकि उनको यह आभास हो गया कि अब ठेकेदारी खत्म हो जायगी, अगर कोई ऐसी जमीनें प्रयुक्त की गई हैं तो वह अवश्य इस कानून के द्वारा अवैध की जा रही हैं। जैसा कि जमींदारी विनाश विधेयक में उनको खुदकाश्त के लिये ३० एकड़ से अधिक जमीन नहीं दी गई है उसी तरह इस विधेयक में भी ठेकेदारों और मुस्ताजिरों के लिये यदि उन्होंने रियासत मिलने के बाद अपनी काश्त में लिया होगा यानी ३० जून, सन् १९४९ के बाद लिया होगा तो उसे अवैध किया जा रहा है। मैंने एक सुझाव यह दिया कि उन के डेपेंडेंट्स के लिये नाबालिग बच्चों और उनकी स्त्री को भी इसी में शामिल कर लिया जाय। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी को और उनके द्वारा सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज इस विधेयक को इस सदन में लाकर रामपुर के किसानों को यह विश्वास करने का मौका दिया है कि रामपुर में जमींदारी उन्मूलन हो जायगा और वहां के किसान अपने निकटवर्ती जिलों के अन्य किसानों की भांति अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। क्योंकि माननीय गेंदा सिंह जी माननीय राजस्व मंत्री जी को नाराज नहीं करना चाहते, उनको खुश करना चाहते हैं, इसलिये मुझे इस मामले में भी उनका समर्थन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है कि सारे कानून इस प्रान्त में बने, जमींदारी यहां प्रांत भर में खत्म की गयी, उसके बाद देहरादून की तरफ जौनसार भावर का जो इलाका है उसके लिये भी कानून बना, लेकिन हम लोग जो कुमायूं के रहने वाले हैं, पर्वतीय देशों के, उनके लिये जमींदारी विनाश का कानून सन् ३७ से इस सरकार के विचाराधीन है। माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। शायद मुझे रामपुर का नाम लेना पड़ेगा। तो रामपुर का भी यह जमींदारी विनाश बिल आ गया। सन् ३७ से हमारे पहाड़ के लिये कमेटियां बन रही हैं और १३, १४ साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक वहां के लिये कोई कानून नहीं बना है। माननीय राजस्व मंत्री जी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की उदारता का फायदा उठा रहे हैं। इस रामपुर के विनाश का जो बिल हमारे सामने आया है उसका समर्थन करने के लिये तो हम हैं ही और इसके लिये हमें खुशी है कि अब वहां के किसान भी कुछ फायदा उठायेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि पर्वतीय इलाके के रहने वाले किसान भी कुछ फायदा उठायें। जब कभी इस संबंध में सवाल पूछते हैं तो यह कह दिया जाता है कि यह प्रश्न विचाराधीन है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तिब्बत के बार्डर के पास जो किसान हैं, उनकी पोजीशन बड़ी महत्व की है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। माननीय सदस्य रामपुर वाले विधेयक पर बोल रहे हैं या पहाड़ वाले विधेयक पर बोल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य के साथ पूरी सहानुभूति होते हुये भी मैं समझता हूं कि उन्हें विधेयक पर बोलना चाहिये।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न हम पूछते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता है। हमारे यहां पी० सी० जोशी साहब ने बड़े लेख लिख डाले हैं और उसका नाजायज फायदा लोग उठा रहे हैं। सरकार तो ऐसे मौके पर आगे आती है जब सब लोग फायदा उठा लेते हैं। हम स्वयं फायदा नहीं उठाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य रामपुर विधेयक पर ही बोलें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ रामपुर के बारे में है उसको न मैंने ज्यादा समझने की कोशिश की है और न समझा हूं। लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि रामपुर में किसानों को फायदा हो जाय और यह ठेकेदारी जो है यह हट जाय। इसी के साथ साथ माननीय मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि पहाड़ का कानून भी आ जाय और माननीय गेंदा सिंह जी ने जो प्रस्ताव सेलेक्ट कमेटी में इस विधेयक को भेजने का रखा है, वह स्वीकार किया जाय।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय माननीय माल मंत्री जी ने रामपुर मर्जर के बाद रामपुर में जो टेन्योर सिस्टम है, भूमि व्यवस्था है, उसमें तब्दीली करने के लिये जो बिल इस भवन के सामने उपस्थित किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने दौरान स्पीच में मुस्ताजिर, पट्टेदार और ठेकेदारों का जिक्र किया है और यह भी बताया है कि यह कई पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन इसके इतिहास को अगर देखा जाय और जो लोग रामपुर के निकट के हैं या रामपुर में रहते रहे हैं, उनसे अगर पता लगाया जाय तो जरूर कुछ न कुछ इसमें अन्तर होगा। इस सदन के सदस्य भी वहां के टेन्योर सिस्टम से ज्यादातर वाकिफकार नहीं हैं। इस वास्ते माननीय मंत्री जी के लिये यह बहुत जरूरी था कि वे इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर देते ताकि हमारे समझने में सहूलियत होती। मुझे केवल इतना मालूम हुआ है कि यह मुस्ताजिर सिस्टम तब तोड़ा गया जब मुस्ताजिरों ने ज्यादा ज्यादती करनी शुरू की और उस धांधली के बदले में इस ठेकेदारी और पट्टेदारी को कायम किया गया। जहां तक इस ठेकेदारी के सिस्टम के तोड़ने का सवाल है मैं उससे मुत्तफिक हूं। लेकिन मर्जर के आगे और पीछे, जैसा कि हमारे सामने यह अभी वर्तमान ही का इतिहास है कि जब जमींदारी उन्मूलन की तैयारी होने लगी तो बहुत से लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमींदारियां और ताल्लुकेदारियां थीं, उन्हें अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को जमीन उठाने में तरह तरह की कोशिश करनी पड़ी और भारी नजराना देकर व्यवस्था की और उसका जीता जागता नमूना भवन के सामने आता रहता है। टेन्योर सिस्टम जो तब्दील किया गया है उसमें दिक्कत आई, उसके बाद मर्जर हुआ है और हजारों एकड़ जमीन रामपुर में लोगों को दी गई है। पिछले वर्ष का अनुभव यह है कि लाखों बीघा जमीन में गल्ला बोया गया और जो लोग काश्त करते थे उनको घाटा हुआ। कारण यह है कि बरेली के करीब जो लोग रहते हैं उनके पास इर्रीगेशन का सोर्स अच्छा नहीं है। इस बीच में जब वह स्टेट मर्ज हुई तो वहां का सिस्टम बदलने वाला था तो हजारों एकड़ जमीन ऐसे लोगों को बांट दी गई जो उसका ठीक तरह से इन्तजाम नहीं कर सकते थे। जब अपने देश में अनएम्पलायमेंट का सवाल है तो ऐसे लोगों के हाथ में हजारों बीघा जमीन काश्त के लिये दी गई तो कहीं यह नतीजा न हो कि भुखमरी की जो शिकायत है वह रामपुर के इलाके में भी हो जाय। यों जमींदारी का उन्मूलन अपने यहां किया गया। बहुत से जिलों में छोटे छोटे जमींदारों और काश्तकारों में जिनके पास दस दस और १५, १५ एकड़ जमीन है उनमें यह झगड़ा चल रहा है कि उस पर कब्जा किसका हो। हम चाहते हैं कि जिनका असली कब्जा हो उन्हीं के हाथ में वह जमीन जाय।

दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजारों बीघा जमीन एक एक आदमी लिये बैठा है। कल के प्रश्नों के उत्तर में देखा कि तीन चार हजार एकड़ जमीन एक आदमी लिये हुये बैठा है। हो सकता है कि उसके पास साधन काफी उपलब्ध हों बनिस्बत छोटे काश्तकार के। तो दूसरी तरफ यह भी रुकावट नहीं है कि किसी के पास ३ हजार बीघा जमीन का फार्म हो तो उसको औरों में बांट दिया जाता, क्योंकि हमारे देश में अन्न की कमी रहती है। मगर इस वक्त जब हम यह कानून बनाने जा रहे हैं और मंत्री जी यह कहते हैं कि अभी रामपुर में जमींदारी उन्मूलन के प्रश्न का जहां तक संबंध है वह हमारे सामने आया नहीं है, हम केवल ठेकेदारों को अलग करना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता कि मर्जर होने के बाद जिनके हाथों में तीन तीन हजार एकड़ के फार्म हैं उनके पास इतनी जमीन रखने के क्या मानी हैं, उनकी क्या नवैय्यत है। जो लोग पहले

से हजारों बीघा जमीन पर कब्जा किये हुए हैं उस पर भी माननीय मंत्री जी को रोकथाम लगाना चाहिये था मगर वह नहीं किया गया। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं उनको न देकर हम ऐसे लोगों को जमीन देते चले जा रहे हैं जो वहां के निवासी भी नहीं हैं, इस पर माननीय मंत्री जी को प्रकाश डालना होगा। मेरे व्याख्यान देने का मतलब यह है कि अगर इस बिल को प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय तो काफी विस्तार से हमें इस पर मनन करने का अवसर प्राप्त होगा और उससे वहां के बसने वाले जो किसान हैं उनका कल्याण होगा और वहां के जो बसने वाले किसान हैं उनके लिये यह भूमि व्यवस्था का एक पायेदार कानून होगा। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री फजलुलहक़ (जिला रामपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो तक़रीरें हुई हैं उन्हें गौर से सुना है और बाज बातें हमारे साथियों ने ऐसी कही हैं जिनसे गलतफहमी पैदा हो सकती है। जहां तक मुस्ताजिरी ठेकेदारी और पट्टेदारी का सवाल है, इनमें थोड़ा ही फर्क है। मुस्ताजिरी सिस्टम वह कहलाता था जो सन् ३० से पहले रायज था और उसमें जो गांव वगैरह दिये जाते थे वह बोली के तहत दिये जाते थे। उनमें बाज औकात निकासी से कमी बहुत ज्यादा पड़ जाया करती थी और उसे पूरा करने के लिये मुस्ताजिर को ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी। इसलिये सन् ३३ में वह सिस्टम खत्म कर दिया गया।

यह बात बिलकुल गलत है कि आग लगाई जाती थी और किसानों के साथ जुल्म किया जाता था। जब किसी गांव में कोई कमी निकासी के एतबार से वाकय हो जाया करती थी तो उनसे उसका हरजाना लिया जाया करता था और वे कोई ऐसी ज्यादती नहीं कर सकते थे जैसी कि यहां पर कही गयी है। लेकिन उन दिक्कतों को देखते हुये ठेकेदाराना सिस्टम रायज किया गया। सन् ३७ में ठेकेदारों को इतने महदूद अख्तियारात थे कि वह लगान वसूल करने, जमीन देने या बकाया लगान की नालिश करने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते थे। वे उसमें दखीलकारी के राइट्स भी नहीं दे सकते थे। पट्टेदारी का सिस्टम ३७ के कानून के १३वें बाब के तहत चला और लोगों को पट्टे पर गांव दिये जाते थे। यह बात अपनी जगह पर बिलकुल सही है कि रियासत के मर्जर के बाद वहां के किसानों को वे तमाम सहूलियतें नहीं मिल सकीं जो यू० पी० के दूसरे अजलाअ में किसानों को मिली हुई थीं। हम यह उम्मीद करते थे कि कोई कानून जल्दअजजल्द ऐसा यहां आवेगा जिससे रामपुर के किसान भी उन सहूलियतों को हासिल कर सकते जो कि बाकी यू० पी० के किसानों को हासिल हैं। लेकिन अब इस कानून के आने पर हम यह कह सकते हैं कि ४ लाख आदमियों को वाकई इतमीनान के साथ जिन्दगी गुजारने का मौका मिलेगा। गांव वाले पट्टेदारों के साथ जहां इसमें और बहुत सी पाबन्दियां लगाई गई हैं वहां खंड ४ (झ) में यह रखा गया है कि जितनी इमारतें ठेकेदारों ने वहां बनाई थीं वे उनके पास उस मुद्दत तक छोड़ी जावेंगी जिस तक वे गांव अपने पास रखने के मुस्तहक थे। जमींदारों की इमारतों का जहां तक ताल्लुक है, वे उनको दे दी गई हैं। क्या ही अच्छा होता कि उनको वे इमारतें जो उन्होंने अपने पैसे से बनवाई थीं दे दी जावें। जहां तक उनकी गैरदखीलकारी काश्त का ताल्लुक है, जो जमीन उनके पास ३० एकड़ से ज्यादा है उसमें से ३० एकड़ जमीन उनके पास छोड़ कर बाकी जमीन उनसे निकाल ली जावेगी। यह ठीक है और इसके मुताल्लिक मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी कोई ऐसा उपाय करेंगे कि यह ठेकेदारी सिस्टम खत्म होने के बाद उनकी वह जमीन जो उनके पास बचेगी उसमें दखीलकार के हकूक भी मिल सकेंगे। जहां तक मरजर से पहले और बाद की जमीन का ताल्लुक है अलावा इस सिस्टम के जो जमीन दी गई थी उसमें इस खुसूसियत के साथ दी गई थी जो न ठेकेदार कहे जा सकते हैं, न पट्टेदार और उनको उर्फ आम में फारमर कहा जा सकता है।

यहां यह भी कहा गया है कि उनसे जमीन निकाल ली जाय। यह ठीक है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है और ऐसे काश्तकार भी मौजूद हैं जिनके पास एक बीघा जमीन तक नहीं है जिससे वह अपना गुजारा कर सकें और अपना तन ढक सकें। मैं नहीं कहता कि इसी वक्त इस बिल पर कोई तजवीज की जाय जिससे इन लोगों की तकलीफ दूर हो सकें, लेकिन कम से कम आइन्दा चलने के बाद इस किस्म की चीज इस हाउस में आनी चाहिये

[श्री फ़जलुल हक़]

और ऐसे रूल्स बना दिये जायं कि वह तमाम जमीन जो उन लोगों के पास है, उनसे खाली कराने के बाद उन्हीं लोगों को दी जाय या वह जमीन जो ठेकेदार या पट्टेदार के पास मौजूद है वह उनसे खाली कराई जायगी, वह उन्हीं लोगों को दी जाय जो अपने हाथ से काश्त करने वाले हैं न कि उन लोगों को जो बटाई पर काम में लायें या किसी और दीगर तरीके से काम में लायें।

जहां तक लगान का ताल्लुक है यह बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो नवाई अजलाअ हैं उनमें बहुत ही कम है। यहां पर ८, ९ गुना लगान ज्यादा अदा करना पड़ता है। इन काश्तकारों को जो ८ या ९ गुना ज्यादा लगान अदा कर रहे हैं कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि साल भर मेहनत करके अपनी सारी कमाई ठेकेदार को दें या उन लोगों को दे दें जिनका उस पर कब्जा हो। इसलिये यह जरूरी है कि इसी कानून में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती जिससे लगान में कमी हो जाती तो बेहतर था लेकिन अगर यह मुमकिन नहीं है तो आइन्दा इसके इंतजाम होने की बहुत जरूरत है।

यहां पर यह भी कहा गया है कि उन तमाम पट्टों को जो ठेकेदारी सिस्टम खत्म होने के पहले किये गये हैं और जिनकी मियाद ३० नवम्बर मुकर्रर की गई है, उनको कैंसिल कर दिया जाय। यदि ऐसा किया गया तो न सिर्फ उन लोगों पर इसका असर पड़ेगा जो खेती करने वाले हैं बल्कि उन लोगों पर भी पड़ेगा जो कि ठेकेदारों के छोटे छोटे काश्तकार हैं और जिनको यह ठेकेदार जमीन काश्त करने के लिये देते हैं। इसलिये छानबीन करने के बाद जो ठेकेदार ने काश्त के लिये जमीन दी और उसमें काश्त नहीं की गई तो उनको खत्म कर देना मुनासिब होगा। लेकिन आपने वैसे ही सबको खारिज कर दिया तो यह न काश्तकारों के लिये और न हमारे हितों के लिये ही मुफीद हो सकता है।

मैं इस विधेयक के लिये अपने माल मंत्री जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसके सिलसिले में जो रूल्स बनेंगे उनमें उन तमाम चीजों को जो मैंने और मेरे साथियों ने रखी हैं, बढ़ा देंगे ताकि यह मुश्किलात दूर हो सकें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह विधेयक जो इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है, उसके उद्देश्य और कारणों पर यदि ध्यान दिया जाय तो यह स्पष्ट है कि माननीय राजस्व मंत्री जी का अंतिम लक्ष्य यह है कि रामपुर की जमींदारी प्रथा का विनाश किया जाय। जहां तक उनके इस आशय का ताल्लुक है उसके विरुद्ध कुछ कहना समय नष्ट करना होगा। मैं आपके द्वारा यह अवश्य याद दिलाना चाहता हूं कि जब कि जमींदारी प्रथा के विनाश का उनका अंतिम लक्ष्य है तो फिर उनको ऐसा पीस मील लेजिस्लेशन नहीं करना चाहिये और न उससे कोई लाभ ही हो सकता है। यह तो ठीक है कि इससे पट्टेदारी और ठेकेदारी का अन्त किया जा सकता है लेकिन उससे जो और दूसरी खराबियां हैं, वे दूर नहीं हो सकतीं। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे ऐसे वक्त में इस लेजिस्लेशन को प्रस्तुत कर रहे हैं जब कि उनकी सारी इच्छायें इससे पूरी नहीं होतीं। श्रीमान् जी, इस दौरान बहस में बड़ी बड़ी शानदार तकरीरें सुनीं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं वे शायद रामपुर से ही आते हैं, उनकी बातों पर ज्यादा महत्व मैं इसलिये देता हूं कि वे उन्हीं के पक्ष के हैं, विरोधीदल के नहीं हैं, उन पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वे अनर्गल बातें कहते हैं, जैसा कि सरकार विरोधीदल के लोगों पर आरोप लगाती है।

श्रीमन्, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी जब कि यह कहा कि रामपुर के रहने वाले पट्टेदारों, ठेकेदारों और दूसरे जमींदारों ने अपनी जमीन को अपने रिश्तेदारों और भाई बंदों को पट्टा कर दिया। श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक संविधान और ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट मौजूद है, तब तक

जमींदारों या और लोगों को अपनी प्रापर्टी को ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार है। अगर माननीय सदस्यों को उसके बारे में कोई आपत्ति है तो पहले वे संविधान में संशोधन करें और ट्रांसफर आफ प्रापरटी ऐक्ट में तरमीम करें तब इस प्रकार का वे कानून पास कर सकते हैं। उन कानूनों के रहते हुये ऐसी कोई नाजायज बात करना सहल काम नहीं है। क्योंकि उनसे माननीय मंत्री महोदय के भी हाथ बंधे हुये हैं। माननीय सदस्य, बस्ती वालों ने यह फरमाया कि पट्टेदार, ठेकेदार ताजिर तथा अन्य लोगों ने वहां पर बड़ा अत्याच.र किया है इसलिये इस प्रथा को नष्ट किया जा रहा है। लेकिन आज कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्य के कहने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अत्याचार किया है। यह भी कहा गया कि सन् ३९ में जो टेनेंसी ऐक्ट आया उससे वहां के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा। पहुंच भी नहीं सकता था क्योंकि उसमें वैधानिक आपत्तियां थीं। आज माननीय मंत्री उस क्षेत्र पर जमींदारी उन्मूलन लागू करने की सोच रहे हैं लेकिन इस ठेकेदारी और पट्टेदारी को समाप्त करके माननीय मंत्री कृषकों का अथवा उन लोगों का, जिन्होंने उस जमीन को ठीक करने में अपनी पूंजी लगायी है, भला नहीं कर सकते, पूरा लाभ उनको नहीं दे सकते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस पट्टेदारी और ठेकेदारी के समाप्त होने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः इस प्रकार के पीसमील लेजिस्लेशन से कोई लाभ किसी को नहीं पहुंच सकता। इस पक्ष को तो इस "विनाश" का अनुभव हो चुका है, इस पक्ष को भी इसका आनन्द आता है, लेकिन इस प्रकार नष्टभ्रष्ट करने से अन्त में कोई लाभ नहीं हो सकता है।

आज उत्तर प्रदेश में जहां जमींदारी तोड़ी गयी है, जहां करोड़ों जमींदारों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया है, वहां यह कोई कठिन बात नहीं है कि ठेकेदारी और पट्टेदारी को भी समाप्त कर दिया जाय। रहा यह कि जहां तक उनकी विध्वंसात्मक कार्यवाहियों का प्रश्न है उसमें वे सदैव अग्रसर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे सोशलिस्ट भाइयों की तृप्ति नहीं होती है। माननीय गेंदा सिंह ने फरमाया कि खानाबदोशी में लोग अपने कर्त्तव्य को भूल जाते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से खानाबदोश अपने कर्त्तव्य का पालन पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिये यह कहना कि खानाबदोश कर्त्तव्यपरायण नहीं होते हैं यह बहुत हद तक लागू नहीं होता है। यदि कांग्रेस गवर्नमेंट यह समझती है कि जमींदारी उन्मूलन करके उसने इस उत्तर प्रदेश में स्वर्ग स्थापित कर दिया है तो उनको पूर्णतया यह ज्ञात रहना चाहिये और यह भूलना नहीं चाहिये कि वे चल कर अभी किसानों से पूछ लें कि वे आपके अमीनों, नायब तहसीलदारों तहसीलदारों से विशेष तृप्त हैं या वे उन पुराने जमींदारों से संतुष्ट थे? इस सदन के हर माननीय सदस्य की जबान पर यही रहता था कि जमींदार डकैत हैं, लुटेरे हैं और इस काम में वे बराबर अग्रसर रहे। श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों के और खास कर कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य के यह कहने के बाद अगर सरकार को संदेह रह जाता है कि ठेकेदारों और पट्टेदारों ने रामपुर में अत्याचार किया तो मैं समझता हूं कि यह एक भ्रम ही हो सकता है, यह उसकी हठधर्मी ही हो सकती है।

जहां तक माननीय उपाध्यक्ष जी का यह कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कुछ नहीं किया गया है, जायज है। लेकिन उनको यह शिकायत माननीय राजस्व मंत्री से नहीं करना चाहिये बल्कि माननीय मुख्य मंत्री से करना चाहिये क्योंकि दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं, निकट हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह की शिकायत करते रहने से संभव है कि लोग माननीय मुख्य मंत्री को एहसान फरामोश न समझने लगें। श्रीमन्, पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में मैं बहुत कम समझ पाता हूं कि आखिर इतना समय क्यों लिया जा रहा है और मैं यह उचित समझता हूं कि यदि रामपुर के प्रश्न को उस समय तक टाल दिया जाय तो उसमें सरकार को विशेष आपत्ति न होनी चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक माननीय राजस्व मंत्री की बुद्धि की तीव्रता का प्रश्न है उसके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता है। वे अपने सब्जेक्ट पर ऐसा हावी रहते हैं, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि यदि इस सदन के सम्मुख इस विधेयक पर और प्रकाश डाला गया होता तो संभव है

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

कि बहुत से सदस्यगण इस विवाद में भाग ले सकते और इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाल सकते। लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी मैं आपके द्वारा उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस समय अनावश्यक है क्योंकि इस सदन के इस पक्ष वाले सदस्य भी किसी माने में इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विषय पर बहस बन्द की जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से संबंध रखने वाला विधेयक है और मैं समझता हूं कि जब माननीय विरोधी दल के नेता अपनी जगह पर खड़े हैं तो यह प्रश्न न उठाया जाय तो अच्छा है।

श्री राम नरेश शुक्ल—श्रीमन्, इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं विरोधी पक्ष के नेता को मौका देता हूं। इसके बाद इस प्रश्न पर राय लूंगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, बहस बन्द करने का प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिये।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, मैं खड़ा हुआ था और वे बैठे हुये थे। अगर उनको इजाजत दी जाती है तो मुझे भी मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उनको पहले इजाजत दे चुका हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, यों तो हम सब लोग विरोधी पार्टी के सदस्य बराबर यही चाहते हैं कि शिवनारायण जी बराबर बोलें हमारी तरफ से कभी नहीं हुआ कि हम उनको बोलने न देना चाहें? वह जितना चाहें बोलें उससे हमको नसीहत ही मिलती है इसलिये हमारी ओर से ऐसी कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमन्, आज इस विधेयक को इतने दिनों की इंतजारी के बाद माननीय राजस्व मंत्री जी ने उपस्थित किया है। उसके संबंध में हमारे एक भूतपूर्व जमींदार साहब ने बोलते हुए अभी कहा कि विरोधी दल भी चाहता है कि यह अभी न आवे। मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैं इसके बारे में सफाई दे दूं। वह बराबर यह समझते हैं कि सर्मथिंग इज बेटर दैन नथिंग। यह कुछ तो है लेकिन सब जगह नहीं। माननीय माल मंत्री जी और सरकारी पक्ष के और सम्मानित सदस्यों, जिनसे बात करने का मौका मुझे मिला है, के ऐंगिल आफ विजन में और हमारे ऐंगिल आफ विजन में मौलिक भेद है और उसको मैं थोड़े शब्दों में यह बता दूं कि कोई भी पिछड़ा हुआ स्थान होगा, अगर वह अपने यहां उन्नति की शक्ल को देखना चाहेगा तो जो आगे बढ़े हुये स्थान होते हैं उनकी तरफ देखता है। यह साधारण तरीके से मानी हुई बात है। मगर जब मैं इसके उद्देश्य और कारण को देखता हूं जिसको कि माल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है तो यह अंतिम वाक्य लिखा जाता है "उक्त क्षेत्र में जमींदारी का उन्मूलन करने और भूमि व्यवस्था प्रचलित करने के विचार से प्रथम प्रयास के रूप में यह अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है।" तो यह आज प्रथम प्रयास हो रहा है। इस सदन में अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि सूबे के दूसरे हिस्सों के बराबर रामपुर के किसानों को लाया जाय। तो उस स्थिति को लाने के लिये दूसरा प्रयत्न किया जायगा। मैं इस विचारधारा का सख्त विरोधी

हूं। श्रीमन्, मैं सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इस बात को देखें और जहां भी मौका मिले और उन्नति की चरमावस्था जहां भी ला सकने की परिस्थिति हो तो वहां जितनी दूर तक जा सकते हों वहां तक चरमावस्था लायें। क्योंकि हम श्रीमन्, इसके भुक्तभोगी हैं। बनारस स्टेट में जमींदारी उन्मूलन बहुत बाद में लागू हुआ और वहां पर जो सप्लीमेंट्री ऐक्ट पास हुआ, जो वहां के किसानों को दफा ४ के मुताबिक थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता था वह उससे भी वंचित रह गये। सन् १३५६ फसली में उनके नाम में इन्दराज होने के कारण फायदा मिल सकता था वह उस फायदे से भी वंचित रह गये। तो इस तरह की कमियां वहां जो सही मानों में खेत जोतने वाले हैं उनको हैं और वह बावजूद पट्टेदारी और ठेकेदारी के हैं। तो मैं माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं जो सदैव किसानों के लाभ के लिये परेशान रहते हैं और चिन्तित भी रहते हैं कि वह जो प्रयत्न करते हैं वह सही प्रयास हो और प्रथम प्रयास पूर्ण प्रथम चरण के रूप में हो। अब इसमें किसी थ्योरेटिकल डिस्कशन की गुंजाइश नहीं है। कम से कम वाद विवाद होते होते हम सबके दिमाग में इतना तो साफ हो ही गया है कि ऐक्चुअल टिलर आफ दि स्वायल जो है उसके ही हित में यह सब होना चाहिये। इस सफाई के बाद भी मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस रूप में वह इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं उससे उनके हकों की हिफाजत होती है।

श्रीमन् मैंने जल्दी में कुछ प्वाइन्टस नोट कर लिये हैं कि मैं क्यों चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय जैसा कि मेरे भाई माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इसकी सफाई कर दें कि इसमें कहीं ऐसा प्राविजन है जिसके मुताबिक सर्किल रेट फिक्स्ड होता हो। जहां तक मैं समझता हूं कि इस प्रोपोज्ड बिल में कोई डेफनीशन सर्किल रेट के संबंध में नहीं दी गई है। दूसरी बात मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जो मुस्ताजिर हैं जिन्होंने लो रेट पर बहुत बड़े नजराने लेकर अपने रिश्तेदारों को पट्टा दिया है और बिलासपुर तहसील में काफी तादाद में ऐसा हुआ है उनके बारे में इस विधेयक में कौन सी धारा बनाई गयी है जिससे कि वह इस कमी को यहां पूरा करने जा रहे हैं।

तीसरी बात मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुस्ताजिर लोगों ने अपने रिश्तेदारों के नाम में, अपने बच्चों के नाम में, अपनी स्त्री के नाम में और दूसरे लोगों के नाम में नामिनल रेट पर बहुत सी जमीन दी है। तो जब आप साम्य अवस्था लाना चाहते हैं तो जिनके कम रेट हैं उनको आप बढ़ायें और जिनके रेट ज्यादा हैं उनको घटायें। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस सदन में रामपुर से आने वाले हमारे सम्मानित सदस्यों ने जिन दो के भाषण मैंने अभी सुने हैं, उन्होंने भी उसी दृष्टिकोण को सामने रखा और स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया है जो कि गेंदा सिंह जी ने कही थी कि वहां पर ७ गुना और ८ गुना किसानों पर अधिक रेट है बनिस्बत दूसरे जिलों के। तो फिर जिनके ऊपर रेट ज्यादा है उनके रेट को कम करने की इस विधेयक में क्या गुंजाइश है? इस विधेयक में मैंने देखा कि कोई भी गुंजाइश नहीं है।

इसके बाद वह बात है जिसका इस सदन में काफी चर्चा हुआ है। इस विधेयक में एक जगह पर ३० एकड़ का चर्चा हुआ है। ३० एकड़ के माने क्या हैं? यदि हम इस बात को सोचें तो यह मालूम होगा कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है वह उसकी हिफाजत नहीं कर पाते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से और गल्ला बढ़ाने की दृष्टि से मैं यह निवेदन करूंगा कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह उससे ले ली जाय पहले चाहे वह उसकी जोत में रही हो और बाद में पट्टा ले लिया हो। अगर ३० एकड़ हो तो ठीक है और इससे ऊपर हो यानी ३० एकड़ से ज्यादा हो तो वह ले ली जाय और ३० एकड़ उनके पास रहे। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि जिससे अधिक जमीन किसी के पास न रहने पावे वह एक्स मुस्ताजिर ने ले रखी हो।

[श्री राजनारायण]

श्रीमन्, जब मैं कम्पन्सेशन की क्लाज को देखता हूं तो मेरी परेशानी बढ़ जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो मुस्ताजिर थे यह कौन थे। यह मुस्ताजिर केवल लगान वसूल करते थे और रेन्ट कलेक्टर कहलाते थे यह महज १५ फीसदी लेकर सरकार का लगान वसूल करके खजाने में दाखिल किया करते थे। फिर जब उनसे यह हक़ छीना जा रहा है तो उनके लिये कम्पन्सेशन की व्यवस्था क्यों की गयी है? हमारे रामपुर के एक सम्मानित सदस्य ने इस पर अपने विचार प्रकट करते हुये कहा था कि सरकार ने मुआविजे के मुताल्लिक इस क्लाज में उदारता से काम लिया है। तो जब उन्होंने यहाँ पर उदारता से काम लिया है तो फिर दूसरी जगह क्यों न रखी जाय। हम यह नहीं कहते कि आप तमाम बड़े-बड़े बिग लैन्ड होल्डर के गले पर छुरी चला दीजिये। अगर आपका बड़े जमींदारों के प्रति प्रेम है और मुहब्बत है तो वही प्रेम और मुहब्बत छोटे किसानों के प्रति भी होनी चाहिये। जो लोग जमीन को जोतने वाले हैं उनके लिये भी क्यों न रखी जाय? श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बहुत आब्जक्शनेबिल क्लाज है और इस कम्पन्सेशन की शिकायत कैसे कम होगी और कम्पेन्सेशन कैसे होगा, क्या होगा और आगे जितनी दूर तक जाते हैं उसमें गड़बड़ी बढ़ती चली जाती है।

इसके बाद श्रीमन्, यह जो पट्टेदारी है इसको भी मैं चाहता हूं कि इतना वाइड किया जाय कि इस में संस, वाइफ़, माइनर, चिल्ड्रेन और संयुक्त परिवार के सदस्य भी शामिल हों। अगर वे शामिल नहीं होते तो खानदान में इतनी ज्यादा जमीन चली जायगी कि जिसकी कुछ हद न होगी। मुझे खुशी है कि हम इस वक्त जो कह रहे हैं उसका समर्थन श्री द्वारका प्रसाद मौर्य अपना सिर हिला कर कर रहे हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बटाई का जो भाव है वह कैसे निकाला जायगा। यह भी बहुत आब्जेक्शनेबिल क्लाज है और इसके बारे में भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ बात ऐसी है कि चूंकि लोगों को मालूम है कि रामपुर में ठेकेदारी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से की जमींदारी की तरह खत्म होने वाली है तो उन्होंने वहाँ पहले से ही तिकड़म शुरू कर दी है और बहुत ऊंचे बटाई के हिसाब कर दिये हैं। इस तरह से अगर एक साल के फिगर को ही लिया जायगा तो हो सकता है कि गड़बड़ हो लेकिन ५ साल का एग्रीगेट करके औसत निकालकर जो फिगर आयेगा उसको माना जायगा तो ठीक होगा। इसके बाद मुझे यह भी कहना है कि वह ऐसे पट्टेदारों की भी कुछ व्यवस्था करें जिनके पट्टे का समय समाप्त हो गया है उनको तो अब तक सरकार को एक्वायर कर लेना चाहिये था। ऐसी व्यवस्था भी इस बिल में होना जरूरी है। बनारस इस्टेट के अनुभव के बाद कि वहाँ के किसानों को आज तक भी वह सहूलियत नहीं प्राप्त है जो स्टेट के दूसरे किसानों को प्राप्त है और उनका एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ के पट्टेदारों के बारे में आया हुआ है और वह आज ५ बजे के बाद माल मंत्री जी से मिलने की कोशिश करेगा।

इसलिये चूंकि इस बिल में अभी इतनी कमियाँ और खामियाँ रह गयी हैं इसलिये इसको प्रवरसमिति में भेज दिया जाय। वैसे तो सरकार का बहुमत चाहेगा तो इसको ऐसे ही पास करा लेगा, उसको शक्ति प्राप्त है लेकिन न्याय और इंसाफ के नाम पर ऐसा न होना चाहिये। जो नालेज वहाँ के बारे में है वह टोटल सम होनी चाहिये और जो तजुर्बा अनुभव है, जो वहाँ की अनुभूति है, उसका लाभ माननीय माल मंत्री को और सब को उठाना चाहिये। जैसा कि श्री गेंदा सिंह जी ने कहा था, प्रवर समिति में इसके जाने से सब की जानकारी बढ़ेगी और जैसा कि बस्ती के शास्त्री जी ने कहा था कि वहाँ के बारे में बहुत कुछ अन्धकार में है। जब हम ने माँगा कि वहाँ अब तक क्या अवस्था है तो उर्दू में लिखी हुयी एक पुस्तक आई उस को गेंदा सिंह पढ़ें, मलखान सिंह पढ़ें, मैं पढ़ूं या कौन-कौन पढ़े और वह भी वहाँ की व्यवस्था के बारे में कोई समुचित पुस्तक नहीं थी। जब बड़ी कोशिश की तो हमारे एक मित्र जो वकील हैं उन्होंने कुछ सजेशन्स हमारे पास भेजे। उनको भी समुचित रूप से प्रस्तुत बिल के क्लाज बाई

क्लाज के साथ हम नहीं देख सके हैं इसलिए हम यह चाहते हैं कि इंसाफ और न्याय के लिए इसलिये कि हम इस विधेयक के साथ न्याय कर सकें, वहाँ के रहने वालों के साथ इंसाफ कर सकें और उनको यह कहने का मौका न मिले कि जब उत्तर प्रदेश विधान सभा के इन सदस्यों को यह मौका था कि उनके लिए कोई ऐसी भूमि व्यवस्था का कानून लागू करावें तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत हो गये, माननीय राजस्व मंत्री जी इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने दें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ ढहने वाला नहीं है, अगर यह प्रवर समिति में चला जायगा तो कोई पहाड़ नहीं ढह जायगा। माननीय राजस्व मंत्री अगर चाहें तो प्रवर समिति के लिये कोई टाइम मुकर्रर कर दें लेकिन इसे वहाँ भेजना आवश्यक है। इससे हम लोगों को भी मौका मिलेगा।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं जैसे कि एक माननीय सदस्य ने अभी बतलाया, पहले भी जबकि वहाँ नवाब थे तो उस समय में भी जहाँ तक हमको याद है वहाँ की जमीन की व्यवस्था को संशोधित करने के लिए लोग प्रयत्नशील थे और हमारे काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकुटबिहारी लाल जी जो कि हमारे दूसरे हाउस के सदस्य हैं उन्होंने भी कोई कमेटी बनी थी इसके लिये, उस कमेटी के सामने जाकर अपने बयान दिये थे। पूरी जाँच पड़ताल करके उनकी भी एक वैलुएबुल ओपीनियन लेने का मौका हमको नहीं मिल पाया और इन तमाम बातों को सामने रखते हुए हम फिर निवेदन करेंगे माननीय माल मंत्री से कि वह माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव को मान लें और उस प्रस्ताव को मानते हुए इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाकर इस सदन के जितने सदस्य हैं उनको मौका दें कि वह अपने सुझाव दे सकें और इसके अलावा रामपुर की इस भूमि व्यवस्था की जो जानकारी और लोगों को है वह भी अपने सुझाव दे सकें। श्रीमन्, जहाँ तक मैं जानता हूं माननीय माल मंत्री जी बराबर प्रयत्नशील रहते हैं दूसरे लोगों की कोआपीनियन जानने के लिये। जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की नियमावली बनाने का कार्य था तो प्रवर समिति की जो बैठक होती थी उसमें गोरखपुर और दूसरे जिलों के जानकार वकीलों को भी माननीय माल मंत्री जी आमन्त्रित करते थे। इसलिये मेरे ख्याल में जब प्रवर समिति में यह विधेयक जायगा तो कुछ ऐसे सम्मानित वकील भी होंगे जो वहाँ की व्यवस्था से विशेष जानकारी रखते होंगे उनकी सम्मति भी प्राप्त हो सकेगी। इन तमाम बातों को सामने रखते हुये मैं बहुत डरते हुए मगर यह आशा करते हुए कि माननीय माल मंत्री जी प्रवरसमिति में ले जाने के इस प्रस्ताव को मान लेंगे, उनसे निवेदन करता हूं कि वह इसको प्रवर समिति में ले जायं जिससे कि इस विधान सभा क सम्मानित सदस्य इस बिल के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सकें।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१२०

विपक्ष में—१५।)

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गयी हैं इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में, उनका जवाब मुख्तसरन दूंगा।

[श्री चरण सिंह]

पहली बात तो माननीय राजनारायण जी ने यह कही कि साहब जो यह सर्वसम्मति से तय है कि जमींदारी खत्म करनी है तो एक-दम क्यों न खत्म कर दी जाय ? यह पहला क़दम उठाने की क्या जरूरत है ? अब मैं क्या अर्ज करूं ? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है किसी भी समझदार आदमी के लिये। जो काम करना है वह सब पहले कदम में कर लिया जाय। यह नहीं है कि अगर ग्यारह कदम चलना है तो १० पहले उठा लिये जायं बल्कि ग्यारहवाँ पहले ही, बगैर १० कदमों के उठाये हुए, उठा लिया जाय। मैंने अपनी स्पीच में यह अर्ज किया था कि क़ानूनी मशविरा यह है कि जब तक ठेकेदारी वहाँ खत्म नहीं की जायगी तब तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू नहीं हो सकता। जहाँ तक जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू होने का ताल्लुक है मुझको उन से कम जल्दी नहीं। यहाँ तक हुआ कि अडाप्टेशन आर्डर तैयार हो गया और प्रोमलगेट होने वाला था। उस वक्त हमारे कानूनी मुशीरों ने और विचार किया उस पर। मैं तो आग्रह कर रहा था कि नहीं, जल्दी से वहाँ जमींदारी ऐक्ट लागू करो, लेकिन उन्होंने ज्यादा गौर करके यह कहा कि यह हो नहीं सकता। पहले ठेकेदारी यहाँ खत्म होनी चाहिये। तो यह मजबूरी की हालत में छोटा विधेयक लाना पड़ा है। यह बात नहीं है कि यह गैर-जरूरी काम किया जा रहा है।

दूसरी बात जो कही जाती है और जिस पर श्री गेंदा सिंह ने बड़ा जोर दिया कि साहब जो लीजेज हैं, पट्टे हैं वह मनसूख कर दिये जायं। इसमें पट्टे मनसूख करने की कोई धारा नहीं। तो मैं अर्ज करता हूं कि यह उनका एतराज भ्रम पर आधारित है। उनको खयाल यह है कि जो पट्टे सौ-सौ एकड़ और पाँच-पाँच सौ एकड़ के कुछ लोगों ने लिए हैं उन पट्टों से इस विधेयक का वास्ता है। ऐसा नहीं है और यह भ्रम पैदा हो जाने का एक कारण भी है। क्योंकि वह पट्टे भी "लीज" ही कहलाते हैं और "लीज" शब्द ही इस बारे में इस्तेमाल किया गया है। मैंने उन को पहले भी समझाने की कोशिश की थी। दरअसल वह पट्टे जो रामपुर स्टेट की तरफ से काश्तकारी के लिए दिये गये थे उन पट्टों से इनका कोई वास्ता नहीं है। यह तो एक-एक गाँव और दो-दो गाँवों के ठेके दिये गये कि दूसरे लोग आबाद करें और जो बंजर भूमि है उसको रिक्लेम करे। उन ठेकों के मातहत जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में भी ठेका अलग चीज है और लीज और पट्टा अलग चीज है। यहाँ यह बात ठीक है कि लफ्ज 'लीज' इस्तेमाल किया गया है इस तरह के ठेके के लिये, लेकिन लीज की परिभाषा धारा २ की उपधारा (६) में साफ तौर पर कर दी गयी है :

"Lease means a theka, patta or grant made by the State Government under and in accordance with notification published in the Rampur State Gazette dated October 19, 1935, or Chapter XIII of the Qabza Arazi Riyasat Rampur Act, 1937, read with Rampur State Gazette notifications dated 28th day of May, 1938, and 12th day of March 1949."

['पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्टूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है।]

तो उन विज्ञप्तियों के मातहत जो ठेके दिये गये हैं उन ठेकों से इस विधेयक का कोई वास्ता नहीं है। जो पट्टे मरजर होने के पहले दिये गये उनसे इसका हरगिज ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इसके मुताल्लिक बड़ी-बड़ी तकरीरें हुयीं।

एक बात यह कही जाती है कि साहब लगान घटना चाहिये। लगान किसका घटना चाहिये ? यह बात ठीक है कि रामपुर के कुछ इलाकों में आस-पास के अजला के मुकाबिले में काश्तकारों को ज्यादा लगान देना पड़ता है ? लेकिन ७ गुने या ८ गुने का फर्क हो, ऐसी

बात नहीं है। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने कोई ऐसा बयान भी इस सदन के सामने नहीं दिया जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी बतलाते हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मुरादाबाद और बरेली के मुकाबिले में कुछ ज्यादा लगान देना पड़ता है। जिस वक्त कि वहां पर जमींदारी एबालिशन हो उस वक्त ही वहां पर लगान घटाने की बात सोची जा सकती है। यह कानून वहां के जो एक्चुअल टिलर्स हैं, या जो काश्तकार हैं उन के हक्क के ऊपर तो कोई असर डाल ही नहीं रहा है। इसलिये उनके रेन्ट के रिडेक्शन का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री गेंदा सिंह को बीच में ही समझाने और इंटरवीन करने की कोशिश की थी, इंटरवल के बाद भी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं समझाने में कासिर रहा और उन्होंने फिर उसी बात को दोहराया।

एक बात और यह कही जाती है कि साहब बड़े-बड़े पट्टे अब भी दिये जा रहे हैं। इस तरफ की बेंचों पर बैठने वाले एक सदस्य ने भी यही कहा और रोष प्रकट किया। जहां तक रामपुर में पट्टे देने की बात है, ३० नवम्बर, १९४९ के बाद जब से कि रामपुर स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट में विलीन हो गयी, उसके बाद से कोई बड़े पट्टे नहीं दिये गये। पट्टे जो दिये गये वह ३० नवम्बर, १९४९ के पहले दिये गये, लिहाजा यह कहना कि पट्टे अभी भी बड़े-बड़े दिये जा रहे हैं, यह बात गलत है। यह बात वास्तविकता से वास्ता नहीं रखती है। हां, तराई भावर का एक सवाल कल पूछा गया था यहां असेम्बली में, उसका अभी जवाब दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी अखबारों में जवाब छपा, उसका माननीय गेंदा सिंह जी ने भी जिक्र किया। जब वह सवाल आये और उस पर उप प्रश्न पूछे जायं उस वक्त मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस सदन का समाधान करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर भी मैं संक्षेप में बतला देना चाहता हूं कि वह पट्टे उस जमाने के हैं जबकि वहां कोई जाना नहीं चाहता था। लोगों से खुशामद की जाती थी और गवर्नमेंट कोशिश करती थी कि लोगों को वहां बसाया जाय, बड़े-बड़े पूंजीपति वहां बसें, उस जमीन को रिक्लेम करें और उसे आबाद करें। वाकया यह है कि बड़े-बड़े पूंजीपति वहां गये और कुछ दिनों के बाद वहां से भाग खड़े हुये। जंगली जानवरों के नुकसान करने की वजह से, मजदूरों की कमी की वजह से और वहां की जलवायु के खराब होने की वजह से वहां से चले आये। लेकिन अब जो लोग वहां बसना चाहते हैं वह इस लिये कि वहां कालोनाइजेशन हो गया है। जबकि वहां मलेरिया नाश हो चुका है, जबकि वहां सड़कें बन चुकी हैं, जब कि जहां शेर रहते थे वहां आबादी हो गयी है और वहां रात में बिजली चमचमाती है, तो जब से यह सूरत हो गयी है तब से कोई पट्टा वगैरह नहीं दिया गया। उस वक्त जबकि लोग आबाद नहीं होते थे, गवर्नमेंट की अपनी गर्ज थी कि लोग वहां आबाद हों, तब ऐसे पट्टे दिये गये हैं। उनमें दो पट्टे बेशक ऐसे हैं जो कि काशीपुर के राजा साहब के हैं और वह भी इस तरह के हैं जब कि हमने उनका एक बड़ा इलाका एक्वायर किया, तब उन्होंने यह कहा कि हमारे पास काश्त करने के लिये कोई जमीन नहीं रह गयी है। इस तरह २६ सौ एकड़ के करीब भूमि उनके लिये छोड़ दी गयी है। उसमें एक पट्टा पांच सौ एकड़ का है और दूसरा शायद २०६७ एकड़ का है। और कुल जमीन २५६७ एकड़ या २६ सौ के करीब होती है। इस तरह से दो पट्टे हैं। हो सकता है कि कोई एक आध पट्टे और हों। जब हमने मालूमात कराई तब यह मालूम हुआ कि यही दो पट्टे हैं जो बड़े-बड़े हैं और मैं यह समझता हूं कि यह पट्टे उस पालिसी के मातहत दिये गये हैं कि जहां हमने जमीन एक्वायर की है उसके बीच में उन लोगों की वह जमीन पड़ी थी जहां कि वे पहले से खेती कर रहे थे तो वह जमीन उनको छोड़ दी गयी और उन्हीं के नाम वह पट्टा छोड़ दिया गया, टाइटिल एक्वायर कर लिया लेकिन उसके बाद पट्टा लिखने की जरूरत यों हुयी। तो इस तरह के दो चार पट्टे बेशक हैं। लेकिन यह कि गवर्नमेंट ने कालोनाइजेशन के बाद बड़े-बड़े लोगों को पट्टे दिये हों, ऐसा नहीं है। खैर जैसा मैंने कहा कि यह बात ज्यादा इस बिल से ताल्लुक नहीं रखती और ३० नवम्बर सन् १९४९ के बाद कोई बड़ा पट्टा नहीं दिया गया।

[श्री चरण सिंह]

अब यह कि वह पट्टे मंसूख कर दिये जायं, अगर यह सदन ऐसा तय कर देगा तो जरूर मंसूख कर दिये जायंगे। लेकिन इसका इस विधेयक से ताल्लुक नहीं है। वह एक बड़ा प्रश्न है और कई बार उसकी चर्चा हो चुकी है। देखना यह है कि उसकी आवश्यकता इस सूबे के अन्दर है या नहीं है। जो कुछ थ्योरीज हम अपने दिमाग में लिये फिरते हैं अगर उनको हर जगह हम अप्लाई करने की बात सोचें, तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अगर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि बड़े-बड़े फार्मों को तोड़ दिया जाय तो हमें यह भी देखना चाहिये कि ३०-३० एकड़ के फार्मों में लोग हजारों रुपये लगाते हैं, फिर भी कई साल तक उनको नुकसान होता है। इस समय अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपया लगा करके उन जमीनों को डेवलप करे, तो यह बात हमें मुश्किल मालूम होती है क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है। हम चाहते हैं कि जिनके पास पैसा है वे वहां जायं और उस जमीन को डेवलप करें वरना गवर्नमेंट के पैसे से उसको डेवलप करने की सम्भावना अभी बहुत दिन तक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और गवर्नमेंट को क़र्ज़ तक लेना पड़ता है। लिहाजा यह बात कहना कि उन इलाकों में बड़े-बड़े फार्मों को तोड़ दिया जाय, इसके लिये मैं इस सदन को यक़ीन दिलाता हूं कि यह हर्गिज-हर्गिज जनहित में नहीं होगा।

मदन मोहन उपाध्याय जी कहीं चले गये हैं। उन्होंने कुमायूं का जिक्र किया। यह गैर मुताल्लिक बात थी लेकिन चूंकि कही गयी, इस लिये मैं भी थोड़ा सा जिक्र कर देना चाहता हूं। जहां तक कुमायूं में जमींदारी उन्मूलन का प्रश्न है, हमको यह जान लेना चाहिये की वहां ७३ फीसदी रक्बा तो पीजेंट प्रोपराइटर्स के अपने ही कल्टीवेशन और अक्यूपेशन में है। और ठीक २२ फीसदी रक्बा ऐसे लोगों के पास है जो कहीं दस फीसदी और कहीं २० फीसदी हिस्सेदार को मालगुजारी देते हैं, और वह मालगुजारी जो हिस्सेदार को देते हैं गवर्नमेंट को उसका बीस फीसदी देते हैं। उन सब को ट्रांसफरेबिल और हेरिडिटरी राइट्स हैं। इस तरह ९५ फीसदी जमीन पीजेंट प्रोप्राइटर्स के कब्जे में है, जहां कि लैण्डलार्ड और टेनेण्ट सिस्टम का सवाल ही नहीं है। केवल ५ फीसदी जमीन ऐसी है जो कि सीरदारों के कब्जे में है। वहां के रिकार्ड्स बहुत पुराने हैं और उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। यह सवाल कई बार स्टडी किया जा चुका है और इसके लिये एक विशेष आफिसर नियुक्त किया था। उसकी एक बड़ी लम्बी रिपोर्ट आयी है। उसमें लम्बे चौड़े नोट्स हैं। वह मेरे पास रखे हुए हैं। मैंने उनको देख लिया है, लेकिन अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मुझे नहीं मिला है। लेकिन, वह कोई बड़ा प्राब्लम नहीं है। बहुत थोड़ा सा रकबा है और उनकी भी बेदखलियां एक्जिक्यूटिव आर्डर्स से बन्द हैं। वहां के रेकार्ड्स सही हो जायं जैसे जौनसार भाबर में कराया गया तो उन लोगों को फायदा हो जाय। लेकिन वहां बिना विचार किये हुये एकदम जमींदारी एबालिशन की बातें करना काश्तकारों के ज्यादा हक में नहीं हैं। जमींदारी एबालिशन वहां इसी तरह होगा जिस तरह हमारे सूबे में हुआ है या अलेहदा अधिनियम लाना पड़ेगा और वहां कोई जमींदारी है भी या नहीं, यह सब सोचने की बातें हैं, ये सारे मामले आसान नहीं हैं, लेकिन जहां आसान नहीं हैं वहां मैं यह अर्ज करूंगा कि गम्भीर भी बिल्कुल नहीं हैं। थोड़े आदमियों पर उसका असर है। एक बात कही गयी ३० एकड़ के मुताल्लिक कि ३० एकड़ से जो ज्यादा जमीन हो उसे गवर्नमेंट को अपने पास रख लेना चाहिये। उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं है। मैं बतलाता हूं कि जिक्र है ३० एकड़ का जो विशेष रकबा है। मैं राजनारायण जी को बतलाना चाहता हूं कि ३० एकड़ से जो जायद जमीन है इस विधेयक में उसके लिये जिक्र है। ठेकेदारों की पर्सनल कल्टीवेशन में वह शामिल है और उनके अपने नाबालिग बच्चों के लिये एक अमेंडमेंट आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको स्वीकार करने का विचार है। जहां तक रामपुर का सम्बन्ध है यहां स्त्री का नाम तीस एकड़ कल्टीवेशन में शामिल किया जायगा। इसमें

प्राविजो दिया हुआ है धारा ४ (ख) में पहला प्रतिबन्ध है। वह वेकेण्ट लैण्ड हो जायगा और जब जमींदारी एबालिशन होगा तो वह लैण्ड विलेज कम्युनिटी का होगा और जो लैण्ड-लेस लोग हैं उनको वह दिया जायगा।

एक सवाल उठाया गया कि एप्लीकेबिल रेट क्या है। उसके मुतालिक में केवल इतना कहना चाहता हूं कि क़ानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर की दफा ५४ उसके अन्दर जो सैंक्शन्ड रेट्स हैं जैसे बन्दोबस्त में यहां सैंक्शन रेट्स होते हैं वही रेट्स यहां पर एप्लाई होंगे।

माननीय राजनारायण जी ने एक बात और उठायी कि उन ठेकेदारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम या अज़ीज़ों के नाम थोड़े लगान पर पट्टे कर दिये होंगे तो उनकी माल-गुजारी या लगान बढ़ना चाहिये उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के बमूजिब पहली जुलाई, सन् ४८ के बाद किसी जमींदार ने किसी काश्तकार को किसी परती के लगान से कम शरह पर जमीन उठा दी है, तो उस पर वही शरह लागू होगी। अब सवाल यह है कि बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाअदब गुजारिश करूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। एक ही इसमें सवाल है कि ठेकेदारों को मुआविजा कितना दिया जाय। उस मुआविजे का उसूल हमने वही रक्खा है, जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में है। वह मुआविजा बहुत ज्यादा नहीं होगा लिहाजा नकद दे देंगे। बांड्स का सवाल नहीं है। जो नेट एसेट्स हैं उनका ५ से ज्यादा का मल्टीपिल नहीं होगा। ५ साल के ऊपर के लिये सीलिंग होगी। रहा यह कि लिटरेचर आप को नहीं मिला, तो माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी की तरफ से मेरे पास चिट्ठी आयी थी और जो लिटरेचर हमारे पास था वह हमने उनके पास भेज दिया। रामपुर टेनेंसी ऐक्ट और जो नोटीफिकेशन्स हमारे पास थे वे सब उनके पास भिजवा दिये। और कोई लिटरेचर नहीं है जिससे इस बिल को स्टडी करने की जरूरत हो।

हमारे यहाँ लैंड रिफार्म्स कमिश्नर के स्टाफ़ पर एक आफ़ीसर आन स्पेशल ड्यूटी है जो कि लैंड रिकार्ड्स के मामले में बहुत ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। वह रामपुर गये थे और वह अंग्रेजी जमाने में भी वहाँ काम कर चुके हैं। उन्हें वहाँ की बहुत कुछ वाक़फ़ियत है। राजनारायण जी को जहाँ तक एक्सपर्ट ऐडवाइस की जरूरत हुई, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब इसकी और जरूरत नहीं है। यों तो ठीक है कि हमेशा विचार अगर करते रहें, रामपुर के रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टरों को और वहाँ के तमाम वकीलों को अगर बुलावें तो मुमकिन है कि कोई बात निकल आवे। लेकिन हमको जहाँ तक सूझता है, कोई और बात निकलने वाली नहीं है। रामपुर से हमने ४ तो सदस्य यहीं इन ४३० में बुला रखे हैं और उनकी राय से काम किया गया है और वे सहमत हैं जैसा कि एक या दो की तक़रीरों से यहाँ जाहिर हुआ है। जितना मैं जानता था पहले कह दिया था और बाक़ी अब जवाब में अर्ज़ कर दिया है। कुछ और ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। तो इस बिल को प्रवर समिति को सुपुर्द करने की मेरी राय में कोई जरूरत नहीं है। केवल समय नष्ट होगा। यह यहाँ से पास हो कर काऊंसिल में जायगा। और फिर गवर्नर के दस्तखत होंगे और फिर सेक्शन ३ के मुताबिक़ हमको कोई डेट मुक़र्रर करनी होगी। और फिर सेक्शन २ के मातहत नोटीफाई होगा। इस तरह से अगर प्रवर समिति को भेजा जायगा तो महीने भर को बात टल जाती है क्योंकि यह सेशन भी उठने वाला है। बहुत देर हो जायगी। मैं नहीं समझता कि इससे कोई जनहित का सम्पादन होगा। इन शब्दों से मैं माननीय गेंदा सिंह जी के सुझाव का विरोध करता हूं और जो मैंने प्रस्ताव किया था उसके लिए फिर आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, को यह सदन प्रवर समिति के विचारार्थ भेजने का निश्चय करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।—

पक्ष में— १६

विपक्ष में—१११।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषायें

२—जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में:

(१) 'अबवाब' का तात्पर्य अबवाब, मालिकाना या चौकीदारी से है।

(२) 'कलेक्टर' के अंतर्गत परगने का इन्चार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector of the lst class incharge of a Sub-division) तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दिया हो,

(३) 'डिग्री' का वही अर्थ है जो 'decree' को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(४) 'मौरूसी दर' का तात्पर्य कानून कब्जा आराजी, रियासत रामपुर, १९३७ की धारा ५४ के अन्तगत स्वीकृत दर से है,

(५) 'भूमि' का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हो,

(६) 'पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट गजट दिनाँक २८ मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ को प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत ठेका, पट्टा अथवा अनुदान से है,

(७) 'पट्टेदार' के अन्तर्गत ठेकेदार, पट्टेदार, मुस्तजिर और अनुदानग्रहीता (grantee) भी हैं, इन्हें चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो,

(८) 'विधिक प्रतिनिधि' का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "legal representative" को दिया गया है,

(९) 'नियत (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(१०) 'पिछला कृषि वर्ष (previous agricultural year) का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) होने का दिनाँक पड़ता हो,

(११) 'रामपुर' का वही अर्थ है जो उसे रामपुर ऐडमिनिस्ट्रेशन आर्डर, १९४९ में, दिया गया है,

(१२) 'लगान' के अन्तर्गत रामपुर स्टेट गजट दिनाँक १९ अक्तूबर, १९३५ में प्रकाशित बन्दोबस्त सिसाला योजना के तथा क़ानून कब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १९३७ के अध्याय १३ के अधीन रामपुर स्टेट गजट में प्रकाशित दिनाँक २८ मई, १९३८ और १२ मार्च, १९४९ की विज्ञप्तियों के उपबन्धों के अधीन पट्टेदार द्वारा देय जमा, मालगुजारी और जरे ठेका भी है,

(१३) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य—

(क) जहाँ तक दिनाँक १ दिसम्बर, १९४९ के पूर्व की गई किसी बात का सम्बन्ध है, रामपुर (ऐडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर, १९४९ के पैरा ३ के अधीन नियुक्त रामपुर के चीफ कमिश्नर से है अथवा यथास्थिति हिज हाइनेस नवाब रामपुर, सरकार रामपुर, रामपुर दरबार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी या व्यक्ति से है जिसे सम्बद्ध दिनाँक पर रामपुर के कार्यपालिका शासन (Executive Government) के सम्पादन अथवा प्रशासन का अधिकार प्राप्त रहा हो, और

(ख) जहाँ तक उक्त दिनाँक के बाद की गई किसी बात का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार है,

(१४) शब्द और पद—

(क) 'ठेकेदार', 'पट्टेदार', 'लगान', 'सायर', 'असामी', 'ग़ैर दखीलकार', का वही अर्थ होगा जो इन्हें कानून कब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १९३७ में दिया गया है, और

(ख) 'बन्दोबस्त सिसाला योजना' का वही अर्थ होगा जो उसे रामपुर स्टेट गजट में बाद को प्रकाशित दिनाँक ६ अगस्त, १९३८ तथा ५ नवम्बर, १९३८ की विज्ञप्तियों से संशोधित रामपुर स्टेट गजट की १९ अक्तूबर, १९३५ की विज्ञप्ति में दिया गया है।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित नई धारा रख दी जाय—

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप खंड २ के संशोधन को ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री गेंदा सिंह—मेरे ही कल के दोनों संशोधन हैं। एक खंड १ (३) में संशोधन करने का प्रस्ताव है और दूसरा संशोधन खंड २ (५) की पंक्ति २ में शब्द "रखने वाले" के बाद और शब्द "किसी" के पहले निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"या भूमि .....

एक सदस्य—कहाँ से पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह मुझे अभी मिला है। मैंने इसकी एक प्रतिलिपि राजस्व मंत्री के पास भेज दी थी और इसकी इत्तिला सदन को नहीं मिली है।

श्री चरण सिंह—मुझे इसकी प्रतिलिपि तो मिल गई है, लेकिन यह नियम के विरुद्ध है और मुझे इस पर एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसी सूरत में मैं आपकी राय लेना चाहूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल आप को मालूम है सरकार की तरफ से हमारे पास यह प्रस्ताव आया था कि आपस के सहयोग से आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक को खत्म कर दिया जाय। अगर हम अपनी मनमानी करते तो तीन दिन तक वही बिल चलता रहता। ऐसी सूरत में जब हम सहयोग देते हैं तो हमारे संशोधन पर इस तरह से एतराज किया जाता है कि यह ठीक समय पर नहीं आया और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को ज्ञात होगा कि कल यह भी निश्चय हुआ था कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो कोई चीज भविष्य में नहीं उठायी जायगी। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री अपने विरोध को वापस ले लेंगे।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो धमकीपूर्ण बात श्री रामनारायण जी त्रिपाठी कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सहयोग अवश्य होता है। इस सम्बन्ध में भी मुझसे पहले मशविरा कर लिया जाता जो नहीं किया गया। यदि वह मश्विरा कर लेते तो शायद मैं इसकी स्वीकृति भी दे देता। दूसरी बात यह है कि दो बिल स्वायल कंजरवेशन और यू० पी० एनकम्बर्ड स्टेट्स बिल पर मैंने उनसे मश्विरा किया था कि वह प्रवर समिति को दे दिये जायं, लेकिन वह तैयार नहीं हुये और चले गये छोड़ कर। इसके बाद एक दूसरे साहब ने एतराज उठाया था और वह अध्यक्ष की आज्ञा से लिये गये। इन दो बातों के होते हुए उन्हें उलाहना देने का कोई हक़ नहीं है। फिर भी मुझे कोई एतराज नहीं है, आप उनको ले लीजिये।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ (५) की पंक्ति २ में शब्द "रखने वाले" के बाद और शब्द "किसी" के पहले निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले"

अगर उस संशोधन को इस धारा में रख दिया जायगा तो वह इस प्रकार हो जायगी—

"२—(५) भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में हो,"

यह एक ऐसा संशोधन है जिस पर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। केवल इसका मतलब इतना ही होता है कि अगर कोई भूमि की हैसियत बढ़ाने के लिये जमीन को कमा ले या उसके लिये कुछ काम करता है तो उसको भी भूमि की परिभाषा में जोड़ दिया जाय। हैसियत बढ़ाने वाले कामों की परिभाषा कई जगह हो गई है, उस पर मुझे अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अगर उस परिभाषा में कोई आजाता है तो उसको भूमि मान लिया जाय। यह हो सकता है कि जो काम आज बताये गये हैं उनके अलावा भी कोई ऐसा काम करे जिससे जमीन की हैसियत बढ़ती हो। जिस प्रकार कि

पशुपालन में मधुमक्खी का पालना नहीं आता, मछली पालना नहीं आता, इसी प्रकार कामों में ऐसे काम भी हो सकते हैं जो खेती के कामों में न गिने जायं। अगर कोई किसान अपने रोज के कामों से ऊब कर उनको करता है तो ऐसा करने का मौक़ा उसको दिया जाय। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि मेरे इन शब्दों—"या भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले", को बढ़ा दिया जाय। मैं समझता हूं इसके विरुद्ध कुछ कहने की आवश्यकता न होगी और माननीय राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे। मैं फिर उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन पर विचार कर लें और विचार करने के बाद उसको स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि जो भूमि की परिभाषा ज़मींदारी एबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में की गयी है वही हमने यहाँ रखा है और वही रखना ठीक है वरना बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा होतीं। दूसरी बात यह कि अगर आप का संशोधन मान लिया जाय तो इस प्रकार यह उपखंड हो जायगा—

"भूमि का तात्पर्य उस भूमि से है जो भूमि की हैसियत बढ़ाने वाले प्रयोजन के लिये दी गयी हो।"

(इस समय ४ बज कर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं समझता हूं कि डिफाइन करने की जो बात थी उसको तो आपने फिर छोड़ ही दिया। आखिर वह कौन सी भूमि है? इसलिये यह बिलकुल असंगत है।

तीसरी बात यह है कि यह केवल ठेकेदारों के ठेकेनामे को मंसूख करता है। काश्तकारों के कब्ज़े में जो जमीन है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता है। तो क्या ज़रूरत है कि जितनी भी बातें रामपुर की हों उन सब को इस रामपुर पट्टेदारी को खत्म करने वाले बिल में ही कहा जाय? इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह से) क्या आप इसको वापस ले रहे हैं?

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन शब्दों से इस धारा की क्या खूबसूरती बिगड़ जाती है। मैं तो समझता हूं कि इसके आने से न तो उसकी कोई खूबसूरती बिगड़ती है और न जो अर्थ उसका माननीय राजस्व मंत्री जी समझते हैं उसका अनर्थ हो हो जाता है। लेकिन मैं आगे कुछ और भी संशोधन रखना चाहता हूं जो इससे ज्यादा आवश्यक होंगे।

श्रीरामनारायण त्रिपाठी—बारगेनिंग हो रही है.....

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने 'बारगेनिंग' शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं बारगेनिंग की दृष्टि से नहीं बल्कि इसलिये इस संशोधन को वापस ले लूं कि शायद आगे आने वाले जो संशोधन हैं उन पर माननीय राजस्व मंत्री जी मेहरबानी करके विचार करें। तो इसलिये मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री फजलुल हक—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३ के खण्ड २ के उपखंड (६) की दूसरी पंक्ति के अन्तिम शब्द "अथवा" और पाँचवी पंक्ति के अन्तिम शब्द "आधीन" के बीच की वर्तमान शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"क़ब्ज़ा आराजी रियासत रामपुर ऐक्ट, १९३७ के अध्याय १३ के अथवा रामपुर स्टेट गज़ट, दिनांक २८, मई, १९३८ तथा १२ मार्च, १९४९ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित उक्त अध्याय के"

श्री चरण सिंह—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १६५३ के खंड २ के उपखण्ड (६) की दूसरी पंक्ति के अन्तिम शब्द "अथवा" और पाँचवीं पंक्ति के अन्तिम शब्द "अधीन" के बीच की वर्तमान शब्दावली के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"क़ब्जा आराज़ी रियासत रामपुर ऐक्ट, १६३७ के अध्याय १३ के अथवा रामपुर स्टेट गज़ट, दिनाँक २८ मई, १६३८ तथा १२ मार्च, १६४६ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित उक्त अध्याय के"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (६) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह तीस एकड़ से अधिक का न हो।"

पट्टे की परिभाषा इस उपखंड में इस प्रकार है—

"पट्टा" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा रामपुर स्टेट गज़ट दिनाँक १६ अक्तूबर, १६३५ में प्रकाशित विज्ञप्ति के अथवा रामपुर स्टेट गज़ट दिनाँक २८ मई, १६३८ तथा १२ मार्च, १६४६ की प्रकाशित विज्ञप्तियों के साथ पठित कानून क़ब्जा आराज़ी रियासत रामपुर, १६३७ के अध्याय १३ के अधीन तथा अनुसार स्वीकृत टेका, पट्टा अथवा अनुदान से है।"

उसके पश्चात् यह प्रतिबन्ध आवेगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह तीस एकड़ से अधिक का न हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी मुझे यह समझा दें कि यह ज़रूरी नहीं है तो मैं इस संशोधन को वापस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं हैं जो मैं माननीय गेंदा सिंह जी को समझाने में इस्तेमाल करूं। पट्टे की परिभाषा यह है.....

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह तो आउट आफ आर्डर भी है। यह इस प्राविजन में ठीक नहीं बैठ सकता।

श्री चरणसिंह—जी हाँ, इसका तो बिलकुल उल्टा मतलब हो जायगा। यह वहाँ ठीक बैठता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—खैर, यह पेश तो हो चुका है, लेकिन मुझे किसी वक्त भी किसी भी स्टेज पर आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करने का अधिकार है और मैं इसे आउट आफ आर्डर डिक्लेयर करता हूँ।

(कुछ समय के अनन्तर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (Law, Contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वध होगा कि वह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके ऐसे दिनांक से जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जो आगे चल कर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे। पट्टों का अवसान (determination)

श्री अध्यक्ष—(श्री गेंदा सिंह से) खंड ३ पर आपके ये संशोधन मैंने देखे नहीं हैं। कहीं गलत न हों।

श्री गेंदासिंह—ये गलत नहीं होने चाहिये। उसके बारे में तो मुझे भी शक था।

श्री शिवनारायण—आन ए प्वाइंट आफर आर्डर सर, गेंदा सिंह जी का नाम तो अजेंडे में है नहीं।

श्री अध्यक्ष—उनके ये संशोधन बाद में आये थे। और उपाध्यक्ष जी ने उनको स्वीकार कर लिया है और माननीय मंत्री जी को कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवनारायण—लेकिन अध्यक्ष महोदय हम लोगों को तो एतराज है क्योंकि ये अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सूचना हम लोगों के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह एतराज तो एक ही मरतबा किया जा सकता है।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवनारायण जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह ध्यान से सुनें। मेरा संशोधन यह है कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिये जायं।

"परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त प्रकार की आज्ञा इस अधिनियम के लागू होने के ६ मास के भीतर गजट में प्रकाशित कर दी जायगी।"

अब इस खंड ३ का यह रूप हो गया है ".....कि जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जो आगे चलकर अवसान का दिनांक कहा गया है) किसी पट्टे का अवसान कर दे। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त प्रकार की आज्ञा इस अधिनियम के लागू होने के ६ मास के भीतर गजट में प्रकाशित कर दी जायगी।"

तो इसका मतलब केवल इतना है कि ६ मास के भीतर वह कार्यवाही हो जाय। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी जल्दी चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग तकलीफ उठा रहे हैं उनकी तकलीफ जल्दी ही रफा की जाय ताकि उनका सिर छूट जाय। तो उनका इरादा जरूर यह होगा कि जल्दी से वहाँ पर यह लागू किया जाय, लेकिन ६ महीने में यह गजट में प्रकाशित हो जाय बस इतना सा मेरा संशोधन है। अगर वह जल्दी चाहें तो २ महीना या ४ महीना भी रख सकते हैं। मैं समझता हूं कि मेरा यह निर्विवाद संशोधन है और इस पर मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना चाहता हूं कि यह ६ महीने से आगे न जाय।

श्री चरण सिंह—माननीय गेंदा सिंह जी फर्ज मानकर चलते हैं कि यह गवर्नमेंट जमींदारी को खत्म करना नहीं चाहती है, इसलिये वह गजट करने का प्रतिबन्ध इसमें लगाना चाहते हैं। मैं उनको यक़ीन दिलाना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी इसको करनी चाहते हैं। बल्कि उल्टे प्रतिबन्ध लगाने से यह होगा

[श्री चरण सिंह]

कि ६ महीने का बोझ रहेगा। जैसे ही यह अधिनियम पास हो जायगा वैसे ही एक सप्ताह या एक महीना या दो महीना के अन्दर हम इस काम को प्रारम्भ कर देंगे। ६ महीने की शर्त लगाना आवश्यक ही नहीं बल्कि फजूल मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष--इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि अगर ६ महीने तक आर्डर पास न हुआ तो फिर ६ महीने के बाद नहीं हो सकता है। इसके बाद आर्डर पास करने का अधिकार छिन जायगा। अगर ६ महीने तक अमल नहीं किया गया तो उसके बाद फिर नहीं किया जा सकेगा।

श्री चरण सिंह--जी हाँ, आपने जैसा फरमाया है इसका यह अर्थ भी हो सकता है। परन्तु हम तो यह समझते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आयेगी। मैं आपके जरिये से उनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह का जो विचार उनके दिमाग में घूमा करता है और जिससे उनको तकलीफ होती है वह उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दें। मैं उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह गवर्नमेंट जमींदारी को खत्म करने के लिये उतनी ही लालायित है जितना कि वह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा है।

श्री गेंदा सिंह--मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारे संशोधन का उद्देश्य है वह उद्देश्य पूरा होता है चाहे राजस्व मंत्री जी हमको कितनी ही गाली दें। जब हमारा उद्देश्य पूरा होता है तो मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

पट्टों के अवसान के परिणाम

४--जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा--

(क) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहाँ आगे चलकर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे मानों कि पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गयी हो;

(ख) जब पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत भूमि को खुदकाश्त में ले लिया हो तो पट्टेदार--

(१) कानून कब्जा आराजी रियासत रामपुर, १९३७ की धारा १४ के खंड (हे) से (काफ) तक में वर्णित भूमि से भिन्न भूमि का असामी गैर-दखलकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) दर से आकलित लगान के बराबर देना पड़ेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायेगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।

(२) खंड (१) में अभिदिष्ट भूमि से भिन्न भूमि के सम्बन्ध में आगमहीन (without title) अध्यासी व्यक्ति समझा जायगा और वह ऐसे व्यक्तियों के लिये समय विशेष पर प्रवृत्त विधि के अनुसार उस भूमि से बेदखल किया जा सकेगा ।

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के बारे में लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा ।

(घ) ऐसी किसी भी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनाँक के बाद किसी भी अवधि के लिये देय सभी लगान अबवाब तथा अन्य देय धनराशि जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् की हुयी उक्त धनराशि की कोई भी अदायगी उक्त व्यक्ति द्वारा जिस पर उसे देने का दायित्व हो वैध भुगतान न होगी यद्यपि ऐसे व्यक्ति के पट्टेदार से उसे वसूल करने के अधिकार पर इससे कोई प्रभाव न पड़ेगा,

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (determined) पट्टे से भिन्न अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न हुये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा (agreement or contract) के अधीन उक्त दिनांक के बाद की किसी भी अवधि के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियाँ पट्टेदार को दी गयी हों अथवा उसने संघित (Compounded) या वसूल की हों, तो वह अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुये भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती है और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूली की जा सकती है ,

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व की अवधि के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनियम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काट कर वसूल की जा सकती है,

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावशाली प्रत्येक बन्धक, शिकमी पट्टा अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तान्तरण (transfer) का अवसान हो जायगा और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे मानो कि पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गयी थी जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (Compulsary acquisition) की व्यवस्था की गयी हो,

(ज) पट्टे के अन्तर्गत भूमि में चराने अथवा भूमि से उपज एकत्रित करने का, पट्टेदार तथा अन्य किसी व्यक्ति के बीच ३० नवम्बर, १९४९ के पश्चात् हुआ कोई भी अनुबन्ध अथवा अन्य संविदा अवसान के दिनांक से प्रभावहीन (void) हो जायगा ,

(झ) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिये नियत की जाने वाली

शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और इसके अतिरिक्त उक्त अवधि समाप्त होने पर यदि कि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो (और ऐसी दशा में अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी ।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय—

"(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त भूमि समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझकर बेदखल किया जा सकेगा और उस अवसान के दिनांक से ठीक पहले की मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक न होगी ।"

तो अगर ५ रुपये तक मालगुजारी होगी तो अध्यक्ष महोदय, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर ५ रुपये से अधिक लिखी हुयी हो, तो उन्हें ५ रुपये से अधिक न देना पड़े यह मेरा मतलब है ।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं इस बिल का स्कोप यह नहीं है कि मालगुजारी बढ़ाई या घटाई जाय और यह ५ रुपया एकड़ या ६ रुपया एकड़ इस बिल के स्कोप में नहीं आता है ।

श्री गेंदा सिंह—श्रीमन्, इसमें कच्ची और पक्की निकासी निश्चय करने का प्राविजन है और वह मालगुजारी लगान के आधार पर ही निश्चित होगी। इसलिये इससे उस अधिकारी को जिसको पक्की और कच्ची निकासी देखनी पड़ेगी उसको हम अधिकार दे दें कि अगर मालगुजारी ज्यादा हो तो वह उसे कम कर दे जैसा कि जमींदारी एबालिशन बिल में किया गया था। अगर कोई फर्जी लगान वगैरह हों तो उन पर विचार कर लें और इसलिये मौर्य जी का प्वाइंट आफ आर्डर टिकने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस में कहीं मालगुजारी फिक्स की गयी है?

श्री चरण सिंह—की है। ४ (ख) (१) में ।

श्री अध्यक्ष—तब तो ठीक है।

श्री गेंदा सिंह—तो मैं संशोधन इसलिये पेश कर रहा हूं कि यदि ५ रुपये से अधिक मालगुजारी मुकर्रर हो तो वह ५ रुपये तक ही रखी जाय और उसी तक रखने में मुआविजा देने में भी सुविधा होगी अगर कहीं फर्जी तरीके से ५ रुपये से अधिक लगान बाँध लिया है तो वह तो सरकार को कम करना पड़ेगा। ऐसा कानून लागू हो जाने के बाद और मुआविजा निश्चित हो जाने के बाद उसमें सरकार को और खेत जोतने वालों को नुकसान होगा। इसलिये बढ़ी हुई दर को कम करने से लाभ होगा ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत हद तक असम्बद्ध है और अगर किसी हद तक मुताल्लिक है तो मुझे वह मंजूर नहीं है। आप ने उसमें रखा है कि—

खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय:

"(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त भूमि समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझ कर बेदखल किया जा सकेगा और उस अवसान क दिनांक से ठीक पहले की मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक न होगी ।"

तो ठीक पहले मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक न होगी। तो जहाँ तक पहले हिस्से का सम्बन्ध है कि यह रिक्त भूमि समझी जायगी वह तो जो प्रतिबन्ध है "ख" (१) के बाद "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा।" यह तो आलरेडी उसमें दिया गया है। अब दूसरा जो आप कहते हैं कि वह मालगुजारी देगा और वह ५ रु० एकड़ से ज्यादा नहीं होगी तो वह "ख" (१) में.....

श्री अध्यक्ष--मगर उन्होंने प्रतिबन्ध हटा दिया है और दोनों को मिला दिया है।

श्री चरण सिंह--जी हां। वह यह कहते हैं कि इस दर से मालगुजारी देनी पड़ेगी। विधेयक में तो यह है कि जो रेट्स अप्लीकेबुल हैं वहां पर उस समय उन रेट्स के मुताबिक मालगुजारी उस पर तशखीस हो जायगी। वह यह कहते हैं कि ५ रु० फी एकड़ से ज्यादा किसी सूरत में भी न हो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह का प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। यह कहना कि आज वह कम दे रहे हैं, ज्यादा हो जायगी, इसका सवाल नहीं है। आज तो वह कोई मालगुजारी दे ही नहीं रहे हैं। उसने अगर ६१५ रु० में सारे गांव का ठेका ले लिया है और उसका रकबा था १,५०० एकड़, उसमें से ६० एकड़ खुदकाश्त कर लिया और बाकी १,४४० एकड़ दूसरों को उठा दिया तो वह १,५०० एकड़ पर उतनी मालगुजारी जमा दे रहा है। अपनी जमीन पर कोई खास मालगुजारी उसकी आज तसखीश नहीं है। मालगुजारी की तसखीश तो तब होगी जब कि उसकी और जमीन हट जायगी और जो जमीन उसकी बचेगी। इसलिये पहले से उसने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा है। यह तो उन लोगों के लिये रखा है जो उसने काश्त उठा रखे हैं। इसका सवाल तो उस समय आयेगा जब कि जमींदारी विनाश और लैन्ड रिफार्म्स अधिनियम वहां लागू होगा। आज तो अगर जमीन खराब है तो २ रु० एकड़ लगान हो सकता है, अगर जमीन बढ़िया है तो ९ रु० एकड़ भी लगान हो सकता है। तो उस पर यह शर्त लगाना ५ रु० फी एकड़ वगैरह की वह ठीक नहीं है। जैसी जमीन हो वैसी उस पर मालगुजारी हो।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, रामपुर के बारे में कम जानकारी रखते हुये भी मैं इतना जरूर जानता हूं कि वहां पर मालगुजारी की दर ऊंची है और दूसरी बात यह कि जिन लोगों के संबंध में यह है कि उन्होंने अपने ऊपर मालगुजारी कम रखी होगी तो उसमें तो मैं ५ रु० एकड़ की चर्चा करता हूं कि आज ५ रुपया एकड़ के इर्द गिर्द ही सारे प्रांत की मालगुजारी की दर है। यह तो बात हो सकती है कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इस बात को स्वीकार करें कि ५ रु० एकड़ जो मैं एक औसत कह रहा हूं उसमें इस बात की गुंजाइश की जा सकती है कि अगर कोई ऐसी जमीन भी निकले कि जिस जमीन की मालगुजारी ६ रु० एकड़ हो सकती हो तो यह शब्दों में तो हेरफेर हो सकता है और वह माननीय राजस्व मंत्री जी की इच्छा से इसमें हेरफेर किया जा सकता है। यदि वह इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि जो इर्द गिर्द के जिलों की मालगुजारी है उसी मालगुजारी के अनुसार रामपुर में भी मालगुजारी होगी तो वैसी हालत में यह बात हो सकती है कि आपकी आज्ञा से इस संशोधन को इस प्रकार कर लिया जाय कि वह इतना रुपया या कुछ इस तरह की बात कर ली जाय जो ठीक हो कि जिस जमीन के लिये कि उतनी मालजुजारी दी जा सकती है वह रखी जाय या इससे भी बढ़िया है तो यह मालगुजारी हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामपुर की मालगुजारी की दर जो है वह बहुत ऊंची है इसलिये मैं उसके बंधन के रूप में इस कानून में इस प्रबन्ध को लाना चाहता हूं। तो मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी उस पर विचार कर लें और अगर वह इसके लिये तयार हों कि निकट के जिलों का औसत मालगुजारी के बराबर उसको भी करना चाहिये तो उसकी कोई शब्दावली वह बना लें और उसे मैं स्वीकार कर लूंगा।

श्री चरण सिंह—जी नहीं। मैं तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उप खंड (ख) के भाग (१) को निम्नलिखित प्रकार से रख दिया जाय—

"(१) ३० एकड़ से अधिक भूमि रिक्त समझी जायगी जिसे रिक्त भूमि समझकर बेदखल किया जा सकेगा और उस अवसान के दिनांक से ठीक पहले की मालगुजारी देनी पड़ेगी जिसकी दर किसी भी दशा में प्रति एकड़ ५ रु० से अधिक न होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णशरण आर्य—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति में मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति एक में शब्द "यदि" और शब्द "भूमि" के बीच में शब्द "पट्टेदार और उसके परिवार के पास ऐसी कुल" रख दिये जायं तथा प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय—

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य यदि परिवार के लोग संयुक्त रूप से रहते हों तो, स्वयमेव व्यक्ति उसके अल्पवयस्क बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से जैसी भी दशा हो, है और यदि व्यक्ति स्वयं ही अल्पवयस्क हो तो उसके माता और पिता से है।"

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ख) के भाग (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति एक में शब्द "यदि" और शब्द "भूमि" के बीच में शब्द "पट्टेदार और उसके परिवार के पास ऐसी कुल" रख दिये जायं तथा प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिये जाय:—

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये व्यक्ति के परिवार का तात्पर्य यदि परिवार के लोग संयुक्त रूप से रहते हों तो, स्वयमेव व्यक्ति, उसके अल्पवयस्क बच्चों, उसकी पत्नी अथवा उसके पति से, जैसी भी दशा हो, है और यदि व्यक्ति स्वयं ही अल्पवयस्क हो तो उसके माता और पिता से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के उपखंड (ख) में जिस जगह "३० एकड़" आया है उसकी जगह "१५ एकड़" रखना चाहता हूं। उसके रखने से प्रतिबन्ध इस प्रकार हो जायगा—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि का क्षेत्रफल १५ एकड़ से अधिक हो तो वह अधिक क्षेत्र रिक्त भूमि हो जायगी और उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा"

मैं यह महसूस कर रहा हूं कि आज जो हालत सूबे की खेती की है उसके संबंध में वह नेता जोकि आज मिनिस्टर हैं और जो बाहर हैं वह भी सब परेशान हैं कि खेती की समस्या कैसे हल की जाय। इस तरह का सभी लोगों का सवाल है कि छोटे छोटे खेत, कम से कम जो हों वह आठ एकड़ कर दिया जाय और ३० एकड़ से ज्यादा कोई खेत बढ़ने न पाय। यह जमींदारी एक्ट में है इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी से उस दिशा में सजग रहेंगे और इस तरह का प्रतिबन्ध आप लगावेंगे कि कम से कम १५ एकड़ एक परिवार के लिये हो तो अच्छा होगा। इससे जो किसानों में खेती करने की भूख बढ़ रही है उसके लिये भी आप के पास अधिक जमीन रहेगी, आप बटवारा ठीक से कर सकेंगे। यही कवल मेरा उद्देश्य है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूं कि इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, यह सवाल इतना पीसा जा चुका है कि इसको अब और पीसना मैं व्यर्थ समझता हूं। इस सिलसिले में मैं और कुछ कहकर माननीय उमाशंकर जी के पद का अपमान नहीं करना चाहता और इसका विरोध करता हूं।

श्री उमाशंकर—मैंने तो अपनी राय कृषि मंत्री जी के सामने रख दी। चूंकि मैं जानता हूं कि माननीय कृषि मंत्री जी के विरोध करने पर मेरा प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है इसलिये मैं इसे वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय उमाशंकर जी अपना प्रस्ताव गिर जाने के डर से वापस लेना चाहते हैं जिसके लिये सदन अनुमति दे सकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सदन प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देता है।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह रकम प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

जो मेरा पुराना प्रस्ताव था उससे यह प्रस्ताव भिन्न है। वह प्रस्ताव पट्टेदारों के लिये राहत देता था लेकिन यह संशोधन जो है वह उनको राहत देता है जिनको कि पट्टेदारों ने जमीन दी है। उनको यह अख्तियार रहा है कि अधिक लगान पर इकरारनामे लिखवाकर ज्यादा मालगुजारी वसूल करें। ऐसी हालत में मैं मौर्य जी से जिन्होंने कि मुझे संकेत किया था कि भाई पट्टेदारों की वकालत कर रहे हैं उनकी बात तो समाप्त हो गई, उनसे ५ रुपये के बजाय जितना भी हो सके वसूल किया जाय। मैं उन लोगों के लिये कह रहा हूं जो पट्टेदारों के मातहत जमीन जोतते हैं। इस संशोधन का मतलब केवल इतना ही होगा। ऐसी हालत में अब मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि वे हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। मैं अब कोई विशेष बातें कह ही नहीं सकता हूं क्योंकि जब वे पहले ही से यह समझ गये कि पट्टेदारों की बात नहीं है इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार होने जा रहा है। अब मैं और कोई बात कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मुझे श्री गेंदा सिंह जी को निराश करना पड़ेगा। कारण यह है कि जरा विचार करने की बात है कि मालगुजारी के लिये भी ५ रु० तक की शर्त थी और लगान के लिये भी ५ रुपये की शर्त हो, यह दोनों बातें संगत कैसे होती हैं। पहला जो संशोधन पेश किया गया, यह था कि मालगुजारी ५ रु० से ज्यादा न रखी जाय। अब जो मालगुजारी देगा गवर्नमेंट को वह काश्तकार से मालगुजारी से कुछ ज्यादा जरूर लेगा। तो आप लगान के लिये भी शर्त लगा रहे हैं कि पांच रुपये से ज्यादा वसूल न करें। मालूम ऐसा होता है कि गेंदा सिंह जी पांच रुपये की जगह कुछ शायद और रकम रखना चाहते थे लेकिन पांच ही रह गये।

श्री गेंदा सिंह—जी नहीं।

श्री चरण सिंह—अगर ऐसा जानबूझकर किया है तो मैं ऐसा नहीं मान सकता हूं कि इतनी गलती माननीय गेंदा सिंह जी भी कर सकते हैं कि मालगुजारी की दर भी पांच रुपये रहे और लगान की दर भी पांच रुपये रहे। इसलिये यह मेल खाता नहीं है। एक तो यह बात और दूसरी बात यह है कि जब पहला संशोधन सदन ने अस्वीकार कर दिया, तो हो सकता है कि किसी जमीन की मालगुजारी ७ रुपये हो और अगर वह किसी से लगान ले रहा होगा तो कम से कम साढ़े सात तो ले ही रहा होगा। इसलिये यह संशोधन ठीक नहीं रहेगा, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत समझ बूझकर ऐसा रखा था और मैं ऐसा समझता हूं कि अब जमींदारी वहां पर समाप्त होने जा रही है। इसलिये पांच रुपये एकड़ जमीन की मालगुजारी और लगान रखने में कोई असंगत बात नहीं समझता।

अब रही यह बात कि जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि यह तो हो सकता है कि पांच रुपये से ज्यादा मालगुजारी रामपुर के किसी इलाके में हो, मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी हालत में पांच रुपये से ऊपर मालगुजारी रखने के लिये किसी जगह मंजूरी नहीं दे सकती। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कि पांच रुपये से ऊपर मालगुजारी शायद ही किसी जमीन की हो और अगर होगी भी तो बहुत थोड़ी सी जमीन ऐसी होगी और वह बहुत उपजाऊ जमीन होगी। इसलिये पांच रुपये एकड़ से ज्यादा मालगुजारी होने का प्रश्न नहीं उठता और मैं समझता हूं कि यह कठिनाई उनकी कोई कठिनाई नहीं मालूम होती। रामपुर की मालगुजारी से हम लोग डरते हैं और उस डर के मारे हम चाहते हैं कि पांच रुपये से ज्यादा मालगुजारी न रहे। इस संबंध में मेरा जो कुछ शुबहा है वह इतना ही है कि वहां की मालगुजारी के बारे में मेरी यह जानकारी हो चुकी है कि वहां की मालगुजारी बहुत ज्यादा है। उस मालगुजारी को कम करने के लिये मैं यह चाहता हूं कि जब पट्टेदारों के लिये नहीं माना गया तो फिर किसानों के लिये ही माना जाय और जो मुसीबतजदा लोग हैं उनके लिये ही हो जाय। इसलिये मेरी यह मजबूरी है कि मैं इस संशोधन को वापस नहीं लूंगा। यों तो अस्वीकार हो ही जायगा क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री ने माना नहीं है लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो माननीय गेंदा सिंह जी का यह ख्याल गलत है कि सारे सूबे की मालगुजारी का औसत पांच रुपये एकड़ है। हमारा औसत छै प्वाइण्ट सर्मथिंग है यानी छै रुपये कुछ पैसे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आधी जमीन की मालगुजारी छै रुपये से ज्यादा है और आधी जमीन की मालगुजारी छै रुपये से कम है। तो यह कहना कि पांच रुपये से ज्यादा जमीन की मालगुजारी है ही नहीं और होगी भी तो बहुत कम जमीन की होगी, यह गलत है। इसको देखते हुये यह पांच रुपये बहुत कम हैं। इसलिये मैं इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ग) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि यह रकम प्रति एकड़ ५ रुपये से अधिक नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

सदन का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की बैठक तब तक जारी रहे जब तक कि यह रामपुर ठेकेदारी विधेयक पास न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—आप समय बढाना चाहते हैं ?

श्री रामनरेश शुक्ल—जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनरेश शुक्ल ने जो प्रताव उपस्थित किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आपकी जानकारी में है कि विरोधी दल सरकार के साथ किस तरह से कल से सहयोग कर रहा है। आगरा यूनिवर्सिटी बिल के संबंध में जहां चार पांच दिन लग सकते थे वहां हम लोगों ने

एक दिन में दो घंटे और बैठ करके उस काम को समाप्त किया। उसके बाद भी अब ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है कि जिस में इस विधेयक के लिये समय बढाया जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—विशेष अवस्थाओं में आवश्यकता प्रस्तुत हो सकती है। इसलिय मैं मुनासिब समझूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को वापस ले ले और इस प्रकार अपोजीशन की स्वतंत्रता पर बार बार कुठाराघात न करे।

श्री अध्यक्ष—इसमें स्वतंत्रता का तो कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, होता है। इसलिये कि जब तक खत्म न हो जाय के मानी यह हैं कि सदन १२ बजे तक भी बैठ सकता है और सबेरे तक भी जुटा रह सकता है।

श्री अध्यक्ष—यह कह सकते हैं कि "लेजर" की स्वतंत्रता कम होती है।

श्री गेंदा सिंह—अभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिससे सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आये। हमारी पूर्व सम्मति के बिना कोई ऐसा प्रस्ताव आना अनुचित है।

श्री अध्यक्ष—कमसे कम समय में कारण बतला दिया जाय जिससे समय बढ़ाने के लिये प्रस्ताव किया गया है।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—बात सिर्फ इतनी सी ही है कि बहुत छोटा सा विधेयक ह, कोई बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। एक ही इश्यू है कि ठेकेदारों के हक लेने की बात। इसलिये जितना कम समय इसमें लगे उतना ही अच्छा ह। यह जरूर है कि सब लोगों को अपनी बात कहने को मौका दे दिया जाय। म तो उम्मीद करता था कि ४ बजे यह खत्म हो जायगा लेकिन पहले सिलेक्ट कमेटी का मोशन हुआ। उस पर जितनी बातें हो सकतीं थीं कह दी गईं।

दूसरी बात यह जो त्रिपाठी जी ने कही कि अपोजीशन का कुछ लिहाज रक्खा जाय तो अपोजीशन के लिहाज की वजह से ही जो अमेंडमेंट्स अन ह्यू नोटिस के आये थे वे लिये गये। मैं अपनी कोआपरेटिव एटीट्यूड का एक सबूत दे चुका हूं फिर भी यह शिकायत है कि अपोजीशन की बात नहीं मानी जाती। अगर अपोजीशन की बात न मानी जाती तो माननीय गेंदा सिंह जी के अमेंडमेंट्स अस्वीकृत हो जाते।

तीसरी बात यह है कि एक घंटा लेजर का समय मिलता है पार्लियामेंट में लेजर का समय नहीं मिलता। फिर शनिवार का दिन मिलता है। यहां फिर काम करना ऊपर है जनहित के लिये या अपोजीशन ऊपर है? अगर १५ मिनट और बैठ जायं तो कोई हर्ज नहीं होगा।

श्री गेंदा सिंह—माननीय राजस्व मंत्री यह मान कर चलते हैं कि १५ मिनट में पास हो जायगा। जितने भी पाबन्दी के प्रस्ताव पास होंगे वे अपनी तरफ से पास करेंगे। उनको अधिकार है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहस दो दिन तक चले। इसलिये राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह से विरोधी दल की अवहेलना न की जाय और इस प्रस्ताव को प्रेस न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर आप कोई समय निश्चित कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन यह कहना कि जब तक खत्म न हो मुनासिब नहीं है क्योंकि बहस ९ बजे तक भी चल सकती है और १० बजे तक भी चल सकती है।

श्री चरण सिंह—२ घंटे बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—दोनों शर्तें रख दीजिये।

श्री चरण सिंह—या इससे पहले जब खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आज का समय २ घंटे अधिक अथवा इस प्रस्तुत विधेयक के समाप्त होने तक, जो पहले समाप्त हो, तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८३ ।

विपक्ष में—१४ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, अगर आज ५ बजे हाउस उठ जाता तो हम और भी संशोधन दे सकते थे क्योंकि कल और परसों बजट का वादविवाद होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—मैं कार्यक्रम के सिलसिले में यह जानना चाहूंगा कि बाकी विधेयक क्या २४ के बाद लिये जावेंगे ? क्या मंत्री जी इसके बारे में कुछ कह सकेंगे ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये कोई प्रोग्राम नहीं बना है और न मेरी मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, कार्यक्रम के बारे में आज पंतजी से बातचीत हुई। मंगलाप्रसाद जी और दो एक सज्जन भी उपस्थित थे। यह तय हुआ कि २४ को कार्य खत्म हो जाय या यदि जरूरत हुई तो २६ को। पंतजी ने यह साफ कह दिया था कि वह २६ के बाद नहीं बैठना चाहते हैं। तो यह हमने उनसे साफ कहा था कि जब वह २४ को चाहते हैं तो २४ को अगर विधेयक खत्म नहीं हुआ तो फिर देखा जायगा और समय बढ़ाकर उस दिन कर लिया जायगा। इस पर हमको बहुत ज्यादा विरोध है कि हर रोज समय बढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि २४ तारीख को समय बढ़ाकर बाकी सब काम ले लिया जाय ।

श्री राजनारायण—जी हां, जो बात हम कह चुके हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया था उसके संबंध में गणना हो गई और आपने प्रतिफल के बारे में कुछ नहीं कहा। इस समय ५ बज चुके हैं इसलिये अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रतिफल निर्णय शायद आपने सुना नहीं होगा। आप कार्यक्रम समाप्त करने के लिये कह रहे हैं। मैं इसके लिये पुनः विचार कर सकता हूं। यदि सबकी सम्मति हो तो इस पर पुनः विचार हो सकता है। यदि आप इन तीनों आइटम्स को २४ तारीख को समय बढाकर आपसी समझौते से कर लें तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा।

श्री चरण सिंह—मैं क्या बतलाऊं, जितनी बातें हुई हैं और यह विभाजन वगैरा हुआ है अब तक तो यह विधेयक खत्म भी हो गया होता। अब आप मुलाहिजा फरमाइये कि इसमें एक संशोधन तो श्री गेंदा सिंह जी का और दूसरा श्री उमाशंकर जी का है। बाकी सब संशोधन हमारी पार्टी के हैं जिनको या तो मैं स्वीकार कर रहा हूं या वह प्रस्तुत नहीं होंगे। मुश्किल से कुल दस मिनट का काम है और दस मिनट से ज्यादा तो हो भी गये हैं। आपने जो अमेंडमेंट पेश किये थे और जिनकी स्वीकृति मैंने दे दी तो क्या वह हम पर लद गये ?

श्री अध्यक्ष—मैं यह कह रहा हूं कि परसों तक तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसलिये कि एक ओवरआल पिक्चर का सवाल है यह हो सकता है। आध घंटे में यह और बाकी के दोनों विधेयक खत्म परसों ही हो सकते हैं। अगर यह नीति रहे समझौते की तो काम खत्म हो

सकता है। इसलिये पूरे कार्यक्रम के हिसाब से सोचा जाय तो मैं समझूंगा कि यही ठीक रहेगा। पुनर्विचार के प्रस्ताव में मैं कुछ जोर देना चाहता हूं। अगर आप स्वीकार करते हों तो मैं सदन के सामने रखूं।

श्री राजनारायण--जहाँ तक सवाल बिक्री कर के विधेयक के बारे में है, हमने माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट कह दिया है कि हम इसमें पूरा एक सप्ताह लेंगे उन्होंने खुद कहा है कि वह भी इस पर सोच लेंगे और उन्होंने हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी से बात की कि इसके जल्दी पास न होने से पैसे का तो नुकसान नहीं होगा। हाफिज जी ने कहा कि नहीं पैसे का तो कोई नुकसान नहीं पड़ता है। अभी श्री मंगला प्रसाद जी आये थे और श्री शांति प्रपन्न शर्मा भी आये थे और यह तय हुआ था कि बिक्री कर के बारे में वह इंसिस्ट (जोर नहीं देंगे) नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष--यदि तय नहीं हुआ तो आप बैठिये।

श्री राजनारायण--हमारा मुख्य मंत्री जी से यह तय हो गया लेकिन माननीय माल मंत्रीजी इंसिस्ट (हठ) कर रहे हैं। आपने उनको सदबुद्धि ग्रहण करने की अपील की लेकिन आपकी अपील के बाद भी वे नहीं मान रहे हैं और अपनी इच्छा को हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। इसलिये सिवाय इसके कि हम वाक आउट करें हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है, मैं निवेदन करूंगा कि वे फिर भी मान जायं। (कुछ ठहर कर) अध्यक्ष महोदय, क्या आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष--जब वे कुछ नहीं कह रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इस समय आपका वाकआउट करना उचित नहीं है।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

खंड ४ (क्रमागति)

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ज) में शब्द और अंक "३० नवम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "३० जून, १९४९" रख दिये जायं।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ज) में शब्द और अंक "३० नवम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "३० जून, १९४९" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णशरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, खंड ४ के उपखंड (झ) की पंक्ति ४ में शब्द "यदि" और शब्द "पट्टे" के बीच का शब्द "कि" निकाल दिया जाय।

श्री चरण सिंह-- मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड (४) के उपखंड (झ) की पंक्ति ४ में शब्द "यदि" और शब्द "पट्टे के बीच का शब्द "कि" निकाल दिया जाय,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

देय लगान

५—१ दिसम्बर, १९४९ को या इसके बाद पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी भी अनुबन्ध अथवा संविदा क, या की गयी किसी भी बात के, अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गयी हो, होते हुए भी, उक्त भूमि के लिए देय लगान—

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो १ दिसम्बर, १९४९ को देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी पर तब तक विचार न किया जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के बाद भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय मानी गई हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

श्री कृष्णशरण आर्य— अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ५ की पहली पंक्ति में तथा उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "१ दिसम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "१ जुलाई, १९४९" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ की पहली पंक्ति में तथा उपखंड (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द और अंक "१ दिसम्बर, १९४९" के स्थान पर शब्द और अंक "१ जुलाई, १९४९" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में ले लेगा।

६—धारा ३ के अधीन पट्टे के अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिए यह वैध होगा कि—

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाए जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो,

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और उनका भूमापन (survey) करे अथवा ऐसी माप करे जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो,

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (authority) के समक्ष जिसे निर्दिष्ट किया जाये, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाए जो निर्दिष्ट की गई हो या मांगी गयी हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य न प्रस्तुत किए जायं तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में जाये और उन्हें अपने अधिकार में ले (seize) और उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को कब्जे में ले ले।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७—(१) उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गयी है, किसी पट्टेदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन कर दिया गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिए किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसे पाने का अधिकार न होगा। पट्टेदार को पट्टे के अवसान के उपलक्ष्य में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चल कर की गयी है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—७६।

विपक्ष में—१।)

खण्ड ८

८—इस अधिनियम के अधीन पट्टे के अवसान के कारण हानि या क्षति के लिये में प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के प्रयोजन के लिये कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे— प्रतिकर का विवरण

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ९ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची और पक्की निकासी (gross income and net income);

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पिछले कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान,

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हों, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

श्री कृष्ण शरण आर्य—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की पंक्ति दो में शब्द "क्षति के" के पश्चात् शब्द "लिये में" निकाल दिये जायं।

श्री चरण सिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति दो में शब्द "क्षति के" के पश्चात् शब्द "लिये में" निकाल दिये जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

कच्ची निकासी

९—धारा ८ के प्रयोजनों के निमित्त पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी में निम्नलिखित होंगे:—

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान, जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं:—

(१) नकदी में, और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान,

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित न किया गया हो तो मौरूसी दर से अवधारित लगान,

(ख) पट्टेदार की खुदकाश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर जिसकी धनराशि—

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवसान के दिनांक स ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ क दशमांश के बराबर होगी, और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सायर के अन्तर्गत तौलाई, तहबाजारी, नखासा, महसूल जवाब और खनिजों से होने वाली आय नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

१०--धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो चुका है, दार की पक्की निकासी कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी-- पक्की निकासी

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में लगान अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पिछले कृषि वर्ष में देय धनराशि,

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के संबंध में पिछले कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा प्रदत्त अथवा दिये जाने वाले कृषि आयकर की, यदि कोई हो, धनराशि,

(३) प्रबन्ध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर्गत का २५ प्रतिशत समझा जायगा।

श्री कृष्णशरण आर्य--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्न प्रस्ताव करता हूं--

खंड १० की पंक्ति २ में "," के पश्चात् "दार" के स्थान पर "पट्टेदार" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० की पंक्ति २ में "के पश्चात" "दार" के स्थान पर "पट्टेदार" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

११--पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्रों (Formule) के अनुसार अवधारित की जायगी-- देय प्रतिकर की धनराशि

प० नि० × अ० अ० = प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और

"अ०अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायेंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी।

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) अधिनियम के आरम्भ होने पर या उससे पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखे रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेंगी।

श्री फजलुल हक (जिला रामपुर)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ११ के द्वितीय प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय :--

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि के (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार

(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी, या

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे पूरे वर्षों के बराबर रहेगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी।"

श्री चरण सिंह---स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---इस "अ० अ०" से क्या तात्पर्य है?

श्री चरण सिंह---"अ० अ०" से तात्पर्य "अवशिष्ट अवधि" से है। यह उसका शार्ट फार्म है।

श्री अध्यक्ष---क्या परिभाषा में यह आ गया है?

श्री चरण सिंह---जी हां।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ के द्वितीय प्रतिबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय---

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ होने के पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार---

(क) वर्ष प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर रहेगी, या

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे-पूरे वर्षों के बराबर रहेगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

१२—धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार के पास भेजी जायगी। विवरण का प्रारम्भिक प्रकाशन।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ की दूसरी पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ की दूसरी पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" के स्थान पर "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३—१४

१३—(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकता है और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्धारण के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश।

(२) ऐसे अभिदेश के संबंध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (forward)।

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट कर सकता है (confirm), बदल सकता है अथवा घटा बढ़ा सकता है। डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा।

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ तथा १४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

विवरण का अंतिम प्रकाशन।

१५—(१) यदि धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गई हो अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हो, तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (amended, altered or modified) कर दिया जायगा और कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति सम्बद्ध पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी।

श्री रामहेत सिंह—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड ३ की पहली पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" की जगह "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (३) की पहली पंक्ति में "एक प्रति" और "पट्टेदार" के बीच "सम्बद्ध" की जगह "सम्बन्धित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६—१७

प्रतिकर का भुगतान।

१६—(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा।

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अन्तिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (legal representatives) को दिया जायगा।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अन्तिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत प्रतिवर्ष क हिसाब से अवसान के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी।

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति।

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति होगी, किन्तु यह अदायगी उक्त प्रतिकर क सम्बन्ध में किसी ऐस अन्य व्यक्ति क उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार अदायगी की गयी हो, विधि की उचित प्रसर (due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव न डालेगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ तथा १७ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

नियम बनाने का अधिकार।

१८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोत्तर अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी--

(क) धारा ४ के खंड (घ) (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति,

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार द्वारा अपनी खुदकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण,

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय,

(घ) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा,

(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपत्तियां अभिदिष्ट करेंगे,

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों मौरूसी दरों के निर्धारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त,

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए जायें जिनके विषय में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८, के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्रों और कार्यवाहियों में लागू होना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन उन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले शुल्क जिसके विषय में यहां पर विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है,

(ञ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रतिक्रिया,

(ट) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से किसी दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण,

(ठ) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा अन्य कार्यवाहियों में उन दशाओं में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, और

(ड) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं अथवा नियत किये जा सकते हैं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ख) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं—

"तथा पूर्ण व्यवस्था करण"

यह केवल शाब्दिक संशोधन है और वह व्यवस्था किस प्रकार की होगी उसको व्यक्त करने के लिये यह संशोधन पेश किया गया है।

श्री चरण सिंह—मेरे मित्र ने जो यह संशोधन उपस्थित किया है यदि वह इस प्रकार से कर दें तो उनका आशय पूरा हो जायगा—

"तथा उसकी व्यवस्था"

श्री रामलखन मिश्र—जी हां, यह ठीक है, मुझे स्वीकार है, यह कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ख) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं—

"तथा उसकी व्यवस्था"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामहेत सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (ग) की दूसरी पंक्ति में "सम्बद्ध" की जगह "संबंधित" रख दिया जाय।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह भ्रम है कि सभी जगह जहां-जहां "सम्बद्ध" है वहां "संबंधित" हो जायगा, ऐसी बात नहीं है। यहां पर यह "रिलेटिंग टू" के आशय से आया है और यही ठीक है। इसलिये यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री रामहेत सिंह—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामलखन मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ (२) के अन्त में नया भाग (ढ) बढा दिया जाय—

"(ढ) धारा १८ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम में व्यवस्थापिका सभा में यथाशीघ्र व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे"

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि यह नियम इस सदन में और विधान परिषद दोनों ही में रख दिये जायं वर्ना वहां के लोग कहेंगे कि हमारे यहां नहीं रखे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन का रूप इस प्रकार हो जाय कि खंड १८ (२) के अन्त में नया उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय:

"(३) धारा १८ (१) (२) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम विधान मंडल में यथाशीघ्र सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८(२) के अन्त में नया उपखंड (३) बढ़ा दिया जाय—

"(३) धारा १८(१) व (२) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा निर्मित नियम विधान मंडल में यथाशीघ्र सदस्यों के सूचनार्थ मेज पर रखे जायेंगे"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, खंड १८ के उपखंड (२) के भाग (च) में यह इस प्रकार लिखा हुआ है कि उन क्षेत्रों में जहाँ ऐसी दरें पहले से अवधारित नहीं हों, 'नहीं' की जगह पर 'न' कर दिया जाय। 'न' होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—यह तो मैं कर दूंगा। यह तो बिल कुल शाब्दिक है।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१—(१) यह अधिनियम रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम विस्तार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार सारे रामपुर में होगा।

(३) यह ऐसे दिनाँक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा रामपुर के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनाँक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूं कि खंड १ की पंक्ति १ के अंतिम शब्द "विनाश" के स्थान पर शब्द "उन्मूलन" रख दिया जाय।

और श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मेरे इस प्रकार के और संशोधन हैं उनको एक साथ में रख सकता हूं या अलग-अलग रख जायेंगे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अपनी तबियत से चाहता था कि माननीय मित्र की बात को मान लेता लेकिन एक मजबूरी है। जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का जो अनुवाद हमने किया है उसमें जमींदारी विनाश रखा है। तो वहाँ तो "एबालीशन" का हमने 'विनाश' किया है और वही शब्द यहाँ 'विनाश' रखा गया है। इसलिये अब उसका 'उन्मूलन' करना एक प्रकार से ठीक नहीं है। उन्मूलन के माने तो 'अपरूट करने' के होते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो आपत्ति इस पर की है, मैं यह समझता हूं कि कुछ हद तक वह ठीक है, लेकिन, श्रीमन्, जो माननीय रणंजय सिंह जी ने सदन के सामने प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विनाश के माने तो, श्रीमन्, जहाँ तक इसका इक्वीवेलेंट है वह डिस्ट्रिक्शन होता है और इस जगह यह कहना कि डिस्ट्रिक्शन आफ पट्टेदारी ऐंड ठेकेदारी आफ रामपुर, यह कुछ बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता। अतः यदि 'उन्मूलन' रख दिया जाय तो अधिक अच्छा है। जहाँ तक जमींदारी एबालिशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट का संबंध है, कोई इससे और उससे निकट संबंध नहीं है। यह एक अलग ही विधेयक है। यदि इसमें 'विनाश' की जगह 'उन्मूलन' कर दिया जाय तो माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आपके द्वारा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर जरा वह ध्यानपूर्वक सोच लें तो इसमें कोई आपत्ति उनको नहीं होगी।

श्री रणंजय सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि यह एक शाब्दिक बात है और मने यही सोचा था कि यह 'विनाश' शब्द जो है वह कुछ डिस्ट्रक्टिव जान पड़ता है कि एक तो अहिंसात्मक सरकार के लिये सबके साथ प्रेम भाव से बर्ताव करना चाहिये, किसी के नाश करने का नारा लगाना, किसी का विनाश करना यह एक भद्दी सी बात जान पड़ती है। मैं समझता हूं कि यदि मुलायम शब्दों में वही बात कही जाय तो वह अधिक

[श्री रणंजय सिंह]

उपयुक्त होगी। जिस तरह माता शब्द है, बड़ा पवित्र शब्द है लेकिन यदि कोई माता को पिता की स्त्री कहे तो बड़ा भद्दा हो जाता है। तो इसलिये केवल इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन यहाँ पर उपस्थित किया है और मेरा कभी यह अभिप्राय नहीं है कि मैं सदन का समय नष्ट करूं न मेरा अभिप्राय यह है कि मैं किसी शब्द को लेकर दुराग्रह करूं क्योंकि मैं जिस समाज का सदस्य हूं उसका भी यह चौथा नियम है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिये सर्वदा उद्यत रहना चाहिये। इसलिये मैं उसी को मानकर जो मुझे उचित जान पड़ता है वह सामने रखता हूं, कोई माने या न माने। लेकिन मैं अपनी ओर से जो अपना कर्त्तव्य समझता हूं उसका पालन करना आवश्यक समझता हूं। यहाँ पर जो ऐसा शब्द आया और जो मुझे उचित नहीं मालूम पड़ा तो मैं समझता हूं उसे बता दूं। जिस समय माननीय श्री रफी अहमद किदवई साहब ने जोकि यहाँ के राजस्व मंत्री थे उन्होंने अबालीशन शब्द को लेकर जमींदारी के उन्मूलन का विधेयक बनाया था, यदि मैं उस समय यहाँ होता तो अवश्य इस पर आपत्ति करता। क्योंकि मैं अपने पक्ष के समर्थन में एक दो नहीं, कई कोष पेश कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर कई कोष उपस्थित है और जो कोई साधारण कोष नहीं है। मैं यह देखता हूं कि पहले भी जब अबालीशन शब्द आया तो यद्यपि उन्मूलन के इस शब्द से उस जमींदारी उन्मूलन के शब्द से कोई सीधा संबंध नहीं है। अभी आगे चलकर जब रामपुर में जमींदारी, जागीरदारी का उन्मूलन किया जायगा तो वह तो किया ही जायगा। लेकिन जब समय आयेगा तो उसमें मैं अपना संशोधन भी उपस्थित करूंगा। तो उन्मूलन जो मैंने रखा उसके लिये अंग्रेजी में "अबालीशन" आता है। इसके अतिरिक्त जब मैं देखता हूं कि यहाँ इतने कोष हैं उनसे भी यही सिद्ध होता है। यह कोष महापंडित राहुल साँकृत्यायन का लिखा हुआ है। इसमें अबालीशन शब्द के मानी विनाश के नहीं है। इसमें है:

अबालिश—समाप्त करना, उठा देना, उत्सादन।

अबालिशेबिल—समापनीय, उठा देने योग्य।

अबालिश—समापित, खंडित।

अबालिशमेंट—समापन, उठा देने की क्रिया।

अबालिशनिज्म—समाप्तिवाद।

तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं "विनाश" शब्द का प्रयोग नहीं आया है। दूसरा प्रमाणिक कोष यह है जोकि हिन्दी के बहुत बड़े विद्वान श्री रामचन्द्र वर्मा जी ने बनाया है। इसमें जहाँ अबालीशन शब्द आया है वहाँ 'उन्मूलन' लिखा है। और उसमें आप देखिये।

उन्मूलन—जड़ से उखाड़ना, समूल नष्ट करना।

विनाश—विनष्ट या बर्बाद करना।

विनाशन—संहार करना, नष्ट करना।

इन दो बड़े विद्वानों के अतिरिक्त मैं देखता हूं कि वृहत हिन्दी कोष जिसमें १,२५,००० से अधिक शब्द हैं उसमें भी अबालीशन की जगह उन्मूलन शब्द ही आया हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके परिशिष्ट में जहाँ पर अंग्रेजी शब्द रखे गये हैं वहाँ अबालीशन के लिये 'उन्मूलन' शब्द लिखा है और 'समाप्ति'। दो ही शब्द उसके लिये आये है। इसमें यों लिखा है:

उन्मूलन—जड़ से उखाड़ना, जड़ मूल से नष्ट करना।

उन्मूलित—उखाड़ा हुआ, मिटाया हुआ।

और आगे विनाश के अर्थ इस प्रकार दिये हुये हैं :--

विनाश--अस्तित्व न रहना, नाश, क्षय, लोप।

विनाशक--नाश करने वाला ।

विनाशन--नाश करना।

और परिशिष्ट में है :

अबालीशन--उन्मूलन।

इसी प्रकार और मेरे पास कई कोष यहाँ पर हैं। यह इंगलैन्ड का है। वहाँ की आक्सफोर्ड डिक्शनरी का यह गुटिका है, कम्पाइल्ड बाई जार्ज आस्लर। इसमें उन्होंने लिखा है :

अबालीशन--डू अवे विद् ।

एक पारिभाषिक शब्द कोष श्री मुकुन्दी लाल का बनाया हुआ है उसमें भी उन्होंने इसका अर्थ विनाश नहीं लिखा है। अब मैं दूसरे शब्द डिस्ट्रक्शन पर आता हूं। इसका अर्थ एक बहुत बड़े शब्दकोष में 'विध्वसं' और 'विनाश' लिखा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि इस तरह के विवाद में काफी समय नष्ट हो गया है।

श्री रणञ्जय सिंह--मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से केवल इतना निवेदन कर रहा हूं कि मेरे पास इतने शब्दकोष हैं और इसमें इस शब्द के इतने भिन्न २ अर्थ लिखे हुये हैं। मैं देखता हूं कि जहाँ पर आबालीशन शब्द आता है वहाँ पर उसकी जगह पर उन्मूलन होता है, जब मैं विनाश शब्द के लिये शब्दकोष ढूंढ़ता हूं तो उसका अर्थ स्पष्ट डिस्ट्रक्शन निकलता है, इस विधेयक में जब मैं देखता हूं कि जहाँ पर उद्देश्य और कारण बतलाये गये हैं उसमें भी यही कहा गया है कि इस प्रकार की ठेकेदारी और पट्टेदारी प्रथा का उन्मूलन करना आवश्यक है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ यह प्रार्थना करूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि मेरा यह सुझाव है कि 'विनाश' के स्थान पर शब्द 'उन्मूलन' कर दिया जाय, इसे स्वीकार कर लिया जाय। 'विनाश' शब्द जो कि किसी कारण से अब तक चला आ रहा था उसका अब विनाश कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह जो बहुत से शब्दकोषों के यहाँ पर उद्धरण दिये गये उन्हें तो मैं डिस्प्यूट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि उसमें तो सब ठीक ही लिखा हुआ है। लेकिन जो कुछ उन्होंने शब्दकोषों का हवाला देकर कहा है उससे तो हमारे ही पक्ष का प्रतिपादन होता है न कि उसका कोई विरोध। अगर मुझे ठीक याद है तो उन्होंने एक तो रामचन्द्र वर्मा के शब्दकोष से पढ़ा, उसमें जो इसका अर्थ निकला वह है 'समूल नष्ट करना'। दूसरे एक और उससे पढ़ा था। उस शब्दकोष में था 'जड़ से नष्ट करना'। इन दो की बात मुझे याद रह गई है। 'जड़ से नाश करना' और 'समूल नष्ट करना' इसका तो यह मतलब हुआ कि जड़ से नाश करना 'यानी जड़ से विनाश हो,' 'जड़ समेत विनाश'। माननीय मित्र को तो हमें शाबाशी देनी चाहिये क्योंकि इसमें हमने 'समूल विनाश' नहीं लिखा है केवल 'विनाश' ही है। अबालीशन के माने तो दोनों हो सकते हैं यानी 'समूल नष्ट करना' या 'जड़ से नाश करना'। लेकिन हमने तो केवल 'विनाश' शब्द ही रखा है। ऐसी दशा में 'विनाश' की जगह पर 'उन्मूलन' करना ठीक नहीं है। एक बात और रह गई है वह यह है कि आप यह कहते कि 'विनाश' अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से जमींदारों का उन्मूलन करना क्या अच्छा लगता है ? जमीदारों को जड़ से उखाड़ देना भी अच्छा नहीं लगता 'लेकिन यहाँ उन्मूलन है न विनाश है जमींदारों का और ठेकेदारों का बल्कि यहाँ ठेकेदारी और पट्टेदारी का विनाश है। तो जितना कड़ुवा 'विनाश' कहने में लगता है उतना ही कड़ुवा 'उन्मूलन' कहने में लगेगा और फिर हमने आदमियों का न विनाश किया है और न उन्मूलन किया है। हमने एक सिस्टम का विनाश किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ की पंक्ति १ के अन्तिम शब्द "विनाश" के स्थान पर शब्द "उन्मूलन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु (with a view to facilitating the introduction of land reforms) वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी प्रणालियों के विनाश की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

रामपुर में भूमि सुधारों के प्रचलन को सुकर बनाने के हेतु वहां ठेकेदारी तथा पट्टेदारी की प्रणालियों के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब प्रस्तावना और शीर्षक में जो संशोधन हैं वे भी "उन्मूलन" में सम्बन्ध में हैं। यह माननीय सदन स्वीकार कर चुका है कि "उन्मूलन" शब्द करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये सिद्धान्ततः यह पेश नहीं हो सकते।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सामान्य संशोधन

श्री श्रीचन्द— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि इस विधेयक में जहां कहीं भी शब्द "बाद" आया है उसके स्थान पर शब्द "पश्चात्" कर दिया जाय।

श्री चरण सिंह— मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस विधेयक में जहां कहीं भी शब्द "बाद" आया है उसके स्थान पर शब्द "पश्चात्" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, जैसा कि विधान सभा स आज संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश विधेयक, १९५३, जैसा कि इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;

२२ दिसम्बर, १९५३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बी० एस० यू० बी० ए० पी० १०६ एल० ए०—१९५४—८५०